पंचम माला, खंड 29, अंक 9, गुरुवार, 2 अगस्त 1973/11 श्रावण, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIX No. 9, Thursday, August 2, 1973/Sravana 11, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

27 LSS/73—1.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9, गुरुवार, 2 अगस्त, 1973/11 श्रावण, 1895 (शक)

Thursday, August 2, 1973/Sravana 11, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
161	भारतीय मूलक ब्रिटिश पासपोर्ट-धारियों द्वारा पलाम हवाई अड्डे पर भूख हड़ताल	Hunger strike by British Passport holders of Indian Origin at Palam	1
164	संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage of Growth of Employment in Organised Sector . .	4
167	विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत लाना	Coverage of Non-teaching Staff of universities under Industrial Disputes Act	7
168	रक्षा कर्मचारियों को बोनस देना	Payment of Bonus to Defence Employees	10
169	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सीसे और जस्ते का आयात	Import of Lead and Zinc during Fifth Five Year Plan . . .	14
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
162.	संयुक्त राष्ट्र स्थित भारतीय प्रतिनिधि द्वारा इजराइल तथा अरब देशों से फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का आदर करने की अपील	Appeal to Israel and Arab Countries by Indian Representative to U.N. to respect rights of Palestinian People	23
163	नारियल जटा उद्योग के कर्मचारियों की दशा को सुधारना	Improvement of conditions of workers in Coir-Industry . . .	24
165	इस्पात संयंत्रों के लिए अपेक्षित माल अर्थात् कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज़ अयस्क की उपलब्धता	Availability of inputs, such as coal/ Iron Ore, Manganese Ore, required for Steel Plants	24
166	जैसप्स एंड कम्पनी लिमिटेड. कलकत्ता में सरकार के शेयर	Government share holding in Jessop & Co. Ltd., Calcutta . . .	42

किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sig n + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र०संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
170	दिल्ली में सोफ्ट कोक की अत्यधिक कमी	Acute shortage of Soft Coke in Delhi	25
171	इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये की गई कार्यवाही	Action taken to increase production of Steel	25
172	थान, ज़िला सुरेन्द्र नगर (गुजरात) में कोयले की कमी के कारण मृत्तिका औद्योगिक केन्द्र में उत्पादन बंद हो जाना	Stoppage of production in Ceramics Industrial Centre at Than in Surendra nagar Distt. (Gujarat) due to Shortage of Coal	26
173	भिलाई, रुरकेला और दुर्गापुर संयत्रों को स्वशासी एकक बनाना और उन्हें एस० ए० आई० एल० की उपकम्पनियां बनाना	Bhilai, Rourkela and Durgapur plants to become Autonomous Units and Subsidiaries of S.A.I.L. . . .	27
174	सर्कस उद्योग के कर्मचारियों के लिए श्रम विधियां	Labour laws for workers in Circus Industry	27
175	विदेशों में पाकिस्तानी युद्धबंदियों के मामले को लेकर भारत की आलोचना	Criticism of India over POWs Issue in countries Abroad	28
176	भारत और वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग	Economic and Cultural Co-operation between India and Democratic Republic of Vietnam	28
177	देश में लघु इस्पात कारखानों की स्थापना	Setting up of Mini Steel plants in the country	29
178	भारत में मोटर-गाड़ी निर्माता कम्पनियां	Automobile Manufacturing Companies in India	29
179	टेलको और ट्यूब कम्पनी, जमशेदपुर के कर्मचारियों का दमन	Victimization of Workers of Telco and Tube Company, Jamshedpur .	30
180	सरकारी उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों और वित्तीय मुख्य अधिकारियों के साथ मंत्री की बैठक	Minister's Meeting with Executives and Financial Chiefs of Public Undertakings	30
अता०प्र०सं० U.S.Q.No.			
1601	कोयला तथा अभ्रक निकालने के लिये औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences for Extracting Coal and Mica	31
1602	ज्वाइंट साईफर ब्यूरो के अधिकारियों के वेतन में असंगति	Anomaly in Pay of Officers of Joint Cipher Bureau	31

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1603	पाकिस्तान द्वारा भारत की जल, थल, और नभ सीमा का उल्लंघन	Violation of Borders, Territorial waters and Air Space committed by Pakistan	32
1604	सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों में प्रबंध ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of Management set up of Public Sector Heavy Industry Units	32
1605	कोचीन नौसैनिक अड्डे के तीन अधिकारियों का ठगी के मामले में अंतर्ग्रस्त होना	Involvement of three Cochin Naval Base Personnel in cheating case .	32
1606	भारत द्वारा ईराक में इस्पात संयंत्र तथा स्पोंज आयरन संयंत्र स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव	Proposal to set up steel plant and Sponge Iron Plant in Iraq by India	33
1607	कोयला खानों में उपदान योजना	Gratuity Scheme in Coal Mines .	33
1608	श्रमिक ब्यूरो में उपनिदेशक के रिक्त पद	Vacant Posts of Deputy Director in Labour Bureau	34
1609	ठेकेदारों के शोषण से असंगठित ग्रामीण श्रमिकों की रक्षा करने हेतु विधान	Legislation to protect unorganised Rural Labour from Exploitation by contractors	34
1610	विभिन्न राज्यों में इस्पात की कमी	Shortage of Steel in various States	35
1611	नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा संगणकों को लोकप्रिय बनाने की सिफारिश करना	Popularisation of Computers as recommended by the National Institute for training in Industrial Engneering	35
1612	सीमेंट उद्योग के श्रमिकों के मंजूरी ढांचे के पुनरीक्षण के लिये समिति	Committee for Revision of Wage Structure of Cement Industry Workers	36
1613	मैसर्स बर्न एंड कम्पनी तथा मैसर्स इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के प्रबंध को हाथ में लेकर उनका पुनर्गठन	Take over Re-organisation of M/s. Burn and Co. and M/s. Indian Standard Wagon Co. . . .	36
1614	केन्द्रीय सरकार में महिला कर्मचारियों तथा राजपत्रित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in the number of Women Employees and Gazetted Officers in Central Government . . .	37
1615	नेशनल कौंसिल आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स के लिये किया गया नियतन	Allocation made for Council of Indian Trade Unions . . .	37

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1616	योजना मंत्री का रूमानिया का दौरा	Planning Minister's visit to Ruman ia	37
1617	कलकत्ता स्थित संयुत राज्य अमरीका के वाणिज्य दूतावास के श्री पेटर बरले पर तोड़फोड़ की कार्यवाहियों का आरोप	Alleged Subversive Activities by Peter Burleigh of US Consulate General at Calcutta	38
1618	1971 के युद्ध के दौरान भारत में प्रवेश कर जाने वाले पाकिस्तानी सिविलियनों की वापस	Return of Pakistani Civilians who crossed over to India during 1971 War	38
1619	बंगलादेश में इस्पात, कपड़ा और उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Steel, Textile and Fertiliser plants in Bangladesh . .	39
1620	भारत मूलक एशियाइयों को 24 जून, 1973 को एक "पैन-एम जम्बो जैट" से जबर्दस्ती बाहर निकालना	Asians of Indian Origin forced out of Pan AM Jumbo Jet on 24th June, 1973	39
1621	रक्षा कर्मचारियों की पेंशन की 250 रुपये प्रतिमास से अधिक राशि को मनीआर्डर द्वारा भेजे जाने के बारे में अभ्यावेदन	Representations in regard to remitting of Pensions exceeding Rs. 250 per month of Defence Personnel by Money Order . . .	40
1622	दो इंजन वाले टरबोप्राप विमान का निर्माण	Manufacture of Twin engined Turboprop Aircraft	40
1623	मजदूर संघों की संयुक्त परिषद् के सचिवालय द्वारा तीसरें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन	Organisation of a National Convention against the Recommendations of the Third Pay Commission by United Council of Trade Unions Secretariat	41
1624	कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की ऊँची दर प्राप्त कर सकने के लिये पूंजी निवेश की नयी पद्धति	New Pattern of Investment to enable Employees Provident Fund to earn Higher Rate of Interest . . .	41
1625	लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये माल की खरीद	Purchase of Stores to encourage Small Scale Industries	41
1626	कोयले के स्टालों/डिपों के परमिटो का दिल्ली प्रशासन द्वारा रद्द किया जाना	Permits to Coal Stall depots cancelled by Delhi Administration . . .	42
1627	राज्यों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को फालतू भूमि का आबंटन	Allotment of Surplus Land to Ex-servicemen by States	42

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1628	एक हजार रुपये तक प्रतिमास वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी शामिल करने के उद्देश्य से शब्द 'वर्कमैन' को व्यापक बनाना	Widening of Scope of the term "Workman" to cover Employees drawing salary upto Rs. 1000 per month .	43
1629	कोयला खान प्राधिकरण के यहां पंजीकृत गैर-कोकिंग कोयला खाने	Non-coking coal mines registered with Coal Mines Authority . . .	43
1630	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के अधीन रखे गये विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक	Scientists in various Institutes brought under the Director General of Armed Forces Medical Services . . .	43
1631	उत्तर प्रदेश स्थित हिंडालकों में शोधित कोबरा एल्यूमिनियम ले का निर्णय	Decision to get Korba Aluminium Refined in HINDALCO . . .	44
1632	मैसूर के लिये स्वीकृत स्कूटर परियोजना	Scooter Project sanctioned for Mysore	44
1633	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और हंगरी की एक फर्म के बीच समझौता	Agreement between HMT and Hungarian Firm	44
1634	नेवेली लिग्नाइट की विस्तार योजना	Expansion plan for Neyveli Lignite .	45
1635	स्कूटरों के पुर्जे निर्माण हेतु स्कूटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को स्कूटर इंडिया लिमिटेड का सुझाव	Suggestion of Scooters India Limited to State Industrial Development Corporations to Manufacture parts of Scooters	45
1636	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में नये उत्पादनों का विकास	New products developed by Bharat Electronics Limited . . .	46
1637	देश की सुरक्षा के लिये परमाणु शस्त्रास्त्रों का निर्माण	Development of Nuclear Weapons for Defence of the country .	46
1638	राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth Prime Ministers Conference	47
1639	देश में वाणिज्य मोटरों की कमी	Shortage of Commercial Vehicles in the country	47
1640	1971 के युद्ध के दौरान उच्च पदों पर आसीन युद्ध अपराधियों को सौंपने के लिये पाकिस्तान को कहने का प्रस्ताव	Proposal to move Pakistan for handing over war criminals who held high positions during 1971 war	47
1641	भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स कारखाने का विस्तार	Expansion of Bharat Heavy Plates and vessels projects	48
1642	कार कारखानों की क्षमता का विस्तार	Expansion of capacity of Car Unit.	48

अता०प्र०संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1643	दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के समाचार पत्रों द्वारा भारत की नीतियों की आलोचना	Criticism of India's Policies by Press in South East Asian Countries	49
1644	शिमला समझौते की क्रियान्विति के लिये इंडोनेशिया का अनुरोध	Plea by Indonesia for implementation of Simla Agreement . .	49
1645	उपदान भुगतान अधिनियम में संशोधन करने के लिए 'इंटक' का संकल्प	INTUC Resolution to amend the Payment of Gratuity Act. . .	50
1646	हरियाणा में छोटा (मिनी) इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Mini Steel Plant in Haryana	50
1647	पश्चिम बंगाल स्थित केशोराम रेयन फैक्टरी में तालाबंदी	Lock out in Kesoram Rayon Factory in West Bengal	50
1648	दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के मिश्र-उत्पाद के विस्तार की लाभप्रदता के बारे में मूल्यांकन	Assessment regarding profitability of expanding the product mix of Durgapur Alloy Steel Plant . . .	51
1649	भारत में आधुनिकतम् सैनिक साज-सामान के निरूपण तथा विकास के लिये सहयोग हेतु सोवियत संघ से बातचीत	Talks with USSR for Cooperation in designing and developing sophisticated Military equipments in India	51
1650	सोवियत संघ से युद्ध पोतों की खरीद	Purchase of warships from USSR .	51
1651	भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता का प्रस्ताव	Proposal for Summit meeting between Prime Minister of India and President of Pakistan	51
1652	खनन उद्योग के लिये उपकरणों की बढ़ी हुई मांग	Increased demand for equipment for Mining Industry	52
1653	चौथी योजना में कोयला उत्पादन का लक्ष्य	Fourth Five Year Plan Target of coal production	52
1654	ग्रेशम एंड क्रेवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में लेना	Full take over of Gresham and Craven of India (Private) Ltd., Calcutta .	52
1655	औद्योगिक एककों के लिये 400 टन नालीदार चादरों का परमिट जारी करना	Issue of permits for 400 Tonnes of corrugated sheets for Industrial Units	53
656	अस्पतालों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत लाने के लिये अधिनियम में संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act to include Employees in Hospitals, Colleges and Universities . .	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1657	बीमार पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को पाकिस्तान भेजना और पाकिस्तान में बंगालियों को बंगला देश भेजना	Repatriation of Sick P.O.Ws. to Pak and Bengalis in Pak to Bangladesh .	54
1658	भारी उद्योग मंत्रालय में 'शिकायत-सैल'	Complaint Cell in Ministry of Heavy Industry	54
1659	अमरीका से पुनः सैनिक सहायता प्राप्त करने के बारे में राष्ट्रपति भुट्टो का वक्तव्य	Statement by President Bhutto to seek Resumption of U.S. Military aid	55
1660	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जबलपुर में भारी ट्रक बनाने के लिये कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of a Heavy Trucks Factory at Jabalpur during Fifth Plan .	55
1661	सरकारी क्षेत्र में स्कूटर का निर्माण	Manufacture of Scooter in Public Sector	56
1662	हिन्द महासागर में चीन की गतिविधियां	Chinese Activities in Indian Ocean .	56
1663	भारत के साथ विचार-विमर्श करने के बारे में ईरान के शाह का कथित वक्तव्य	Reported Statement by Shah of Iran for having meaningful dialogue with India	56
1664	भारत-अमरीकी संबंध	Indo-US Relations	57
1665	नौसेना कर्मचारियों द्वारा नौसेना में जासूसी	Spying in Navy by Naval Employees .	57
1666	ब्रिटेन द्वारा हाल ही में लिये गये देश निकासी के निर्णय की धमकी पर भारतीय आप्रवासियों में फैला भय	Feelings of Indian Immigrants in U.K. over Deportation threat as a sequel to recent ruling of the House of Lords	58
1667	सरकारी एककों के मुख्य कार्यकारियों की उच्च स्तरीय समिति	High Power Committee of Chief Executives of Public Sector Units .	58
1668	प्रधान मंत्री क एक विशेष दूत द्वारा ढाका की यात्रा	Visit to Dacca by a Special Emissary of Prime Minister	59
1669	लौह अयस्क और बॉक्साइट के निक्षेपों के लिये केरल — . सर्वेक्षण	Geological Survey of Kerala for Iron Ore and Bauxite Deposits . .	59
1670	राज्यों में बिजली की कटौती से प्रभावित उद्योग	Industries affected by power cut States	60
1671	रत्नागिरि में एल्यूमिनियम प्लांट की प्रगति	Progress made by Aluminium Plant at Ratnagiri	60

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
1672	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों की कम्पनी के नई दिल्ली स्थित बिक्री केन्द्र पर बिक्री	Sale of HMT Watches at Company's New Delhi Sales Depot . .	61
1673	उपभोक्ताओं को कोयले की आवश्यकता पूर्ति के लिये प्रत्येक राज्य में विभिन्न स्थानों पर कोयले के भंडारों को खोलने संबंधी योजना	Scheme regarding opening of coal dumps at various places in each state for meeting the consumer's requirements of coal	62
1674	उत्तर बिहार में उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई	Supply of coal to consumers in North Bihar	62
1675	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का कार्यकरण	Functioning of Steel Authority of India Ltd.	62
1676	रायरानीपुर (उड़ीसा) में वेंडियम इस्पात का उत्पादन	Manufacture of Vandium Steel in Rairanipur (Orissa) . . .	63
1677	भारत का राष्ट्रमंडल में बने रहना	Continuance of India in Common Wealth	64
1678	पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा व्यापार समझौता	Border Trade Agreement between Pakistan and China	64
1679	प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के कारखाने के आस-पास सहायक उद्योगों का जाल	Net Work of Ancillary Industries around each Public Sector Unit .	65
1680	चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर किए गए अपने दावे को बातचीत द्वारा हल करने का संकेत	Hint for Negotiated settlement of Indian Territory Claimed by China	65
1681	1962 में भारत पर पेकिंग आक्रमण में लापता भारतीय सैनिक	Missing Indian Soldiers due to Peking Agression against India, 1962 . .	65
1682	त्रिपुरा में चाय बागान श्रमिकों के संशोधित बोनस का न दिया जाना	Non-payment of revised bonds to Tea Garden Workers in Tripura . .	66
1683	आंध्र प्रदेश में दुर्लभ धातुओं के खनन की संभावनाएं	Prospect of Mining of Scarce metals in Andhra Pradesh	66
1684	जेसप्स लिमिटेड, कलकत्ता को हुई हानि	Loss incurred by Jessops Limited, Calcutta	66
1685	राष्ट्रीय विवाचन वर्धन बोर्ड (नेशनल आरबीट्रेशन प्रोमोशन बोर्ड) की पांचवीं बैठक	Fifth Meeting of National Arbitration Promotion Board	67

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1686	पाली (राजस्थान) में श्रमिकों के लिए मकान	Houses for Labour in Pali (Rajasthan)	68
1687	हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट हरिद्वार का परिव्यय	Outlay on Heavy Electrical Equipments Plant, Hardwar . . .	68
1688	पाकिस्तानी युद्धबंदियों को स्वदेश लौटाना	Repatriation of Pak POWs.	69
1689	विद्युत् की कमी का अलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर के उत्पादन पर प्रभाव	Production of Alloy Steel Plant Durgapur affected by Power Shortage .	69
1690	1973 में विद्युत् की कमी के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मजदूरों तथा कर्मचारियों की आय पर प्रभाव	Earnings of Workers and Employees of Durgapur Steel Plant affected by Power Shortage in 1973 . .	70
1691	पश्चिम बंगाल में एक विशेष इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Special Steel Plant in West Bengal.	70
1692	स्टेट्समैन ईयर बुक, 1972-73 में भारत द्वारा "पाकिस्तान के साथ युद्ध में पहल करने" के बारे में विवरण	Description in Statesman's Year Book 1972-73 about India Entering into a State of War with Pakistan . .	70
1693	राष्ट्रपति भुट्टो द्वारा 'वाशिंगटन पोस्ट' को दिये गये 'इंटरव्यू' के समाचार	Press Reports of President Bhutto's Interview with the Washington Post .	71
1694	"यू० एन० चीफ फार नार्म्स टू आउट ला वायर टैपिंग"	"U.N. Chief for Norms to Outlaw Wire-tapping"	71
1695	सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण स्कूलों के लिए पत्रिकाएं	Magazine for Training Schools of Armed Forces	72
1696	पाकिस्तान और भारत की सशस्त्र सेनाओं के बीच गोली चलना	Firing between Armed Forces of Pakistan and India	72
1697	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास उद्योग निगम के कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए ज्ञापन	Memorandum by Workers of Rehabilitation Industries Corporation in West Bengal for Improvement of their Service Conditions . . .	73
1698	इस्पात संयंत्रों में केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था	Provision of Employment only to local people in Steel Plants . . .	74
1699	दुर्गापुर में आसानी से तथा कम कीमत पर स्टेनलैस स्टील का उत्पादन	Production of stainless steel at Durgapur easier and less costly . . .	74

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1700	उद्योग पुनर्वास निगम (रिहैब्लीटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन) में लगाई गई पूंजी	Investments made in Rehabilitation Industries Corporation . . .	57
1701	जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय द्वारा खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को मान्यता देने का प्रस्ताव	Proposal to Recognise National Defence Academy at Khadakvasla by Jawahar Lal Nehru University . . .	75
1702	अल्जीयर्स में होने वाले गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री को आमंत्रित करने के लिए अल्जीरिया के राष्ट्रपति का संदेश	Message from Algerian President inviting Indian Prime Minister to Non-aligned Nations Conference to be held in Algiers	76
1703	शिमला समझौते की सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन	Assessment of Successes and Failures of Simla Agreement	76
1704	भूतपूर्व "पूर्वी पाकिस्तान" के शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from for East Pakistan . .	76
1705	सिन्टो' चीन और इंगलैंड द्वारा युद्धबंदियों को रिहा करने का अनुरोध	Plea by Cento, China and U.K. for release of P.O.Ws.	77
1706	अल्जीयर्स में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के होने वाले सम्मेलन में बंगला देश पर प्रतिनिधित्व	Representation to Bangladesh at Non-Aligned Nations Conference to be held in Algiers	78
1707	आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए फील्डगन फैक्टरी की स्थापना	Setting up of Field Gun Factory for Self Reliance	79
1708	रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निदेशालय द्वारा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां देना	Jobs provided to Ex-servicemen of Madhya Pradesh by the Rehabilitation Directorate of Ministry of Defence	79
1709	मध्य प्रदेश में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Madhya Pradesh .	79
1710	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल आफिस के लिए प्लाट के सोदे का रद्द किया जाना	Cancellation of plot for Central office of EPFO	80
1711	अलजियर्स में होने वाला गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन	Proposed Summit Meeting of Non-Aligned Nations in Algiers . .	80
1712	सेलम इस्पात संयंत्र के लिए परियोजना प्रतिवेदन	Project Report for Salem Steel Plant .	81
1713	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा गैर-कोकिंग कोयला खानों का पुनर्गठन	Reorganisation of Non-Coking Coal Mines by Coal Mines Authority .	82

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ AGES
1714	प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक ए० बी० एस० प्लास्टिक के लिए स्वदेशी टेक्नालाजी	Indigenous Technology for ABS Plastic for Defence	82
1715	चीन के साथ सीमा विवाद को निपटाया जाना	Settlement of Border Disputes with China	83
1716	भारत द्वारा 'कोमेकोन" (कम्युनिस्ट देशों के आर्थिक सगठन) का सदस्य बनना	Joining of "Comecon" by India . .	83
1717	भागने के प्रयास करते समय मारे गये पाकिस्तानी युद्धबंदी	Pak P.O.Ws. killed in a Bid to Escape	83
1718	एच० ई० आई० एल० का बी० एच० ई० एल० के साथ विलय	Merger of HEIL with BHEL	84
1719	मई, जून और जुलाई, 1973 के दौरान विदेश मंत्री का विदेशों का दौरा	Foreign Minister's visits Abroad during May, June and July, 1973 . .	85
1720	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र	Applications received for Admission into National Defence Academy .	85
1721	लिबियामें इस्पात संयंत्र स्थापित करने में भारत की सहायता	Indian Help in Erecting Steel Plant in Libya	85
1722	युद्धबंदियों की रिहाई के लिये पाकिस्तान का उत्सुक न होना	Pak not interested in realease of POWs.	86
1723	छाता सैनिक प्रशिक्षण-केन्द्र आगरा के एन० सी० सी० के छात्र	NCC cadets in Paratroop Training Centre Agra	86
1724	सुगरेणी कोयला खान, आंध्र प्रदेश का विस्तार	Expansion of Sungareni Coal Mines Andhra Pradesh	86
1725	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विकास कार्यक्रम	Expansion Programme of Durgapur Steel Plant	87
1726	अप्रैल, मई और जून, 1973 में विद्युत् की कमी के कारण खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम, दुर्गापुर को हानि	Loss to MAMC Durgapur due to Power Shortage in April, May and June, 1973	87
1727	दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Alloy Steel Plant	88

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1728	भारतीय वायु सेना के लिए रडार और संचारव्यवस्था में वृद्धि करने तथा उसे समेकित करने के लिए योजना	Plan for Augmenting and Integrating Radar and Communication System for IAF	88
1729	चिरक्कल बुनकर सहकारी समिति, चिरक्कल, कन्नानूर (केरल) की ओर से भविष्य निधि के संबंध में ज्ञापन	Memorandum for Chirkkal Weavers Cooperative Society Chirakkal, Cannnore (Kerala) Regarding Provident Fund	88
1730	त्रिचूर में कर्मचारी भविष्य निधि का उपक्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना	Opening of Sub-Regional office of EPF at Trichur	89
1731	कोजीकोड में इस्पात संयंत्र	Steel Plant at Kozhikode . . .	89
1732	हिन्द महासागर में रूसी और भारतीय प्रभाव को रोकने के लिए अमरीका और ईरान के बीच समझौता	Agreement between USA and Iran to check Russian and Indian Influence in Indian Ocean.	89
1733	ईरान के सैनिक दल का भ्रमण	Visit of Military Team of Iran . .	90
1734	सेवामुक्त सैनिकों का पुनर्वास	Resettlement for Released Servicemen	90
1735	भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश के लिये शिक्षा का स्तर	Educational Standard for Entry to Indian Military Academy	90
1736	अखिल भारतीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ को मान्यता देना	Recognition of All India Provident Fund Staff Federation . . .	91
1737	गुजरात में इस्पात का वितरण	Distribution of Steel in Gujarat . .	91
1738	झरिया कोयला खानों का पुनर्गठन करने के लिये भारत-पोलैंड करार	Indo-Polish Agreement to Reorganise Jharia Coal Mines. . . .	92
1739	पांचवीं योजना में कोयला उत्पादन की योजनाएं	Scheme of Coal production in Fifth Plan	92
1740	कलकत्ता स्थित जय इंजीनियरिंग वर्क्स में तालाबंदी समाप्त किया जाना	Lifting of Lockout in Jay Engineering Works, Calcutta	92
1741	राष्ट्रीय रबड़ कम्पनी, कलकत्ता द्वारा तालाबंदी	Lock out by National Rubber Company, Calcutta	93
1742	सेलम तथा दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात संयंत्र के उत्पाद-मिश्र का विस्तार	Expansion of Product Mix of Salem and Durgapur Alloy Steel Plant . .	93
1743	भारत से डिटोनेटरों की श्रीलंका को तस्करी	Smuggling of Detonators into Sri Lanka from India	93
1744	चम्बल घाटी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-Service personnel in Chambal Valley Region . .	94

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1745	कम्पनियों द्वारा पुनरीक्षित बोनस का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Revised Bonus by Companies	94
1746	रक्षा संबंधी आवश्यकताओं में आत्म-निर्भरता	Self Sufficiency in Defence Needs	95
1747	कोयले का आयात	Import of Coal. . . .	95
1748	कर्मचारी राज्य बीमा योजना में मालिकों पर लगाये गये विशेष अंशदान का हटाया जाना	Removal of Levy of Employers' Special Contribution to ESIS . . .	95
1749	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किये गये श्रमिक	Workers covered under ESI Scheme .	96
1750	राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् में श्रेष्ठतर सेवा शर्तों के लिये कर्मचारियों द्वारा आंदोलन	Agitation by Employees for Better Conditions of Service in National Productivity Council	96
1751	भारत उद्योग के अंतर्गत 14 कारखानों के उत्पादन में 4.5 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य	14 Units under Heavy Industry aiming at 4.5 per cent increase in Production	97
1752	रोजगार के प्रभावी माध्यम के रूप में 'सेंट्रल लेबर डिपो' गोरखपुर	"Central Labour Depot" Gorakhpur as an Effective Instrument of Employment	97
1753	हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन	European Security Conference at Helsinki	97
1754	समुद्र का कानून संबंधी सम्मेलन	Conference on the Law of the Sea .	98
1755	उत्तर बिहार में एक लघु इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Mini Steel Plant in North Bihar	98
1756	फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया में भारत के कथित प्रवेश करने के बारे में अमरीकी समाचार पत्रों द्वारा समाचार प्रकाशित करना	Reports by US press of Alleged Foothold of India in Persian Gulf and West Asia	99
1757	विश्वविद्यालयों में रोजगार ब्यूरो	Employment Bureau in Universities .	99
1758	कच्चे लोहे के लिए विदेशी क्रयादेश	Foreign orders for Pig Iron . .	99
1759	"की टर्न" के आधार पर बिजलीघरों का निर्माण करने के लिये एक संगठन की स्थापना	Setting up of an organisation to undertake construction of power plants on key turn basis	100
1760	वाहन-कारखाने का कार्य-सम्पादन	Performance of Vehicles Factories .	100
1761	रक्षा सेवा के अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के वेतनमान	Pay scales of Defence Services officers and IAS officers	101

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1762	एयरफोर्स बेस रिपेअर डिपुओं का कार्य-सम्पादन	Performance of Air Force Base Repair Depots.	101
1763	जबरन श्रमिक सप्लाई के बारे में कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन की कथित भर्त्सना	Alleged Condemnation of Coal Field Recruiting Organisation for Supplying Forced Labour	102
1765	निर्यात के उद्देश्य के लिए मेंगनीज ओर की खनन संबंधी नीति	Policy of Mining of Manganese Ore for purpose of export . . .	102
1766	नार्वे द्वारा उर्वकों की सप्लाई	Supply of fertilizers by Norway .	103
1767	कम मंजूरी मिलने के कारण पश्चिम बंगाल में हड़तालें	Strikes in West Bengal due to low wages	103
1768	बोकारों इस्पात कारखाने की दूसरी 'कोकओवन बेटरी' के बारे में आयोग द्वारा उत्पादन के पहलू का अध्ययन	Study of production aspect by Commission of Second Coke Oven Battery of Bokaro Steel Plant. . . .	104
1769	कोयला खान प्राधिकार के रांची से कलकत्ता स्थानान्तरण के विरुद्ध बिहार का विरोध	Bihar's Opposition to Shifting of Coal Mines Authority from Ranchi to Calcutta	104
1770	वोल्टास् एंड वोल्कार्ट, बम्बई में औद्योगिक विवाद	Industrial dispute in Voltas and Volkart, Bombay	104
1771	वायु सेना एवं नौसेना की आवश्यकताओं के बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रयत्न	Efforts to achieve Self Sufficiency for needs of Air Force and Navy . .	105
1772	भारतीय वायु सेना के लिए डीप पैनेट्रेशन लो लेवल लड़ाकू विमान	Deep Penetration Low level Combat Aircraft for Indian Air Force .	105
1773	खेतरी और कोलिहान खानों के उत्पादन कार्यक्रम को पुनरीक्षित करके कम किया जाना	Downwards Revision of Production Scheduled of Khetri and Kolhan Mines	106
1774	कोयले की कमी के लिये कोयला खान प्राधिकरण को दोषी ठहराना	Coal Mines Authority blamed for coal shortage	107
1775	लौह अयस्क और इस्पात के निर्यात के तुलनात्मक उपलब्धि	Comparative return on Export of Iron Ore *vis-a-vis* steel	107
1776	आस्ट्रेलिया और भारत के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत का परिणाम	Outcome of talks between Prime Ministers of Australia and India .	108
1777	पाकिस्तान और ईरान द्वारा संयुक्त रक्षा अभ्यास	Joint Defence Exercise by Pakistan and Iran	109

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1778	पाकिस्तानी युद्ध बंदियों के शिविरों से भागने का प्रयत्न करते समय गिरफ्तार किये गये और मारे गये पाकिस्तानी युद्धबंदी	Pakistani P.O.W. arrested and killed in bids to escape from P.O.W. Camps	109
1779	हड़तालों तथा तालाबंदी से जन-दिवसों की हानि	Man-days lost due to strikes and lock-outs	110
1780	जिनेवा में भारतीय मिशन में श्रम विषय संभालने के लिये व्यवस्था	Arrangement to handle labour portfolio in Indian Mission at Geneva . .	111
1781	बोनस पुनर्विलोकन समिति में रिक्त पद का भरा जाना	Filling of Vacancy in Bonus Review committee	111
1782	छोटा नागपुर के लोगों को उस क्षेत्र के भारी उद्योगों में रोजगार देने में प्राथमिकता	Employment to people of Chotanagpur on Priority basis in the Heavy Industries in that area	111
1783	अत्यावश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे उद्योगों में हड़तालों पर रोक लगाने का प्रस्ताव	Proposal for Ban on Strikes in industries producing essential commodities	112
1784	अलौह धातुओं में मूल्यों में परिवर्तन	Variation in Price of Non-Ferrous Metals	112
1785	ईरान की सैनिक शक्ति में वृद्धि के लिये चीन की सहायता का समाचार	Reported Chinese support to Iran's Military Build up	113
1786	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की लौह अयस्क परियोजनाएं	Iron ore project of NMDC	113
1787	अक्तूबर, 1973 में कोयले के मूल्यों में भारी वृद्धि की संभावना	Expected steep rise in Coal prices in October, 1973	113
1788	टैक्सी के रूप में चलाये जाने के लिये निर्धारित किया गया कारों का कोटा	Quota of Cars earmarked to be run as Taxis	114
1789	मैसूर में बौक्साइट अयस्क का पाया जाना	Availability of Bauxite Ore in Mysore.	114
1790	भारत में कोकिंग कोयला के अनुमानित निक्षेप	Estimated Deposits of Coking Coal in India	114
1791	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन	Production of Electornics items for Consumer interest by HAL . .	116
1792	ईंधन नीति संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Fuel Policy .	116

27 LSS/73—2.

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1793	स्वास्तिक प्रेस तथा साविले (पी) लिमिटेड दिल्ली द्वारा कर्मचारियों को परिचय पत्र जारी करना	Issue of Identity cards to shop Employees by Swastik press and Savile (P)Ltd. Delhi	116
1794	त्रिपुरा के कृषि मजदूर की न्यूनतम मजदूरी	Minimum Wages of Agricultural Labour In Tripura	117
1795	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से इस्पात का आयात किया जाना	Canalisation of Steel Imports through HSL and MMTC	117
1796	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों तथा इस्को द्वारा इस्पात का उत्पादन	Production of Steel by public Sector Steel Plants and IISCO . . .	118
1797	जून, 1973 में कोचीन के गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Dock Workers of Cochin during June, 1973	119
1798	दक्षिण भारत में इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Steel Plants in the South	119
1799	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को राजनयिक मान्यता	Diplomatic Recognition to PRG of South Vietnam	119
1800	एल्यूमीनियम का उत्पादन करने के लिये मुख्य रूप से आवश्यक कच्चा माल ऐल्यूमिनिनेट के केवल निर्यात के लिए कारखानों की स्थापना	Setting up of Factory only to export aluminate, a basic raw material to produce aluminium	120
	12 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6945 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting Answer to U.S.Q. No. 6945 dated 12-4-73 .	120
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	121
	दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर की कथित हत्या में पुलिस की मौन-सहमति का समाचार	Reported connivance of the Police in the all enged murder of a taxi driver in Delhi	121
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S M. Banerjee	121
	श्री कृष्णा चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant .	
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table . .	121
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	126 127

अता०प्र०संख्या विषय U.S.Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अध्ययन दलों के प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखे गये ।	Reports of study Groups -Laid .	127
भारत-बंगला देश संयुक्त घोषणा पर रावलपिंडी में हुई वार्ता के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Talks in Rawalpindi on Indo-Bangladesh Joint Declaration	128
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh . . .	128
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Drought conditions in Eastern U.P. and Bihar. . .	129
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed. . .	129
सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक	Customs, Gold (Control) and Central Excise and Salt (Amendment) Bill	131
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	131
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	132
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	145
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee .	145
31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Thirty first Report presented	145

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरूवार, 2 अगस्त, 1973/11 श्रावण, 1895 (शक)

Thursday, August 2,1973/Sravana 11, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय मूलक ब्रिटिश पासपोर्ट धारियों द्वारा पालम हवाई अड्डे पर भूख हड़ताल

*161 **श्री एच० एम० पटेल**:: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय मूलक ब्रिटिश पासपोर्ट धारियों ने कुछ समय पूर्व दिल्ली (पालम) हवाई अड्डे पर भूख हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनका भूख हड़ताल करने का क्या प्रयोजन था और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) मई, 1973 में भारतीय मूल के 14 यू० के० पासपोर्ट धारकों को उनके यू० के० में प्रवेश करने के असफल प्रयासों के बाद विदेशी हवाई कंपनियों द्वारा पालम लाया गया। इन लोगों ने जो पहले भारत में रहते थे, आप्रवासन करना अस्वीकार कर दिया और 42 दिन तक ट्रान्जिट लाउंज में ही रुके रहे। हमारी सूचना के अनुसार उनमें से कुछ लोगों ने तो करीब एक सप्ताह तक हवाई कंपनी द्वारा दिया खाना भी नही लिया।

(ख): ऐसा समझा जाता है कि युनाइटेड किंगडम में प्रवेश पाने के उद्देश्य से ये लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। सरकार का हमेशा यही विचार रहा है कि यू० के० पासपोर्ट धारकों की जिम्मेदारी यू० के० सरकार की है।

श्री एच० एम० पटेल: मंत्री महोदय को ज्ञात होगा कि उनका उत्तर पहले 14 व्यक्तियों से ही संबंधित है, 107 अन्य व्यक्तियों को भी विमान से उतार लिया गया था और अतिक्रमण करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। क्या मंत्री महोदय को पता है कि उनका निजी सामान उन्हें नहीं दिया गया और वह पुलिस के कब्जे में है। इस प्रकार वे कई दिन से वही कपड़े पहने हुए हैं जो उनके शरीर पर उस समय थे। उनका भारी सामान सीमाशुल्क विभाग के पास है यद्यपि मजिस्ट्रेट ने उसे उन्हें दे देने का निर्णय दिया था। उक्त विभाग ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि पुलिस उन्हें विभाग द्वारा

जांच किए बिना ही थाने ले गई। मेरे विचार में यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है । उन्हें काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं । क्या मंत्री महोदय कोई कार्यवाही करें गे ताकि उनकी कठिनाइयां कम हों ?

यद्यपि उनके पास ब्रिटिश पारपत्र हैं परन्तु उनके ब्रिटेन में प्रवेश के सम्बन्ध में वहां की सरकार की अपनी नीति है । इनमें से अनेक व्यक्तियों के मातापिता ब्रिटेन में हैं जहां वे कार्य कर रहे हैं और ये छात्र थे जो यहां अध्ययन कर रहे थे । उगांडा के राष्ट्रपति ने अब निर्णय किया है कि सभी भारतीयों को वहां भेज दिया जाये । अब जब कि ये छात्र अपना अध्ययन यहां पूरा कर चुके हैं उचित यही है कि उन्हें अपने माता पिता के पास भेज दिया जाये । ऐसे छात्र 25 या 30 हैं । क्या मंत्री महोदय उनके मामले को यू० के० सरकार के पास सहानुभूतिपूर्वक विचार के हेतु भेजने पर विचार करेंगे क्योंकि मैं मानता हूं कि वह इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते ?

ऐसे ही अन्य छात्र भी उनमें हैं जिनके माता पिता यद्यपि वहां नहीं हैं परन्तु उनके चाचा, मामू आदि वहां पर हैं जो उनको वित्तीय सहायता देते हैं । उनका मामला भी पहली श्रेणी में आता है । मेरा सुझाव है कि उनका मामला भी उठाया जाये क्या मंत्री महोदय ऐसा करेंगे ?

ब्रिटिश सरकार के आदेश के बावजूद इन लोगों को मात्र एजेंटों द्वारा प्रलोभन दिए जाते हैं और उन्हें ब्रिटेन में प्रवेश का आश्वासन दिया जाता है जिसके लिए वे एजेंटों उन लोगों से भारी रकमें वसूल करते हैं । क्या मंत्री महोदय इन एजेंटों आदि के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सदस्य महोदय की पहली दो बातें प्रश्न न होकर सुझाव मात्र हैं जिन्हें मैंने नोट कर लिया है । भारी सामान और यात्रियों के व्यक्तिगत सामान के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है । मैंने इन्हें नोट कर लिया है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनकी कठिनाइयां शीघ्र दूर हों। यू० के० में काम कर रहे लोगों के आश्रितों के बारे में चाहे वे छात्र हों या अन्य व्यक्ति सदस्य महोदय हमारी कठिनाई और मजबूरी समझते हैं । फिर भी जहां तक संभव होगा हम उनका मामला ब्रिटिश सरकार के साथ उठाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक शीघ्र विचार करे । इससे अधिक का वचन मैं नहीं दे सकता । यात्रा एजेंटों के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में यह ठीक है कि कुछ धूर्त एजेंटों ने काफी धन प्राप्त करके कुछ लोगों को ऐसे झांसे दिए हैं परन्तु में यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि भारत सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है हां मैं यह अवश्य सुनिश्चित करूंगा कि इस मामले में भी कोई कार्यवाही की जाय।

श्री राम सहाय पाण्डेय: भारत मूलक लोगों के बारे में जिनकेपास ब्रिटिश पारपत्र हैं और जो अफ्रीकी देशों में रहते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री हीथ ने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि उन्हें ब्रिटेन में आने दिया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि अफ्रीका के कितने भारत-मूलक ब्रिटिश पारपत्र धारियों को ब्रिटेन में बसाया जा चुका है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : शायद सदस्य महोदय का संकेत उन लोगों की ओर है जिन्हें अगस्त, 1972 की घोषणा के बाद उगांडा छोड़ने के लिए कहा गया था यह ठीक है कि ब्रिटिस सरकार ने उन लोगों की पूरी जिम्मेदारी ले ली है और जहां तक मुझे स्मरण है ब्रिटिश सरकार ने लगभग 28,000 लोगों को प्रवेश पत्र दिये थे जिनमें से 3000व्यक्ति भारत आये हैं और शेष यू० के० चले गए हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : As admitted by the hon. Minister, those who resorted to hungerstrike at the Airport are British passport-holders. I want to know why they were detained there. They are the headache of U.K., then why they were not permitted to go to U.K., why they were arrested ? I want to know the facts of the case ?

Shri Surendra Pal Singh : There is no question of British passports or no such passports, Actually, they tried to enter U.K. by fair means or foul and they did not succeed in doing so. They were not allowed even to land there. Out of these fourteen persons, eight tried to do so. They almost succeeded in reaching there but there they had to return. The remaining six persons also met the same fate. When they were not accepted, the Airlines are duty bound to bring them back and they were brought back. They had gone to many other places and did not return directly ? When they were asked to land in India, they refused. They were, therefore, kept in the transit lounge. In the meanwhile, negotiations were going on between the travel agents and representatives of U.K. High Commission. Ultimately, they were persuaded to go and they went away.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government ousted them. Their food was stopped, the lavatory was locked. This is how Indians were treated. The hon. Minister should not forget that they are Indians, whatever be the colour of their passports.

Shri Surendra Pal Singh : This allegation is not true.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I went there and I had seen these things myself.

Shri Surendra Pal Singh : We were not at all harsh to them. Though they cannot stay in the transit lounge for a single day, we allowed them for 42 days. The Airlines arranged for their food and they were well looked after. Our sympathies are with them. What else could we do for them ?

श्री जी० विश्वनाथन : क्या यह सच नहीं है कि यात्रियों को विमान के अन्दर पीटा गया और क्या उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई थी यदि हां, तो एयरलाइन्स स्टाफ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुरेन्द्रपालसिंह : शायद सदस्य महोदय ने उन 107 व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिन्हें बलात् निकाला गया था। जहां तक मुझे पता है किसी को पीटा नहीं गया । पहले अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परन्तु जब उन्होंने विमान से बाहर आने से इन्कार कर दिया तो कुछ को बाजू से पकड़कर बाहर निकलने को कहा गया । उन्हें न धक्के मारे गए और न ही मारपीट की गई ।

Shri Jagannath Misra: What is the attitude of Government towards those helpless and halpless Indians who are living elsewhere and are ousted from there ?

Shri Surendra Pal Singh : This question has been answered many times before. All Indian Nationals living abroad can gladly come to India when ousted and We look after them. Those who are not Indian Nationals are also helped to some extent. Moreover, we cannot do anything except requesting the Government of that country whose passports they hold.

श्री जी० जी० मावलकर : खेद है कि अभी दिए गए कुछ उत्तरों से मंत्री महोदय ने सभा को भ्रम में डाला है। उन्होंने पूर्वी अफ्रीकी एशियाइयों के दो ग्रुपों का उल्लेख किया है एक ग्रुप 14 व्यक्तियों का पहले आया था और दूसरा 107 व्यक्तियों ग्रुप बाद का था। इन 107 एशियाइयों में से अधिकांश युवा छात्र थे जो गुजरात और बम्बई के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे । इन में से कुछ छात्रों को मैं जानता हूं। इन 107 एशियाइयों में से 59 उगांडा से, 25 केनिया से और 23 तनजानिया से आए थे।

उनका कहना है कि उन्हें पीटा नहीं गया । तथ्य यह है कि ये 107 यात्री पान अमरीकन एयरवेज के विमान से बेंकाक से दिल्ली आए । उन्होंने बिमान से बाहर आने से इन्कार कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि एयरवेज ने उन्हें लंदन ले जाने का वचन दिया था । यदि उनके पास दिल्ली उतरने का कोई पारपत्र या विज़ा नहीं था तो पुलिस ने क्यों हस्तक्षेप किया ? पुलिस ने उन्हें क्यों पीटा

और एक नहीं पांच व्यक्तियों को पीटा जिनमें दो महिलाएं थीं ? मुझे ठीक पता है कि उन्हें पीटा गया था। 19 घंटे तक वे विमान में ही अपने सामान के साथ डटे रहे । इनमें छोटे-छोटे बच्चों वाली महिलाएं भी थीं, जिन में से चार बच्चे 16 वर्ष से भी कम आयु के थे । उन्हें न खाना दिया गया न पैसे और उन्हें इतने दिनों तक जेल में रखा गया ।

अब, मंत्री महोदय ने कहा है कि किसी को पीटा नहीं गया । मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की क्या नीति है ? क्या उनकी नीति है कि भारत-मूलक हमारे अपने लोगों को पिटने दिया जाये और इस प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार होने दिया जाये ? पुलिस ने क्यों हस्तक्षेप विमान में घुसकर उन्हें पीटा ?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न पूछते समय लम्बे भाषण देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: गुजरात के सदस्यों का इस प्रश्न से भावात्मक संबंध है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: यह ठीक है कि 107 व्यक्तियों के इस ग्रुप ने विभिन्न मार्गों से ब्रिटेन जाने का प्रयास किया जिसमें वे असफल रहे । अन्त में वे भारत आए । यहां आने पर उन्होंने विमान से बाहर निकलने से इनकार कर दिया । अमरीकी प्राधिकारियोंने हमें कहा। एयरलाइन्सके लोगोंने इन लोगों को विमान से निकालने में हमारी सहायता मांगी ।

एक माननीय सदस्य: उन्हें पीटा क्यों गया ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: पहले ही बता चुका हूं कि उन्हें पीटा नहीं गया । हमारे प्राधिकारी उन लोगों से मिले, बातचीत की और उन्हें विमान से निकलने के लिए मनाया । उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि वे न केवल नागरिक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं अपितु अन्य यात्रियों को भी असुविधा हो रही है क्योंकि वे विमानों के निर्बाध आगमन में भी बाधा बन रहे हैं । यह आपराधिक उल्लंघन है । अतः प्राधिकारियों ने उन्हें विमान को छोड़ने के लिए समझाया । क्योंकि वे बाहर नहीं आये, अतः कुछ बल प्रयोग करना पड़ा ?

श्री जी० विश्वनाथन: किस बल का प्रयोग किया गया ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: उन्हें कुछ व्यक्तियों को पकड़ कर विमान से बाहर निकालना पड़ा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, this point has not been clarified. Their luggage is still lying in the airport lounge.

अध्यक्ष महोदय: श्री पटेल के प्रश्न के उत्तर में यह बात पहले ही बताई जा चुकी है ।

संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की प्रतिशतता

*164. **श्री दीनेन भट्टाचार्य:** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री: यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या वृद्धि की प्रतिशतता आशा से बहुत कम रही है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, 1971-72 के दौरान अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दर 2.8 प्रतिशत थी ।

(ख) और (ग) : संगठित क्षेत्र में रोज़गार में वृद्धि के अनुपात के बारे में कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया। अतः रोज़गार में वृद्धि आशा से कम होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : खेद है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था योजनाबद्ध है.......

श्री पीलू मोदी : मैं इस बात से सहमत हूं

श्री दीनेन भट्टाचार्य : फिर भी प्रगति नहीं हुई है। जब सरकार योजनाबद्ध विकास पर इतने दावे करती है फिर नियोजन-वृद्धि के बारे में वह क्या करने जा रही है? 2.8 प्रतिशत वृद्धि में से सरकारी क्षेत्र की प्रतिशतता क्या है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : रोजगार में वृद्धि 1960-61 में 120.1 लाख थी और 1965-66 में लगभग 154.6 लाख थी अर्थात 26 प्रतिशत अधिक थी । औसत वृद्धि की दर पर 5.5 प्रतिशत थी। 1966-67 में यह वृद्धि 0.8 प्रतिशत थी जबकि 1967-68 में यह लगभग नगण्य थी । 1968-69 में इसमें कमी हो गई सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के अलग-अलग आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अभी दिए गए आंकड़ों के अनुसार क्योंकि स्थिति संतोषजनक नहीं है अतः सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठायेगी कि कम से कम सरकारी क्षेत्र में नियोजन वृद्धि की दर कम न हो बल्कि बढ़ती रहे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि सदस्य महोदय को पता है, नियोजन-वृद्धि आर्थिक विकास और सरकारी क्षेत्र के विकास पर निर्भर करती है। चौथी योजना और पांचवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में जिस प्रकार के पूंजी निवेश किए गए हैं उससे सरकार की आर्थिक-विकास और रोजगार के अवसरों के प्रति चिन्ता स्पष्ट झलकती है । इसके अलावा, इस प्रयोजनार्थ अनेक विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं—शिक्षितों के नियोजन के लिए द्रुत कार्यक्रम इन सभी प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या इस सीमित वृद्धि का लाभ भी केवल नौकरी पेशा लोगों के बच्चों को ही मिला है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को बहुत कम लाभ मिला है? यदि हां, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लाभ के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य को पता है कि सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लिये विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं, कृषि मंत्रालय द्वारा सीमांत कृषकों तथा खेतिहर मज़दूरों के लिए अन्य कार्यक्रम बनाये गये हैं। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां के लिए विशेष कार्यक्रम बनाये गये हैं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has mentioned in his reply as to what has been the percentage of increase in employment Potential. He should also give the figures of the unemployed educated as well as uneducated.

श्री रघुनाथ रेड्डी : बेरोज़गार सम्बन्धी समिति के आंकड़ों के अनुसार माननीय सदस्य जो आंकड़े चाहते हैं वे इस प्रकार हैं: दिसम्बर, 1970 में शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या अथवा उन शिक्षित लोगों की संख्या जिन्हें रोज़गार की तलाश थी 18.2 लाख थी और अन्य लोगों की संख्या 22.5 लाख थी; इस प्रकार कुल संख्या 40.7 लाख थी। दिसम्बर, 1971 में रोज़गार तलाश करने वाले शिक्षित लोगों की संख्या 23 लाख थी और अन्य लोगों की संख्या 28 लाख थी। इस प्रकार कुल संख्या 51 लाख हो गई: दिसम्बर. 1972 में शिक्षित श्रेणी के लोगों की संख्या 32.7 लाख तथा अन्य लोगों की 36.3 लाख थी। स प्रकार कुल संख्या 69 लाख हो गई। मई 1973 तक के शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोज़गारों के पृथक-पृथक आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु कुल संख्या 74.4 लाख है।

श्री मधु लिमये : ना ही आपके पास कोई योजना है और न ही कोई विकास कार्यक्रम।

श्री पीलू मोदी : परन्तु वृद्धि तो है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस समय रोजगार युवकों की संख्या कितनी है तथा वर्ष 1973-74 के लिए रोजगार का लक्ष्य क्या है और शिक्षित तथा अशिक्षित युवकों की संख्या कितनी-कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय ने श्री मधु लिमये के प्रश्न के उत्तर में अभी-अभी बताया है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में और कुछ बताना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, सम्पूर्ण पांचवी योजना का लक्ष्य गरीबी असामनाता तथा बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने पर केन्द्रित है।

श्रीमती सावित्री श्याम : क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य का पता है कि संगठित क्षेत्र में महिला कर्मकारों की संख्या प्रत्येक वर्ष कम होती जा रही है, और यदि हां, तो सरकार इस प्रवृति को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है? हाल ही में जो प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है उसमें यह प्रवृति दिखाई पड़ती है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस समय मेरे पास महिला कर्मचारियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करा सकता हूं कि सरकार महिलाओं के लिये प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विकास करने हेतू प्रत्येक संभव कार्यवाही करेगी।

श्री बसंत साठे : आपने अभी अभी जो आंकड़े दिये हैं वे आपने कहां से उपलब्ध किये हैं? क्या ये आंकड़े रोजगार कार्यालयों से लिये गये हैं अथवा अन्य किसी स्रोत से?

श्री रघुनाथ रेड्डी : रोजगार कार्यालयों से।

Shri Hukam Chand Kachwai : In his reply, the Hon. Minister has mentioned the figures of the employment provided during 1970. I want to know as to what was the target for employment and how far it has been achieved. May I know as to what action the Government propose to take to improve employment potential and what are the main reasons for which the target for employment has not been achieved ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : वर्ष 1969 में रोजगार के अनुमानित आंकड़े 166.3 लाख थे 100.30 लाख सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 66 लाख गैर सरकारी क्षेत्र में। मार्च, 1972 में 179.80 लाख जिसमें 110.1 लाख सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 69.7 लाख गैर सरकारी क्षेत्र में। ये आंकड़े हैं और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The target for employment has not been achieved. What are the reasons for that ? What were the difficulties in achieving the target ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक लक्ष्य का संबंध है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। यह रोजगार क्षमता थी ....(**व्यवधान**)। जैसा कि मैंने बताया है, रोजगार क्षमता विकास में वृद्धि की दर से संबंध है।

अध्यक्ष महोदय : श्री डी०के०पंडा—अनुपस्थित।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही —वह भी यहां नहीं है।

विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाना

*167. **श्री सतपाल कपूर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत लाया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बारे में एक आवश्यक संशोधन विधेयक संसद में पेश करने का है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : राष्ट्रीय श्रम आयोग कब सिफारिशों और स्थायी श्रम समिति के 29वें सत्र के निष्कर्षों के प्रकाश में विश्व-विद्यालयों के गैर-अध्यापन स्टाफ को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

Shri Satpal Kapur : From the Hon. Minister I am getting the same reply since last three sessions. Always he says that the bill is being brought. I want to know whether very shortly, he takes for an unlimited period. May I know whether the bill will be introduced during this session or not ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: जैसा कि मैंने बताया है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों और स्थायी श्रम समिति के 29वें सत्र के निष्कर्षों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है और जैसे ही हम निर्णय के अन्तिम चरण में पहुंचेंगे, इस पर विचार किया जायेगा।

Shri Sat Pal Kapur : Millions of employees of the universities in the country are facing difficulties. May I know the time by which the consideration in the various stages will be over ?

Mr. Speaker : You should ask directly as to what definite period it will take ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अन्तिम निष्कर्ष क्या निकलेगा, यह मैं अभी नहीं बता सकता, परन्तु मैं अन्तिम निर्णय करने के लिए प्रयास कर रहा हूं चाहे वह निर्णय कुछ भी हो।

श्री पीलू मोदी: ऐसा क्यों है कि सरकार के नियंत्रणाधीन संगठनों तथा संस्थानों में भी समान सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं? बनारस विश्वविद्यालय के गैर अध्यापन कर्मचारियों के मामले पर यदि ध्यान दिया जाये तो पता चलता है कि वहां स्थिति में सुधार के लिए बहुत सी मांगें की जा रही हैं। सरकार ने उन पर भी ध्यान नहीं दिया है।

श्री रघुनाथ रेड्डी: माननीय सदस्य को दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पता है। यह ए आई आर 1963-एस०सी०-1873 से लिया गया है। विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान, औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले उद्योग नहीं रह गये हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम विश्वविद्यालय आदि पर लागू नहीं होता है । राष्ट्रीय श्रम आयोग तथा स्थायी श्रम समिति ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं की हैं और जैसा कि मैंने बताया है इस पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है और अन्तिम निर्णय करने की आशा करते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : केवल कालिजों के कर्मचारी ही नहीं अपितु अस्पतालों तथा क्लबों के कर्मचारी भी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। क्या उन्हें पता है कि दिल्ली कर्मचारी संघ..

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है आप इसमें अन्य बहुत सी बातें क्यों लाते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उन्हें पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने हड़ताल करने का निर्णय किया है। यह इसी बारे में अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिये किया गया है। क्या मंत्री महोदय कर्मचारियों से बातचीत करेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्पष्ट निर्णय के अभाव में ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अलग प्रश्न है . . ऐसे विषयों पर आपको नियम 377 के अन्तर्गत पर्याप्त प्राप्त अवसर हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी: दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का ऐसा कोई संदर्भ मुझे याद नहीं आ रहा है। श्री बनर्जी मेरे साथ मामले पर बातचीत कर सकते हैं और मैं जो कुछ कर सकता हूं निश्चयपूर्वक करूंगा।

Shri N. N. Pandey : Is he aware that the Vice-Chancellors of several universities have objected to bringing the non-teaching staff under the Industrial Disputes Act ? Is it for this reason that he is evading the matter for last five years ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: श्रीमन• विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों के गैर अध्यापन कर्मचारियों ने बहुत से अभ्यावेदन दिये हैं कि उनका मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये। इस विषय में मतभेद भी हैं। अतः हमें निर्णय करने से पूर्व इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

श्री नरसिंह नारायण पांडे: श्रीमन, मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या बहुत से वाइस चांसलरों ने इस विचार के विरोध में मंत्रालय को बहुत से सुझाव दिये हैं। क्या इसीलिये मंत्री महोदय इसकी उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी: मुझे वाइस चान्सलरों के सुझावों के बारे में इस समय कुछ भी याद नहीं आ रहा है, हो सकता है ऐसा हो, मुझे इस बारे में जांच करनी पड़ेगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम संशोधन करने के लिए कौनसी बातें मंत्रालय के विचाराधीन हैं जिससे कि इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का कर्मचारी वर्ग इस विधेयक के अन्तर्गत आ सके अथवा उत्पादन के मामले में यदि वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम कोई रुकावट पैदा करता है तो क्या मंत्रालय द्वारा अन्य सभी कमियों को पूरा करने के लिए औद्योगिक संबंध विधेयक लाया जा रहा है? मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए औद्योगिक संबन्ध अधिनियम के संशोधनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक सरकार का सम्बन्ध हैं, सरकार औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को पूरी प्राथमिकता दे रही है और विधेयक तैयार करने के लिये प्रयास किये जा रहें है। जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रमुख रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम के संशोधनों से सम्बन्धित हैं। जिस बात पर विचार किया जा रहा है वह यह है कि क्या कोई तुरन्त उपाय करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया जाये अथवा नहीं।

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether the Hon. Minister has received any memorandum from All India Federation of university employees and Patna university Karamchari union in this regard, if so, the contents thereof and the reaction of the Government thereto ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने बताया है कि बहुत से गैर अध्यापन कर्मचारी संघों ने अपने अभ्यावेदन भेजे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं विशेष रूप से गैरअध्यापन कर्मचारी संघ तथा पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री रघुनाथ रेड्डी: यदि माननीय सदस्य विशिष्ट उत्तर चाहते हैं तो वह इसके लिए नोटिस देकर विशेष प्रश्न पूछें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सामान्य ढंग का है।

Shri Ramavatar Shastri : No matter, if he does not recollect about Patna university Karamchari union, he may tell us the contents of their representation received from All India non-teaching staff Federation.

Mr. Speaker : How does Patna come in ?

Shri Ramavatar Shastri : Both of the unions have sent their representations to the Hon. Minister. If it is not so, he may tell us the contents of the representation received from All India non teaching staff Federation.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत गैर अध्यापन कर्मचारी भी आते हैं। मेरा तात्पर्य आपके तथा मंत्री महोदय के बीच व्यवधान बनने का नहीं है। यदि उनके पास जानकारी है तो प्रसन्नता का विषय है वह आपको बता सकते हैं। अन्यथा सदन का समय न लीजिये।

श्री रघुनाथ रेड्डी: बहुत से संगठनों ने अपने अभ्यावेदन दिये हैं। मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है कि उस विद्यालय विशेष के संघ से भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाइये। मंत्री महोदय कहते हैं कि उनके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। तर्क में मत जाईये। कृपया आप इस ओर ध्यान दें और माननीय सदस्य को सूचित करें।

श्री ए० पी० शर्मा : राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं? सरकार को इस प्रकार का संशोधन करने के लिए कितना समय अथवा कितने और वर्ष लगेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आपने फिर वही प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर अभी दिया गया था।

श्री ए० पी० शर्मा: मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को और कितने वर्ष लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 168 श्री एस० एम० बनर्जी।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न पूछने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न का भाग (क) इस प्रकार होना चाहिए

"क्या वेतन आयोग ने विचार नहीं किया है ...."

'नहीं' शब्द प्रकाशन में अथवा कहीं अन्यत्र निकल गया है। परन्तु मैंने प्रश्न के नोटिस में 'नहीं' शब्द का उल्लेख किया था।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि प्रश्न में 'नहीं' आया है तो मंत्री महोदय वैसा ही उत्तर देंगे, यदि प्रश्न अन्य किसी प्रकार से है तो उत्तर उसी के अनुसार दिया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने प्रश्न इसीलिए पूछा था कि वेतन आयोग ने विचार नहीं किया है। अब मैं प्रश्न संख्या 168 पूछता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रश्न का उसी प्रकार उत्तर दे रहा हूं जैसा कि गत प्रश्नों की सूची में प्रकाशित हुआ है।

रक्षा कर्मचारियों को बोनस देना

*168 **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग ने रक्षा कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब मंत्रालय उन्हें 8.33 प्रतिशत का न्यूनतम बोनस देने का निर्णय करेगा जैसा कि सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) तृतीय वेतन आयोग ने रक्षा कर्मचारियों को बोनस देने के लिए किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 रक्षा स्थापनाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों?

श्री एस० एम० बनर्जी: मैंने वेतन आयोग के बारे में पूछा है और मंत्री महोदय ने बताया है कि वेतन आयोग ने कोई विचार नहीं किया है।

जब श्री आर० के० खाडिलकर श्रम मंत्री थे तब उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा था कि इस मामले पर वेतन आयोग द्वारा विचार किया जायेगा. . . .

श्री ए० पी० शर्मा : तत्कालीन श्रम मंत्री ने।

श्री एस० एम० बनर्जी : जी, हां। तत्कालीन श्रम मंत्री ने। मैं श्री खाडिलकर के बारे में कह रहा हूं। वर्तमान श्रम मंत्री का नाम खाडिलकर नहीं है।

लगभग उन सभी सदस्यों ने, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आन्दोलन अथवा संघों से सम्बद्ध थे, इस बात को स्पष्ट करना चाहता था कि यह मामला वेतन आयोग के विचाराधीन नहीं है और न हीं यह वेतन आयोग के निर्देश दरों में आता है। परन्तु तत्कालीन श्रम मंत्री ने अपनी बात पर जोर दिया था। वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और उन्होंने इस समस्या पर विचार नहीं किया है। जब हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड तथा भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड तथा अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रमों (यहां तक कि माडर्न बैकरीज में ब्रेड बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने भी) के रक्षा कर्मचारी बोनस प्राप्त करने के अधिकारी हैं तब रक्षा उद्योगों में आधुनिक हथियार तथा अन्य वस्तुएं बनाने वाले कर्मचारी इससे क्यों वंचित रखे गये हैं। इस भेद भाव का क्या कारण और क्या सरकार भेदभाव दूर करने के इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रही है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा कि मैं अपने मुख्य उत्तर में उल्लेख कर चुका हूं, वेतन आयोग ने इस बारे में कारणों आदि का कोई उल्लेख नहीं किया है। सरकारी कर्मचारियों को बोनस नहीं दिये जाने के कारण बताये गये हैं...........

श्री इन्द्रजीत गुप्त: किसने कारण प्रस्तुत किये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल उक्त कारण सरकार की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। चूंकि माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि उक्त मामला किस आधार पर निकाला गया है तो मैं इस बारे में दिये गये विचार प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उक्त विचार किसने प्रस्तुत किये ? ये सरकार के विचार नहीं हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : ये कारण प्रस्तुत किये गये हैं। सरकार ने अभी फैसला नहीं किया है। अतः मैं केवल उन्हीं कारणों को प्रस्तुत कर रहा हूं जो हमारे सामने विचार के लिए रक्खे गये हैं। वे इस प्रकार हैं :—

"1. बोनस अधिनियम को सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए चूंकि उक्त प्रतिष्ठानों को कम्पनियों के रूप में नहीं चलाया जाता और उनकी लेखा प्रणाली बोनस फार्मूला लागू करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

2. ऐसे प्रतिष्ठान सामान्य रूप से समुदाय के हितों के संवर्धन के लिए कार्य करते हैं और लाभ होने पर, यदि लाभ हो तो, उसे राजस्व में शामिल किया जा सकता है जिसका देश में आवश्यक परियोजनाओं के सुधार के लिए फिर से उपयोग किया जा सकता है............"

तीसरा कारण यह है कि "नये वेतन ढांचे की सिफारिश करते हुए, तीसरे वेतन आयोग..." जिन्होंने यह कारण प्रस्तुत किये हैं उन्होंने यह अनुमान लगाया है........

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वे कौन व्यक्ति हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : विभिन्न प्रकार के लोग हैं और विभिन्न प्रकार........

श्री एस० एम० बनर्जी: वे कौन लोग हैं ? मैं माननीय मंत्री और श्री जगजीवनराम के विचारों को जानता हूं। उन्हें रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों से सहानुभूति है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि वे लोग कौन हैं जो बाधा डाल रहे हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य धीरज से काम लें। मैं पहले अपना उत्तर पूरा कर लूं। यदि अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को और प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं, तो मैं इसका भी उत्तर बाद में दूंगा।

तीसरा कारण यह है कि : "नये वेतन ढांचे के बारे में सिफारिश करते हुए.........." जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया है—

"......तीसरे वेतन आयोग ने पहले ही इस तथ्य पर विचार किया है कि सरकारी कर्मचारियों को बोनस देय नहीं है। यदि उन्हें बोनस देय होना होता तो आयोग ने कम वेतन मानों की सिफारिश की होती ।"

Shri Atal Bihari Vajpayee : Hesays 'might have recommended' The Pay Commission's report has come, and nothing is mentioned regarding bonus in that report. I do not understand the tense in which he is talking.

श्री भोगेन्द्र झा : हम यह जानना चाहते हैं कि वह कौनसा अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा संगठन है जिसन उक्त सिफारिश की है। (व्यवधान)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपने हमें अनेक अवसरों पर तर्कसंगत रहने को कहा हैं उन्होंने अभी ऐसी बातें कहीं हैं जो असंगत है।

अध्यक्ष महोदय: शान्त ! शान्त ! कृपया बैठ जायें। उन्हें प्रश्न पूछने दें।

श्री भोगेंद्र झा : लेकिन हमें उत्तर समझ में आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्रीबनर्जीको अपने विषय की पूरी जानकारीहै। वह अच्छी तरह समझ सकते है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछने से पहले आपका संरक्षण चाहता हूं। उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी है। मैं यह नहीं जानता कि वे कौन लोग हैं (व्यवधान) अब तक श्री जगजीवन राम, श्री बहुगुणा और रेलवे मंत्री ने यह कहा है कि जैसे ही वेतन आयोग का प्रतिवेदन आयेगा सरकार इस विषय पर विचार करेगी। वेतन आयोग का प्रतिवेदन किसी बात के बिना आ गया है और अब सरकार इस विषय पर विचार नहीं कर रही है। अतः उन्हें इस बात का उत्तर देना चाहिए कि वह कौनसा प्रभावपूर्ण निकाय है जिसने बोनस न देने की सिफारिश की है। बोनस अब लाभ के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता। यह आस्थगित मजूरी है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को रक्षा मंत्रालय से उठाया था। जब कभी ऐसे प्रश्न या ज्ञापन प्राप्त होते हैं हम उनकी जांच करते हैं। जब तक इन मामलों की जांच की जाती है। इन मामलों से सम्बद्ध पक्ष में अथवा विपक्ष में दृष्टिकोण अथवा तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं। उन्होंने यह पूछा है कि इसको क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अतः मैंने कुछ ऐसे तर्क प्रस्तुत किये हैं जो इस पर विचार करने के विरुद्ध हैं.........

श्री भोगेन्द्र झा : किसके द्वारा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम यह नहीं कह सकते किसके द्वारा। मंत्रालय में जांच के समय इसके सम्बन्ध में पक्ष में अथवा विपक्ष में विभिन्न विचार व्यक्त किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कारणों का उल्लेख कर चुका हूं। लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने अन्तिम विचार नहीं बनाये हैं। चूंकि उन्होंने विशेष प्रश्न पूछा है, मैंने उन्हें उक्त जानकारी दी है। आप इस बारे में आपत्ति नहीं कर सकते। -

श्री एस० एम० बनर्जी: रोबर्ट ब्रूस की तरह इस मामले के लिए एक वर्ष से अधिक समय से प्रयत्न करता रहा हूं। क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि विभिन्न परियोजनाओं, आयुध कारखानों आदि में काम करने वाले रक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारियों ने, जिनकी संख्या लगभग $3\frac{1}{2}$ लाख है, इस मामले पर इस आधार पर हड़ताल करने का निर्णय लिया है कि विभागीय उपक्रमों में काम करने मात्र से सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। यदि हां, तो क्या वह

इस मामले पर निर्णय लेने के लिए इसे मंत्रिमंडल को सोंपेंगे जिससे इस मामले में भदभाव समाप्त किया जा सके और रक्षा कर्मचारियों को बोनस प्राप्त हो सके ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर मंत्रिमंडल स्तर पर निर्णय किया जायेगा। इस मामले में पूरी जांच की जा रही है। इस बारे में निश्चित रूप से मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया जायेगा कि क्या इस प्रकार का बोनस देय है अथवा नहीं।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री ने तीन कारण बताये हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह मेरे नहीं है ।

श्री बी० वी० नायक : मैं उन तीन कारणों का उल्लेख कर रहा हूं जो उन्होंने बताये हैं। पहला कारण लेखा प्रक्रिया है; दूसरा कारण लाभ को फिर से उद्योगमें लगाना और तीसरा काल्पनिक कारण बताया गया है। पहले दो कारणों का लेखे और वही खातों में परिवर्तन करके समाधान जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : तर्क न कीजिये ।

श्री बी० वी० नायक : इनपरिस्थितियों में पहले दो कारणों में परिवर्तन किया जा सकता है और तीसरा कारण काल्पनिक है। किरकी स्थित आयुध कारखानों में असन्तोष को ध्यान में रखते हुए क्या उनका यह विचार नहीं है कि इस मामले में शीघ्र कोई कार्यवाही की जानी चाहिए ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : रक्षा कर्मचारियों के विभिन्न आन्दोलनों से इस बात का बोध होता है कि वे वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं। इस बात का यहां उल्लेख किया जा चुका है अतः हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और पूर्ण समस्या की जांच के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।

श्री मधु दण्डवते : बोनस अधिनियम के उपबन्ध में यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम बोनस लाभ और हानि पर निर्भर नहीं करता। इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब लाभ में से बोनस नहीं दिया जायेगा। इसका यह आशय है कि यह आस्थगित मजूरी है--निर्वाह मजूरी और वर्तमान मजूरी का अन्तर । यदि न्यूनतम बोनस का यह आशय है तो आप रक्षा कर्मचारियों के मामले में, जिसमें यह अन्तर विद्यमान है, उक्त धारणा को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने कुछ भी अस्वीकार नहीं किया है। उक्त विशेष खंड, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता।

श्री मधु दण्डवते : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने बोनस अधिनियम में खंड के बारे में जानकारी मांगी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप उक्त मामला इस विषय पर चर्चा के समय उठा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उक्त मामले का वेतन आयोग से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप मामले को उलझा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ये बातें चर्चा के समय उठा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मामला वेतन आयोग को नहीं सौंपा गया था। वेतन आयोग इस मामले में अपने विचार कैसे दे सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यही है कि क्या वेतन आयोग ने इस विषय पर विचार किया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने उत्तर दिया है कि आयोग ने अपनी राय नहीं दी है। वह बिना पूछे अपने विचार कैसे दे सकता था । कृपया हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार स इस विषय पर वाद विवाद शुरू हो गया है (व्यवधान)

आप सब मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। कृपा बैठ जायें। यह बहुत बुरी आदत है। जब आप सब लोग उठ जाते हैं, तो न तो मैं ही आपको सुन सकता हूं और न ही रिपोर्टर और मंत्री आपको सुन पाते हैं । अतः ऐसा करने का कोई लाभ नहीं।

एक माननीय सदस्य : एक एक करके बुलाये।

अध्यक्ष महोदय: एक एक करके बोलने का कोई प्रश्न नहीं है। अब समय नहीं बचा है और प्रतिदिन हम चार से अधिक प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर पाते (व्यवधान) प्रश्न काल को वाद-विवाद का काल बनाना उचित नहीं। वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने की अनुमति दी जा चुकी है। आप ये सब प्रश्न उस समय पूछ सकते हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : यह बोनस का प्रश्न है। इसका वेतन आयोग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में सीसे और जस्ते का आयात

*169. **श्री एम० एस० संजीवीराव: श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में, देश की सीसे और जस्ते के आयात पर बढ़ती हुई निर्भरता को कम करने के लिए कोई तीन चरणों वाला कार्यक्रम आरम्भ करने का सरकार का विकास है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान जस्ता और सीसा धातु के स्वदेशी उत्पादन को वर्धित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। विद्यमान, कार्यान्वयनाधीन और उन जस्ता तथा सीसा प्रद्रावको के बारे में जिन्हें पंचम पंचवर्षीय योजना में चालू किया जाना प्रस्तावित है, विस्तृत ब्यौरे निम्नलिखित है:—

अवस्थापना	क्षमता (टन)	टिप्पणियां
क—जस्ता		
विद्यमान संयंत्र और कार्यान्वयनाधीन संयंत्र		

(i) विद्यमान		
(क) देबारी (उदयपुर के समीप)	18,000	जावर निक्षेपों पर आधारित तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (सरकारी) क्षेत्र द्वारा संचालित।
(ख) बिनौनापुरम (केरल)	20,000	आयातित जस्ता सान्द्रों पर आधारित, मैसर्स कोमिनको बिनानी जिंक लिमिटेड (गैर सरकारी क्षेत्र) द्वारा संचालित।
(ii) कार्यान्वयनाधीन		
(क) देबारी प्रद्रावक विस्तारण	27,000	1976-77 तक सम्पूरित होने की संभावना है।
(ख) विजाग (आंध्र प्रदेश) नया प्रद्रावक	30,000	1976-77 तक सम्पूरित होने की संभावना है। यह प्रद्रावक आयातित जस्ता सांद्रों पर आधारित है तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इस की स्थापना की जा रही है।
जस्ता हेतु क्षमता (विद्यमान और कार्यन्वयनाधीन)	95,000	
ख. सीसा		
(i) विद्यमान		
टुन्डु (बिहार)	3,600	जावर अयस्क निक्षेप पर आधारित तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (सरकारी क्षेत्र) द्वारा संचालित।
(ii) कार्यान्वयनाधीन		
(क) टुन्डु (बिहार) आधुनिकीकरण	2,400	
(ख) विजाग (आंध्र प्रदेश)	10,000	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा नए जस्ता प्रद्रावक के भाग के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
सीसा हेतु क्षमता (विद्यमान तथा कार्यान्वयनाधीन)	16,000	

2. पंचम योजनावधि के दौरान आरम्भ की जाने वाली नई प्रायोजनायें:

क. जस्ता

जस्ता की वर्त्तमान मांग 1,31,000 टन अनुमानित की गई है जिसकी पंचम योजनावधि के अंत (1978-79) तक 200,000 हो जाने की आशा है। धातु की मांग और उसकी स्वदेशी उपलब्धता के अन्तर को दूर करने के लिए योजनावधि के दौरान निम्नलिखित जस्ता प्रद्रावकों (नए/विस्तारण) को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है:—

अवस्थापना	क्षमता (टन)	टिप्पणियां
(1) राजपुरा-दरीबा (राजस्थान) पर आधारित	50,000	राजपुरा—दरीबा इत्यादि के जस्ता सीसा निक्षेपों पर आधारित प्रद्रावकों की स्थापना, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा, सरकारी क्षेत्र में की जाएगी। इसके 1977-78 तक सम्पूरित हो जाने की आशा है। प्रद्रावकों को 100,000 टन की क्षमता तक विस्तारित करने की संभावना की जांच की जा रही है।
(2) विनानीपुरम (केरल)	20,000	यह गैर सरकारी क्षेत्र में के मेसर्स कोमिनको बिनानी के विद्यमान प्रद्रावक का विस्तारण है। 20 से 40,000 टन प्रतिवर्ष तक के विस्तारण के लिए कम्पनी को "आशय-पत्र" प्रदान किया गया है। विस्तारण के 1977-78 तक सम्पूरित हो जाने की आशा है।

इस प्रकार पंचम योजना के अन्तिम चरण तक जस्ता का स्वदेशी उत्पादन 165,000 टन हो जाएगा। जस्ता कतरनों की लगभग 10 प्रतिशत उपलब्धता को देखते हुए जस्ता की उपलब्धता उसकी 200,000 टन की मांग की तुलना में 183,500 टन होने की संभावना है।

ख—सीसा

सीसा की वर्त्तमान मांग 80,000 टन अनुमानित की गई जिसकी पंचम योजनावधि के अंत (1978-79) तक 118,000 टन हो जाने की आशा है, धातु की मांग और उसकी स्वदेशी उपलब्धत के अंतर को दूर करने के लिए योजनावधि के दौरान निम्नलिखित प्रद्रावकों को स्थापित किय जान प्रस्तावित है:—

अवस्थापना	क्षमता (टन)	टिप्पणियां
राजपुरा-दरीबा (राजस्थान पर आधारित)	25,000	इसकी स्थापना हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित नए जस्ता प्रद्रावक के साथ साथ की जाएगी और 1977-78 तक इसके सम्पूरित होने की आशा है। इस जस्ता प्रद्रावक की क्षमता को बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिवर्ष करने की साध्यता की जांच की जा रही है।

इस प्रकार पंचम योजना के अंतिम चरण तक सीसा के स्वदेशी उत्पादन की 41,000 टन प्रतिवर्ष होने की आशा है। लगभग 33⅓ प्रतिशत (लगभग 36,000 टन) कतरन उपलब्धता को देखते हुए 118,000 टन की मांग की तुलना में सीसे की उपलब्धता 77,000 टन हो जाने की संभावना है।

श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश को अलौह धातुओं, जैसे सीसा तांबा आदि की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और फिर भी सरकार इस सम्बन्ध में बहुत अधिक उदासीन ढंग से कार्य कर रही है ? इसका एक उदाहरण यह है कि आंध्र प्रदेश अग्निगुंडला खानों में भारी मात्रा में सीसा जस्ता और तांबा क्षेत्र हैं लेकिन उनमें बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन खानों का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडला योजना सीसा और तांबा अयस्क निक्षेप के लिये है। उक्त योजना का हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा विकास किया जा रहा है। सीसे का उत्पादन करने के लिये अग्निगुंडला में 100 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसका पूर्ण विकास किये जाने पर इसकी उत्पादन क्षमता 10,000 से 20,000 टन प्रतिवर्ष होगी। हमें इस बात की पूर्ण जानकारी है कि देश को अलौह धातुओं के आयात पर कम से कम निर्भर रहना चाहिये और इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री एम० एस० संजीवीराव: देश में जस्ता पिघलाने की एक ही भट्टी राजस्थान में है। हमारी गत पांच वर्षों से विशाखापतनम में एक अन्य संयंत्र स्थापित करने की योजना है। उक्त परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री टी० ए० पाई : जहां तक विशाखापतनम में जस्ता पिघलाने की भट्टी स्थापित करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पोलेंड की मेसर्स सेन्ट्रोजैप द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर को जनवरी, 1971 में विशाखापतनम में प्रतिवर्ष 30,000 टन की क्षमता का नया जस्ता पिघलाने का संयंत्र जो 21.24 करोड़ रुपये की अनुमित लागत से आयातित जस्ते पर आधारित होगा लगाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। संयंत्र लगाने के लिए सलाहकार प्रबन्धों को और जस्ते की सप्लाई के लिए दीर्घाविधि करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है और भट्टी वर्ष 1976-77 तक कार्य करना आरम्भ कर देगी। परियोजना के विदेशी सलाहकार पोलैण्ड के सेंट्रोजैप और पश्चिम जर्मनी के मेसर्स लुरगिस हैं।

यह प्रद्रावक जिंक डस्ट तथा पिग लीड के अलावा उप-उत्पादों के रूप में कैडमियन और सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करेगा। सीसा संयंत्र की क्षमता पहले निर्धारित 2,000 टन प्रति वर्ष की तुलना में लगभग 10,000 टन प्रति वर्ष होने की संभावना है। इस योजना में आने वाली लागत लगभग 25 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है।

Shri Lalji Bhai : In the Hindustan Zinc Limited, which is situated in Rajasthan. there is leakage of gas. It has not been repaired. I have been raising this question for a long time.

Mr. Speaker : How is it connected with this question ? How the question of gas can come up here ? Shri Nawal Kishore Sharma.

Shri Naval Kishore Sharma : Zincisinabundance in Rajasthan. If this is expanded ıican meet the requirement of zinc of the entire country. The hon Minister has just stated that a plant costing Rs. 25 crores is being set up in Visakhapatnam. I want to know whether this amount of Rs. 25 crores cannot be saved by expanding the plant of Udaipur instead of taking up that venture ? Will the hon. Minister think over it ?

श्री टी० ए० पाई : मेरे विचार में हमें विभिन्न राज्यों में इन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कोशीश करनी चाहिए क्योंकि अधिकांश कार्य वहां कराया जा सकता है जहां ये स्थित हैं, एक राज्य में केवल विस्तार करना हो इसका स्थानापन्न नहीं है क्योंकि विस्तार करने में ही काफी लागत आती है।

अल्प सुचनाप्रश्न

Short Notice Question

विभिन्न स्टाक-यार्डों में पड़ी इस्पात कतरनें

(अ० सू० प्र० संख्या) 1. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि करोड़ों रुपए के मूल्य की इस्पात कतरने अभी तक विभिन्न स्टाक-यार्डों में पड़ी हैं जबकि मंत्रिमन्डल द्वारा सात महीने पूर्व लिए गए निर्णय के अनुसार ये कतरने सरकारी क्षेत्र के रि-रालिगं एवं विश्रित इस्पात संयंत्रों को पहुंच जानी चाहिए थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को लागू न किए जाने का कारण यह है कि इस मामले में रुचि रखने वाले कुछ प्रभावशाली व्यक्ति यह चाहते हैं कि यह माल "नीलामी अथवा विनिदा-बोलियों" द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों को दिया जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय ने उक्त समाचार को ठीक बताया था; और

(घ) यदि हां, तो करोड़ों रुपए के मूल्य की इस्पात कतरनों को इससे बचाकर उनका शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां, श्रीमन्। लेकिन मंत्रिमन्डल के निर्णय का उल्लेख सही नहीं है। यह निर्णय रक्षा मंत्रालय में ही लिया गया था कि फेरस खुरचन को सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। इस पर कारंवाई की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

(घ) सरकारी क्षेत्र की संबंधित संस्थानों से इस्पात विभाग के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि इस्पात खुरचन को खरीदने और उसे हटाने के लिए वे अपनी शर्तें पेश करें। मामले पर उनसे पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। उनका उत्तर प्राप्त करने और इस बिक्री को अग्रता के आधार पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री पी० एम० मेहता: यह मामला तब उठा जब हाई कान्टेट रक्षा भंडार को उनका सेवा काल पूरा होने के उपरान्त रद्दी करार कर दिया गया। 23 जुलाई को समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि विभिन्न स्टाकयार्डों में पड़े सारे इस्पात कतरनों को खरीदने के लिए गैर सरकारी व्यापारियों के सक्रिय होने के बारे में समाचार की पुष्टि करते हुए रक्षा मंत्रालय ने आज स्पष्ट रूप से यह बताया है तो पूरे भंडार को सार्वजनिक नीलामी द्वारा और गैर सरकारी व्यक्तियों को देने की कोई संभावना नहीं है। चूंकि यह कतरनें कई हजार टन हैं, इसलिए रक्षा मंत्रालय को इसके निपटान की सामान्य प्रक्रिया उचित नहीं लगी। इस कारण से उन्होंने मंत्रिमन्डल को यह मामला सौंपा कि इसके निपटान का क्या तरीका होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल का क्या निर्णय अथवा निदेश था तथा रक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय कब लिया था? इन कतरनों का कुल मूल्य कितना है? क्या इनका मूल्य 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक है? क्या यह सच नहीं है कि यदि गैर सरकारी व्यापारी नीलामी अथवा निविदा द्वारा सारा माल किसी भी मूल्य पर खरीद लेते हैं तो सरकार को दुर्लभ मुद्रा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? अन्त में, मैं जानना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये मूल्य की कतरनों के निपटान में विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है तथा क्या सरकारका विचार मंत्रिमन्डल के निर्णय अथवा निदेश अथवा रक्षा मंत्रालय के निर्णय को क्रियान्वित न करने के लिए संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है?

श्री विद्या चरण शुक्ल: मैंने अपने मुख्य उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया था, जिसे संभवतः माननीय सदस्य ने ध्यान से नहीं सुना, कि यह मामला मंत्रिमन्डल स्तर पर नहीं आया था अपितु रक्षा मंत्रालय ने स्वयं निपटान की इस प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय किया था। दूसरा, अपनाई गई प्रक्रिया यह थी कि उन टेंडर देने वालों को कतरनें दी गई जिन्होंने आर्थिक मूल्य पर, जिसका निर्णय विभागीय तौर पर किया गया, टेंडर दिया। यदि टेंडर में निर्धरित मूल्य से कम बोली हुई तो सामान्यतः कतरनें उन्हें नहीं बेची जाती हैं।

श्री पी० एम० मेहता: इनका निपटान सरकारी क्षेत्र में करने का निर्णय किया गया था।

श्री विद्या चरण शुक्ल: यदि माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें तो वे मेरे कथन को समझ सकते हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि इनका भंडार किस प्रकार जमा हो गया था। जब जमा भंडार का मामला हमारे नोटिस में लाया गया तो हमने निपटान का दूसरा तरीका अपनाने का निर्णय किया। इसकी सामान्य प्रक्रिया यह है कि 25,000 रुपये से अधिक की सामग्री के निपटान के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को कहा जायेगा। यदि सामग्री का मूल्य 25,000 रुपये से कम हुआ तो आम तौर पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को नहीं कहा जाता है। जब कभी भी टेंडर दिया जाता है तो अधिकांश सामग्री नहीं उठाई जाती है क्योंकि आमतौर पर वे ऐसे पुराने टैंक, सशस्त्र युद्धक वाहन अथवा इसी प्रकार के सामान होते हैं जिनको हटाना बहुत ही कठिन होता है जब तक कि उनका अलग-

अलग भाग नहीं किया जाता है और फिर उन्हें आयुद्ध भंडारों से हटाया जाता है। अतएव ये जमा होते चले जाते हैं। जब हमने यह देखा कि इनका निपटान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित आर्थिक मूल्य से कम बोलियां बोली गई थी, तो हमने यह निर्णय किया कि इन कतरनों को विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जिनको अपने प्रयोग के लिए इस्पात की आवश्यकता है, बेचने के लिए इस्पात विभाग की सहायता ली जाये। रक्षा मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक वार्ता समिति गठित की गई है। यह संयुक्त सचिव अपना कार्य कर रहा है तथा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है।

तीसरा, हमने इस मामले में प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। प्रथम प्राथमिकता सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई हैं। दूसरी प्राथमिकता ऐसे गैर सरकारी उपक्रमों को दी गई है जो रक्षा संबंधी क्रयादेशों को पूरा करेंगे। पहली प्राथमिकता प्राप्त पार्टियों द्वारा कतरनों को उठाये जाने के बाद शेष पड़ी कतरनों को दूसरी प्राथमिकता प्राप्त पार्टियों को दिया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों की आशंकाओं को दूर करना चाहता हूं। हम उचित उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाले कतरनों को ऐसे व्यक्तियों के हाथों में नहीं पड़ने देंगे जो गलत ढंग से लाभ कमायेंगे और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को बिगाड़ेंगे। हम इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे।

श्री पी० एम० मेहता : यह निर्णय कब किया गया था? इसको क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया था? इसको क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उन प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने इस निर्णय की क्रियान्विति में विलम्ब किया है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : निर्णय की क्रियान्विति में कोई त्रुटि नहीं है। उपक्रमों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने वार्ता समिति से संपर्क स्थापित किया है तथा कार्यवाही चल रही है। मैंने अपने मूल उत्तर में बताया है कि पत्र व्यवहार चल रहा है। इन उपक्रमों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और उनकी समिति के साथ भेंट हो रही है। इस बारे में कार्यवाही चल रही है।

श्री पी० एम० मेहता : यह निर्णय कब लिया गया था? इस्पात कतरनों का क्या मूल्य था?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विभिन्न आयुद्ध भंडारों में पड़े कुल कतरनों के आंकड़े दूंगा। किरकी में 20,932 टन, देहू में 6,768 टन और विभिन्न आयुद्ध कारखानों में 11,000 टन कतरनें पड़ी हैं। वार्ता समिति अन्ततः जो कीमतें निर्धारित करेगी, उसके अनुसार मूल्य होगा। अतएव, यह कहना कठिन है कि इन कतरनों का क्या मूल्य होगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इस समाचार से उत्पन्न आशंकाएं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से निश्चय ही समाप्त हो जाएंगी। फिर भी मैं एक विषय में उनसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। यह इस्पात कतरनें अत्यन्त दुर्लभ हैं। यह काले सोने के समान हैं। चूंकि मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने जहां कहीं भी यह उपलब्ध हैं, इनकी प्राथमिकता सरकारी क्षेत्र को देने की है और शेष इस्पात कतरनें ऐसे गैर सरकारी क्षेत्र को दी जाएंगी जो रक्षा उत्पादन में लगे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि साधारण व्यापारियों और अन्य लोगों को टेंडर देने का प्रश्न कहां से आया है? दूसरे शब्दों में, क्या वे सभा को यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि जहां तक इस्पात कतरनें बेचने का प्रश्न है, व्यापारियों और बिचौलियों से संपर्क स्थापित नहीं किया जायेगा?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने पहले ही बता दिया है कि केवल दो पार्टियों को प्राथमिकता दी गई है। हमारा प्रयास यह है कि उपलब्ध इस्पात कतरनों को इन लोगों को बेचा जाये। रक्षा मंत्रालय में इस

निर्णय को करने के पश्चात् हमने कोई टेंडर नहीं मंगाए हैं। हम इस मामले में किसी भी गैर-सरकारी कतरन व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : ऐसा आरोप लगाया गया है कि इस मामले में अत्यधिक और जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है। अतएव उचित प्रश्न यह था कि रक्षा मंत्रालय ने निर्णय कब किया था? यह सूचना हमें अभी तक नहीं मिली है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्णय करने से पूर्व मंत्रालय ने कितनी मात्रा में कतरनें गैर सरकारी पार्टियों को बेच दी थीं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस निर्णय को करने से पूर्व कोई अधिक कतरनें नहीं बेची गई थीं। अतएव इनका जमाव हो गया है। मैं आंकड़े एकत्रित करके सभा में प्रस्तुत करूंगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या गत एक वर्ष के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इसकी अवधि तीन वर्ष की होनी चाहिए।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं आकड़ों को एकत्रित करूंगा। जहां तक मुझे याद पड़ता है, रक्षा मंत्रालय ने यह कुछ महीने पूर्व, संभवतः पांच महीने पूर्व यह निर्णय लिया था।

श्री अण्णासाहिब गोटाखिडे: मंत्री महोदय ने बताया है कि यह निर्णय करीब पांच महीने पूर्व लिया था। मैं जान सकता हूं कि सामानों को उठाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कब कहा गया था?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह वार्ता का भाग है। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का यह कहना है कि हम अर्थात् रक्षा मंत्रालय इन कतरनों को उठाएं तथा वैगनों को बुक कराएं और इन्हें गैर सरकारी उपक्रमों के कारखानों में पहुंचा दें। हम यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। हमारा कहना यह है कि जहां कहीं भी यह पड़े हैं, इनको उठाने का कदम खरीदारों का है।

श्री समर गुह : यह इस्पात कतरनें रि-रोलिंग और मिश्र इस्पात संयंत्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं। सबसे अधिक मात्रा में कतरनें रक्षा भंडार तथा रेलवे में पाई जाती है दुर्भाग्यवश गत कुछ वर्षों से ये कतरनें गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जापान तथा अन्य देशों को भेजी जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की कतरनें भेजी गयीं। मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह दृढ़ निर्णय किया है कि रक्षा भंडारों से ऐसी इस्पात कतरनें, जो बेकार हो जाती हैं किसी भी परिस्थिति में गैर-सरकारी ऐजेंसियों को नहीं बेची जायेंगी अपितु केवल रि-रोलिंग तथा मिश्र इस्पात संयंत्रों को दी जायेंगी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने अपने उत्तर में पहले स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिकता प्राप्त पार्टियों को यह बेची जायेंगी। इस बीच हमें सूचना प्राप्त हो गई है। यह निर्णय रक्षा मंत्रालय ने लिया था। उन्होंने नवम्बर 1972 में इस समिति का गठन किया था।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ कतरनें गैर-सरकारी एजेंसियों को बेची गयी थीं तथा यह निर्णय कब क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है। हमने यह निर्णय कर लिया है कि हम सभी कतरनें प्राथमिकता प्राप्त पार्टियों को बेचेंगे तथा हम इस मामले में ऐसे बिचौलियों से सम्पर्क नहीं करेंगे जो कतरनों को खरीदकर अन्य व्यक्तियों के हाथों बेच दें। हम इन्हें प्रयोक्ताओं को बेचना चाहते हैं और प्रयोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। **(व्यवधान)**

श्री समर गुह: मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि ये कतरनें केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के रि-रोलिंग और मिश्र इस्पात संयंत्रों को बेची जायेंगी।

श्री विद्या चरण शुक्ल: जी हां।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has stated that second priority will be given to those people who are executing defence orders. Are there no such manufacturers engaged in executing defence orders, who do not use scraps ? May I know whether it would be ensured that only those manufacturers would be given scraps who utilize it and others will not be given ?

Shri Vidya Charan Shukla : Our intention is what the hon. Member has stated.

Shri Bhogendra Jha : I want to know whether the hon. Minister is aware that certain Private Firms was contacted in connection with the sale of scraps. A point was raised in Madhya Pradesh Legislative Assembly regarding this matter that All India Congress Committee had obtained a donation of Rs. 20 lakhs in lieu of this and the receipt was given duly.............(*interruption*)

श्री राम सहाय पांडे: झूठ।

श्री समर गुह: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है और अध्यक्ष पीठ ने प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह झूठ है। यह आप पर आक्षेप है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे बारे में चिन्ता मत करिए। कृपया बैठ जाए। यह सुसंगत प्रश्न नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

Shri Bhogendra Jha : Sir, I am finishing my statement.

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, आप इसमें राजनीति ला रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसके लिए आप प्रस्ताव लायें (**व्यव** यह सुसंगत प्रश्न नहीं है (**व्यवधान**) यह समय ऐसे प्रश्न उठाने का नहीं है। कृपया बैठ जाएं।

श्री विद्या चरण शुक्ल: पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश विधान सभा में जो प्रश्न उठाया गया था, वह रक्षा संबंधी कतरनों से नहीं है। वह विषय पूर्णतया भिन्न है।

दूसरा, विधान सभा के अध्यक्ष ने इस मामले को कार्यवाही वृतांत में शामिल करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्होंने इसको गलत और आधारहीन पाया (**व्यवधान**)।

श्री भोगेन्द्र झा: यह उनका विनिर्णय नहीं था।

श्री विद्या चरण शुक्ल: मैं केवल यह अनुरोध करूंगा कि आप यह विचार क ेकि क्या हम कार्यवाही में लें या नहीं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप असंगत मामलों को उठाते हैं तो अनेक अनुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे।

श्री बसंत साठे: क्या यह आरोप कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह कार्यवाही वृत्तांत में रहेगा।

श्री बसंत साठे: यदि यह असंगत है तो कार्यवाही वृत्तांत में कैसे शामिल हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय: जब मैंने यह कह दिया है कि यह सुसंगत नहीं है तो प्रश्न और उत्तर दोनों शामिल हैं।

श्री पीलू मोदी : मैं आपके विनिर्णय से पूर्णतया सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सहमत भी नहीं होते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

पश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त राष्ट्र स्थित भारतीय प्रतिनिधि द्वारा इजरायल तथा अरब देशों से फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का आदर करने की अपील

*162. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र स्थित भारतीय स्थायी प्रतिनिधि ने इजराइल से अपील की है और अन्य सम्बद्ध अरब देशों को यह सुझाव दिया है कि वे फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों को सब क्षेत्र में आदर प्रदान करें; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और उन देशों के नाम क्या है जिन्होंने इस बारे में भारतीय सुझाव का समर्थन किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) सुरक्षा परिषद में मध्य पूर्व पर बहस में बोलते हुए, भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 14 जून, 1973 को कहा था:

"इसराइल और संबद्ध अरब देश, दोनों को चाहिए कि वे एक साथ लेकिन अलग-अलग यह घोषणा करें कि वे सब फिलिस्तीनीलोगों के अधिकारों का हर क्षेत्र में आदर करेंगे।

गैर-यहूदी लोगों से यह आशा करना अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य है कि वे ऐसे यहूदी राज्य में किसी प्रकार की सुरक्षा भावना अथवा मानसिक शांति के साथ रह सकेंगे जो उन्हें शक्ति के एकतरफा प्रयोग से कानूनी अथवा संविधानी संरक्षण प्रदान नहीं करता।"

फिलिस्तीनी लोगों का भविष्य अब मध्य पूर्व प्रश्न पर विचार का अभिन्न अंग बन गया है और बहस में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों ने इसका हवाला दिया था।

सुरक्षा परिषद में भारत, अन्य गुट निरपेक्ष देशों के निकट संपर्क में कार्य कर रहा है और उसने आठ देशों के साथ (गिनी, भारत, हिंदेशिया, कीनिया, पनामा पेरू, सूडान और यूगोस्लाविया) मिलकर एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के एक पैरा में यह धारणा व्यक्त की गई है कि "मध्यपूर्व की समस्या का न्याय एवं शांतिपूर्ण समाधान उस क्षेत्र के सभी देशों की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता और उनके अधिकारों और फिलिस्तीनी लोगों के न्यायोचित अधिकारों और आकांक्षाओं के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले देशों के अतिरिक्त, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ ने भी इस प्रस्ताव के मसौदे के पक्ष में मत दिया। लेकिन अमरीका के वीटो के कारण यह प्रस्ताव पास न हो सका। चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया।

नारियल जटा उद्योग के कर्मचारियों की दशा को सुधारना

*163 **श्री मुख्तयार सिंह मलिक:**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव:

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नारियल जटा उद्योग में एक कर्मचारी की औसत दैनिक मजूरी क्या है;

(ख) एक कर्मचारी को एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है; और

(ग) नारियल जटा उद्योग में कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (रघुनाथ रेड्डी) : (क) श्रम ब्यूरो द्वारा मजदूरी भुगतान अधिनियम के अधीन प्राप्त हुई विवरणियों के अनुसार 1970 में नारियल की जटा के कारखानों में श्रमिकों की औसत प्रति व्यक्ति आय 7.35 रुपये प्रति दिन बैठती थी।

(ख) श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 1969 के दौरान नारियल की जटा के किसी भी कारखाने के वयस्क मज़दूरों के लिए कार्य-घंटे 8 घंटे प्रति दिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक नहीं थे।

(ग) इस बारे में विचार करना मूलत: संबंधित राज्य सरकारों का काम होगा।

इस्पात संयंत्रों के लिये अपेक्षित माल अर्थात कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क की उपलब्धता

*165. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्रों के लिए अपेक्षित माल अर्थात् कोयला, लौह अयस्क तथा मैंगनीज़ अयस्क आदि की उपलब्धता की स्थिति का पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) जी, हां। हाल में किए गये अध्ययनों से यह पता चलता है कि पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में इस्पात उद्योग के विकास के लिए कोयला, लौह खनिज, मैंगनीज खनिज और अन्य अपेक्षित माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। इस प्रकार के अपेक्षित माल के उत्पादन के लिए उपयुक्त विकास कार्यक्रम तैयार कर लिये गये हैं और योजना आयोग को भेज दिए गये हैं।

जैसप एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता में सरकार के शेयर

*166. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को पूरी तरह सरकारी कम्पनी में परिवर्तित करने की दृष्टि से सरकारी शेयरों की संख्या को 51 प्रतिशत तक बढ़ाने के सरकार के निर्णय को अब क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई):

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां। अप्रल, 1973 को।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सोफ्टकोक की अत्यधिक कमी

***170. श्री शशि भूषण :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में सोफ्टकोक का अकाल है दिल्ली की मासिक आवश्यकता का केवल एक-चौथाई भाग ही दिल्ली में लाया जाता है और खुदरा दुकानें महीने में तीन सप्ताह बन्द रहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और स्थिति के लिये तत्काल क्या कदम उठाए जाएंगे ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) दिल्ली और नई दिल्ली के इलाकों में साफ्ट कोक की कमी रही है। फिर भी जुलाई, 1973 से स्थिति में सुधार हुआ है और यह सुधार बना रहेगा।

(ख) मई में कमी होने का मुख्य कारण यह था कि दूसरे राज्यों को कोयला पहुंचाने के काम को प्राथमिकता दी जा रही थी। बिजली में कटौती के कारण भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था। भारत कोकिंग कोल लि० ने अब साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ा दिया है और रेलवे ने भी डिब्बों की व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया है ।

इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये की गई कार्यवाही

***171. श्री बेकारिया:**

श्री वीरभद्र सिंह:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारा इस्पात का उत्पादन हमारी मांग से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई०): (क) 1972–73 में 62 लाख टन की अनुमानित मांग के मुकाबले में तैयार इस्पात का उत्पादन लगभग 55 लाख टन हुआ। ऐसा अनुमान है कि 1973–74 में 67 लाख टन मांग की तुलना में उत्पादन 61.70 लाख टन होगा।

(ख) गत 2 वर्षों में उत्पादन में सुधार लाने में आई विभिन्न कमियों तथा अड़चनों को दूर करने के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। इस सम्बन्ध में किये गये उपाय इस प्रकार हैं:–

कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए दूसरे इंधनों का उपयोग, ऊर्जा की आवश्यकताओं में वृद्धि के लिए कुछ भट्टियों में तेल का प्रयोग, बेहतर रख-रखाव जिससे बेहतर उपकरण उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमन असंतुलन को ठीक करने के लिए पूंजीगत कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करना और योजनाबद्ध ढंग से फालतू पुर्जे, ऊष्मसह और अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करना आदि हैं। भिलाई इस्पात कारखाने में एक अतिरिक्त कोक-ओवन बैटरी तथा राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में एक एक आधी बैटरी लगाई जा रही है। योजना आयोग की कार्यवाही समिति ने भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों में अतिरिक्त तथा अनुपूरक सुविधाओं के लिए बहुत सी सिफारिशें की हैं जिनको ये कारखाने कार्यान्वित कर रहे हैं। समिति इस समय दुर्गापुर इस्पात कारखानें के कार्यकरण की जांच कर रही है। दुर्गापुर में औद्योगिक विवादों और मजदूरों की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने हेतु मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक त्रिस्तरीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी बनाई गई है। उत्पादन में क्रमिक वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई योजना शुरू की गई है।

2. सरकार द्वारा 14 जुलाई, 1972 को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के पश्चात् इसको तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने और उत्पादन बढ़ाने हेतु बहुत से उपाय किये गये हैं जिनमें, कोलतार और कोक की सप्लाई कोक भट्टियों की आयात आधार पर मरम्मत, मैटिरियल हैंडलिंग उपकरण की प्राप्ति तथा स्टील मेल्टिंग शॉप में क्रेनों और अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उनका प्रतिस्थापन सम्मिलित है। कारखाने की तकनीकी दशा सुधारने के लिए तथा कारखाने को 10 लाख टन पिण्ड तक उत्पादन करने योग्य बनाने के लिए एक प्रतिस्थापन योजना बनाई गई है। इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

3. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड पुरानी कोक, भट्टियों के लिए प्रतिस्थापन कार्यक्रम का कार्यन्वित कर रही है जिसके पूर्ण हो जाने पर कोक की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित हो जायेगी। रख-रखाव को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

4. अब सरकार ने इस्पात तथा सहायक आदान उद्योगों के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया नामक एक होल्डिंग कंपनी की स्थपना की है। यह कम्पनी 24 जनवरी, 1973 को निगमित की गई थी। इस दिशा में इस कम्पनी की स्थापना से इस्पात के अधिकाधिक उत्पादन करने में काफी सहायता मिलेगी क्योंकि इससे पर्यवेक्षण तथा समन्वय प्रभावशाली ढंग से हो सकेगा विशिष्ट परामर्शदाता सेवायें उपलब्ध होंगी तथा इस्पात उद्योग में घनिष्ट रूप में सम्बद्ध अन्य क्षेत्रों का जो इस्पात उद्योग के कोकिंग कोयला, लोह खनिज और मैंगनीज जैसे कच्चे माल के प्रमुख सम्भारक हैं, प्रबंधात्मक एकीकरण तथा समन्वय होगा।

5. फिर भी एक सन्केतामुखी इस्पात कारखाने के आकार तथा परिचालन को देखते हुए इन उपायों का प्रभाव धीरे-धीरे तथा कुछ समय के पश्चात् ही दृष्टि-गोचर होगा। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में गतवर्ष हुई उत्पादन में वृद्धि इस बात का संकेत है कि क्या किया जा सकता है।

थाना, जिला सुरेन्द्रनगर (गुजरात) में कोयले की कमी के कारण मृत्तिका औद्योगिक केन्द्र में उत्पादन बन्द हो जाना

***172. श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की भारी कमी के कारण सुरेन्द्रनगर जिले के थाने में मत्तिका औद्योगिक केन्द्र के 15 एककों में जून और जुलाई 1973 में उत्पादन बन्द हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समस्त गुजरात में कोयले की बार बार कमी हो जाती है और उस के कारण भारी हानि हुई है, और

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है और यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

भारी उद्योग और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य में और विशेषतया मृतिका उद्योग के लिए कोयले की कमी मुख्यतः बिजली घरों और इस्पात कारखानों में कोयले की अत्यधिक मांग के कारण हुई है, जिसे देश में उपलब्ध परिवहन क्षमता द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मृतिका उद्योग द्वारा प्रयुक्त कोयले की प्राप्ति में, जो रानीगंज क्षेत्र में निकाला जाता है, बिजली की बार-बार कटौती के कारण भी कुछ कमी आई।

(ग) गुजरात सरकार समय-समय पर उचित अभिकरणों के साथ इस मामले को उठाती रही है और इन प्रयासों के फलस्वरुप ही अब स्थिति में सुधार हो गय समस्त मृत्तिका एककों ने जो पहले बन्द हो गए थे, अब पुनः काम शुरु कर दिया है। उन्होंने कोयले की कुछ मात्रा के लिए तटीय पोतवहन की भी व्यवस्था की है।

भिलाई, रुरकेला और दुर्गापुर संयंत्रों को स्वशासी एकक बनाना और उन्हें एस० ए० आई० एल० की उप-कम्पनियां बनाना

***173. श्री जी० वाई कृष्णन:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिलाई, रुरकेला और दुर्गापुर के सरकारी क्षेत्र के संयंत्र स्वशासी एकक बन जायेंगे और हिन्दुस्तान स्टील के समाप्त होने पर सीधे स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की उप-कम्पनियां बन जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो नयी व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं?

भारी उद्योग तथा ईस्पात खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई०): (क) इस बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सर्कस उद्योग के कर्मचारियों के लिये श्रम विधियां

***174. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा:**
श्री रण बहादुर सिंह:

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्कस, उद्योग अथवा व्यवसाय के रूप में किसी भी श्रम विधान के अन्तर्गत नहीं आता है तथा सर्कस के कलाकारों को कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम अथवा औद्योगक विवाद अधिनियम के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सर्कस का 'शो' होते समय सर्कस के कलाकार की मृत्यु हो जाने के मामलों को निपटाने के लिए कोई विधान पेश करने का है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख) सरकस उद्योग में नियोजित व्यक्ति, कार्यकर प्रतिकर अधिनियम, 1923 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, कर्मचारी भविष्य निधि के और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 तथा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं। प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 के उपबन्धों को सरकस उद्योग के प्रतिष्ठानों पर वितारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

Criticism of India over POW's issue in countries Abroad

***175. Shri G.P. Yadav :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether India is being criticised in foreign countries over the issue of Pakistani P.O.Ws; and

(b) whether Government propose to initiate action to release such of the P.O.Ws as are not to be put on trial after consultation with Bangladesh Government and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Initially India's position on the POW issue was not properly appreciated in some foreign countries. However, steps were taken by Government to inform international opinion of the correct position. Moreover, after the Joint Indo-Bangladesh Declaration of 17th April, 1973, there has been greater and wider understanding of India's position on this issue.

(b) As the House is aware, the Joint Indo-Bangladesh Declaration of 17th April, 1973 envisages the simultaneous repatriation of Pakistani POWs and civilian internees, except those required by Bangladesh Government for trial on criminal charges, the repatriation of Bangalees forcibly detained in Pakistan and the repatriation of Pakistanis in Bangladesh. Negotiations are being held with representatives of Pakistan within the framework of the Joint Indo-Bangladesh Declaration. The Government of Bangladesh is being kept informed of these talks.

भारत और वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच आर्थिक और संस्कृतिक सहयोग

*176. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वियतनाम लोकतान्त्रिक गणराज्य के प्रधान मन्त्री द्वारा हनोई में 9 जुलाई 1973 को दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि भारत और वियतनाम को अमरीकी साम्राज्यवाद के नव-उपनिवेशवादी आक्रमण का सामना करने में सहयोग करना चाहिए; और

(ख) क्या उन्होंने दोनों देशों के बीच और अधिक आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग का भी अनुरोध किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क): जी हां।

(ख): जी हां।

देश में लघु इस्पात कारखानों की स्थापना

*177. **श्री एस० एन० मिश्र:**

श्री मूल चन्द डागा:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आगामी दो वर्षों में कुछ लघु इस्पात कारखाने लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने कारखानें लगाए जायेंगे और कहां-कहां पर; और

(ग) इन कारखानों के उत्पादन के क्या लक्ष्य रखे गये हैं और प्रत्येक कारखानें पर कितना व्यय किया जायगा?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई०) : (क) और (ख) संभवत: लघु उद्योग इस्पात कारखानों से माननीय सदस्य का अभिप्राय पिण्ड/बिलेट तैयार करने के लिए स्क्रैप का प्रयोग करने वाले विद्युत् भट्टी एककों से है। यदि यह ठीक है तो फिलहाल ऐसे कारखाने लगाने का भारत सरकार का कोई विचार नहीं है?

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में मोटर-गाड़ियां निर्माता कम्पनियां

*178. **श्री शंकर राव सावन्त**: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितनी मोटर-गाड़ी निर्माता कम्पनियां हैं और वे कहां कहां पर स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या है और इस दिशा में देश की आवश्यकताएं क्या है?

(ग) उनके द्वारा निर्मित कारों में देशी पुर्जों की प्रतिशत कितनी है और विदेशी पुर्जो की कितनी; और

(घ) इनमें से कौनसी कम्पनियां पूर्ण रूपेण भारतीय प्रबन्ध में है और कौन सी विदेशी सहयोग से चल रही है?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई०): (क) देश में कार बनाने वाली तीन कम्पनियां हैं, जो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडू में स्थापित

(ख) तथा (ग) 1973-74 तक 75 हजार कारों की अनुमानित वार्षिक मांग पर कारों के तीनों निर्माताओं की प्रत्येक की प्राप्तव्य उत्पादन क्षमता और उनके द्वारा बनाई गई कारों में देशी और आयातित अंशों की प्रतिशतता निम्नलिखित है:—

निर्माता का नाम	प्राप्तव्य उत्पादन क्षमता (सं० प्रति वर्ष)	देशी अंश की प्रतिशतता	आयातित अंश की प्रतिशतता
1	2	3	4
मे॰ हिन्दुस्तान मोटर्स लि॰, कलकत्ता।	30,000	99.82%	0.18%
मे॰ प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि॰, बम्बई।	14,000	99.96%	0.04%
मे॰ स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि॰, मद्रास।	3,400	99.30%	0.70%
	47,400		

(घ) इस समय केवल मे॰ स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि॰, में विदेशी सहयोग तथा लगभग 31 प्रतिशत तक इक्विटी में विदेशी हिस्सा है। इस सत्य को छोड़ कर कि मे॰ स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया के बोर्ड में आठ निदेशकों में से दो विदेशी राष्ट्रिक हैं, तीनों कम्पनियां भारतीय प्रबन्ध के अधीन है।

टेलको और ट्यूब कम्पनी, जमशेदपुर के कर्मचारियों का दमन

*179. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री टेलको और ट्यूब कम्पनी, जमशेदपुर के कर्मचारियों के दमन से संबंधित 12 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6944 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पटना उच्च न्यायालय के रोक आदेश को समाप्त कराने के लिए इस बीच क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) दमित श्रमिकों को उसी प्रबन्ध द्वारा पुनः नियुक्त किए जाने अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम में नियुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथरेड्डी) (क) और (ख) मामला राज्य सरकार के ध्यान में, जो कि मुख्यतः इस सेसंबंधित है, लाया गया है। राज्य सरकार की दिनांक 2 जून, 1973 की रिपोर्ट के अनुसार, उनका इरादा प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों से उच्च स्तरीय बातचीत द्वारा मामले को निपटाने के लिए प्रयास करने का है।

सरकारी उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों और वित्तीय मुख्य अधिकारियों के साथ मंत्री की बैठक

*180. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा:** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वह सरकारी उपक्रमों के कार्यकारी और वित्तीय मुख्य अधिकारियों से उन्हें अपना कार्य सुधारने की आवश्यकता और विधि बताने के लिए मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निष्कर्ष निकले और उनके सुझावों पर इन अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई०): (क) जी, हां।

(ख) बैठक में हुए मुख्य निष्कर्ष ये हैं:--

(1) क्षमता का उपयोग अधिकतम स्तर पर किया जाना चाहिएं।

(2) उपकरणों की उतरने पर लागत के साथ उस समय के उनके मूल्य को ध्यान में रखते हुएं सरकारी उपक्रमों को चाहिये कि वे इस बात का सुनिश्चय करें कि नियोजित पूंजी पर 10 प्रतिशत का लाभ हो।

(3) सरकारी उपक्रमों की सहायक एककों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(4) जन-शक्ति का उत्पादनकारी प्रयोग करके रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने चाहिये।

(5) सरकारी एककों के कुल कार्य का निर्धारण करने का एक तरीका तैयार किया जाना चाहिए जिसमें उत्पादन मूल्य और औद्योगिक संबंध भी दिया गया हो।

(6) अनुपस्थिति को कम करने के लिए कदम उठाये जाने चाहियें।

(7) सरकारी एककों के मुख्य कार्यकारियों की एक स्थायी समिति का गठन किया जाय, जिसकी बैठक मंत्रालय को सलाह देने के लिए समय-समय पर हो।

सरकारी क्षेत्र के एककों के प्रमुख कार्य-कारियों ने लक्ष्यों के संबंध में इस चुनौती को स्वीकार किया है।

Industrial Licences for Extracting Coal and Mica.

1601. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the names of parties and persons, District-wise, who applied for industrial licences for extracting coal and Mica in Madhya Pradesh during the last three years, Year-wise;

(b) the names of those parties and persons, whose industrial licences have been sanctioned/rejected during the said period; and

(c) the names of parties and persons whose applications are still under consideration of Government and the reasons thereof in each case ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

ज्वाइंट साईफर ब्यूरो के अधिकारियों के वेतन में असंगति

1602. **श्री एम० एस० पुरती:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ज्वाइंट साईफर ब्यूरो में वरिष्ठ अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षा कम वेतन मिल रहा है;

(ख) क्या इस असंगति को दूर करने के लिए उपाय किए गए हैं ताकि अधिकारियों के मध्य असंतोष पैदा ना होने पाए; और

(ग) क्या इस स'बंध में कोई निर्णय किया गया है यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) जी हाँ, श्रीमन्।

(ख) और (ग) मामला अभी विचाराधीन है।

Violation of Borders, Territorial waters and Air Space committed by Pakistan

1603. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the total number of violations of India's land borders, territorial waters and air spaces committed by Pakistan during the current year; and

(b) the policy that Government propose to adopt to check these violations in future ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Between 1-1-73 and 25-7-73, 137 land vielations and 7 air violations were committed by Pakistani forces. There have been no violations of our territories waters by Pakistani Naval Ships.

(b) Such incidents are sought to be resolved or prevented through flag meetings between local Commanders and if necessary through telephonic contacts at higher levels. Our Security forces are maintaining constant vigilance on the borders and have orders to take firm action where necessary.

सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों में प्रबन्ध ढांचे का पुनर्गठन

1604. **श्री वयालार राव:**

श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों के कार्यकरण में अधिक कार्यकुशलता लाने के लिये सरकार का विचार इन उद्योगों के प्रबंध ढाँचे का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख) इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एककों के प्रबन्धकीय ढांचे को पुर्नगठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, सिवाय उन एककों के, जिसके बारे में सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों के कार्यों की जांच करने वाली कार्य-समिति ने ऐसा करने की सिफारिशें की हैं। प्रबन्धकीय ढांचे का पुर्नगठन करने के बारे में कार्य-समिति के प्रस्ताव, जहां भी लागू हों, मान लिए गए हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

कोचीन नौसैनिक अड्डे के तीन अधिकारियों का ठगी के मामले में अन्तर्ग्रस्त होना

1605. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन नौसैनिक अड्डे के तीन अधिकारी कुछ विदेशी महिला पर्यटकों की ठगी के मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इन अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए इन्हें छोड़ जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत द्वारा ईराक में इस्पात संयंत्र तथा स्पोंज आयरन संयंत्र स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव

1606. **श्री सतपाल कपूर:**
श्री नवल किशोर शर्मा:
क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईराक में एक इस्पात संयंत्र तथा स्पोंज आयरन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इस सम्बन्ध में भारत द्वारा ईराकी प्रतिनिधिमण्डल को दिये गये प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस बीच ईराक सरकार से इन प्रस्तावों का उत्तर प्राप्त हो गया है और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री:

(श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) हमारे एक सरकारी एकक इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड ने ईराक सरकार को उनके देश में एक अर्थ-संगठित इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये प्रस्ताव भेजा।

(ख) ईराक सरकार ने ईराक में अर्थ-संगठित प्रस्ताव परियोजना स्थापित करने के लिए विश्व भर से निविदायें आमंत्रित की थीं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड ने अपनी सदस्य कम्पनी, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कांस्ट्रक्शन लिमिटेड के सहयोग से इस परियोजना के लिए जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 70 करोड़ रुपये होगी दिनांक 24 फरवरी, 1973 को ईराक सरकार को एक टर्न-की प्रस्ताव भेजा है। इस परियोजना के दूसरे पहलू में स्पंज लौह संयंत्र सम्मिलित होगा जिसके लिये ईराक सरकार ने अभी तक कोई जांच नहीं की है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के प्रस्ताव में इलेक्ट्रिक आर्क फरनैस (बिजली की तेज भट्टी) सहित एक इस्पात मेल्टिंग एकक प्रतिवर्ष 50,000 मी० टन विलेट के उत्पादन के लिये लगातार ढलाई करने वाला संयंत्र तथा 400,000 मी० टन प्रतिवर्ष तक विभिन्न रोल्ड उत्पादों का निर्माण करने के लिए एक रोलिंग मिल के बारे में उल्लेख किया गया है।

(ग) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का प्रस्ताव अभी ईराक सरकार के विचाराधीन है।

कोयला खानों में उपदान योजना

1607. **श्री सोमचन्द सोलंकी:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री कोयला खानों में उपदान योजना के बारे में 10 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9965 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): सूचना एकत्र की गई है। निम्नलिखित कोयला खानों के अतिरिक्त किसी और कोयला खान के सम्बन्ध में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन में आने से पहले उपदान योजनाओं को नहीं अपनाया गया था:--

क्रमांक	मालिक/कम्पनी का नाम	कोयला खान का नाम
1.	भारत कोकिंग कोल लि०	उनके अधीन सभी कोयला खानें।
2.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	--यथोक्त--
3.	टाटा लौह और इस्पात कम्पनी	(1) डिगवाडीह कोयला खान।
		(2) जामा दोबा 3 और 4 पिट।
		(3) जामा दोबा 6 और 7 पिट।
		(4) मेलाटोड कोयला खान।
		(5) सिजुआ कोयला खान।
		(6) मालकेरा कोयला खान।
		(7) पश्चिम बोकारो कोयला खान।

श्रमिक ब्यूरो में उपनिदेशक के रिक्त पद

1608. **श्री बसंत साठे**: क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमिक ब्यूरो में उपनिदेशकों के दो पद लगभग एक वर्ष से रिक्त पड़े हुए हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस समय श्रम विभाग में प्रथम श्रेणी के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और उन पर तत्काल नियुक्ति करने के लिए क्या क़दम उठाये जा रहे हैं।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

ठेकेदारों के शोषण से असंगठित ग्रामीण श्रमिकों की रक्षा करने हेतु विधान

1609. **श्री बसंत साठे**: क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ठेकेदारों तथा अन्य सिद्धान्तहीन तत्वों से असंगठित ग्रामीण श्रमिकों की रक्षा करने हेतु क्या विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) क्या पिछड़े हुए तथा आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित श्रम प्रधान योजनाओं पर सीधे तथा ठेकेदारों के माध्यम से लगाये जाने वाले ग्रामीण श्रमिकों की मजूरी दरों में बहुत बड़ा अन्तर रहता है; और

(ग) स्थिति को सुधारने तथा असंगठित ग्रामीण श्रमिक बल के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) श्रम-कानून, जैसे कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम, बीड़ी और सिगार श्रमिक (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, आदि आदि अधिनियम अपने-अपने अन्तर्गत आने वाले सभी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करते हैं। सरकार द्वारा संगठित और असंगठित, दोनों ही प्रकार के श्रमिकों की कठिनाइयों की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और आवश्यक समझी जाने वाली कार्यवाही अर्थात् जांच पड़ताल निकायों की नियुक्ति, जैसे कि समितियां और अध्ययन दल और तथ्य अन्वेषक सर्वेक्षण करना, विचार गोष्ठियों का आयोजन करना आदि, बिना इस भेद के आधार पर कि श्रमिक संगठित है या असंगठित हैं, की जाती है।

(ख) केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं में सीधे या ठेकेदारों के माध्यम से लगाए गए ग्रामीण श्रमिकों की मजूरी दरों में अन्तर के बारे में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। तथापि, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत निर्मित नियम यह व्यवस्था करते हैं कि ठेकेदार द्वारा श्रमिक को दी जाने वाली मजूरीदरें न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 द्वारा निर्धारित दरों तथा प्रतिष्ठान के मुख्य नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों को उस या उसी प्रकार के कार्य के लिए दी जाने वाली मजूरी-दरों से कम नहीं होंगी।

(ग) ऐसे मामलों में जहां नियोजक किसी अधिनियम/नियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही ।

विभिन्न राज्यों में इस्पात की कमी

1610. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में इस्पात की कमी के बारे में केन्द्रीय सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को इस्पात का कितना कितना कोटा मंजूर किया गया है और वर्ष 1972-73 में मंजूर कोटे में से की गई सप्लाई की वास्तविक मात्रा कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कई श्रेणियों के इस्पात की मांग उपलब्धि से अधिक और इसलिए हो सकता है कि राज्यों को (मध्य प्रदेश भी शामिल है) अपर्याप्त सप्लाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा ो।

(ख) वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन कोटा देने/राज्यवार आबंटन करने की व्यवस्था नही है। मुख्य इस्पात उत्पादकों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात के अन्ततः उपयोग, जिसके लिए इस्पात मांगा गया हो, उपलब्धि तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान रखकर कया जाता है।

नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा संगणकों को लोकप्रिय बनाने की सिफारिश करना

1611. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अध्ययन करके पता लगाया गया है कि हमारे देश में किसी निर्माण संगठन में संगणकों को लगाने से कोई छटनी नहीं हुई;

(ख) क्या नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग इन इन्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग द्वारा किए गए अध्ययन ने संगणकों को लोकप्रिय बनाने की सिफारिश की है; और

(ग) ... सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) विकास के लिए संगणक प्रोद्योग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारीदल के अनुसार विकासशील देशों में रोजगार पर संगणकों प्रभावों सम्बन्धी आंकड़ों की कमी थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमेंट उद्योग श्रमिकों के मजूरी ढांचे के पुनरीक्षण के लिये समिति

1612. **श्री सी०के० जाफर शरीफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग के श्रमिकों के मजूरी ढांचे का पुनरीक्षण करने के लिए कोई समिति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और वह अपनी रिपोर्ट कब तक पेश कर देगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग में मजूरी ढांचे में, संशोधन करने के लिए एक द्विपक्षीय समिति 20 जून, 1973 को गठित की गई थी । इसमें नियोजकों तथा श्रमिकों के छः छः प्रतिनिध सम्मिलित हैं। यह आशा की जाती है कि यह समिति यथाशीघ्र अपना कार्य पूरा कर देगी ।

मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी के प्रबन्ध को हाथ में लेकर उनका पुनर्गठन

1613. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री किशोर सिंह :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी तथा इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी की वित्तीय तथा कार्य संचालन स्थिति की जांच करने हेतु नियुक्त समितियों के प्रतिवेदनों पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन एककों को सुदृढ़ स्थिति में लाने के लिये किस प्रकार के अन्य कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मै० बर्न एण्ड कम्पनी और मै० इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई जांच समितियों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । शीघ्र ही निणय लिये जाने की आशा है ।

केन्द्रीय सरकार में महिला कर्मचारियों तथा राजपत्रित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि

1614. **श्री एम०एम० जोफज :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार में महिला कर्मचारियों और राजपत्रित अधिकारियों की संख्या अन्य वर्गों के कर्मचारियों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5281/73**]

नेशनल कौंसिल आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिये किया गया नियतन

1615. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कौंसल आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स की बैठकों का सम्पूर्ण व्यय सरकार ने वहन किया है;

(ख) परिषद् पर उसकी उद्घाटन बैठक से 30 जून, 1973 तक कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) उक्त परिषद् की बैठक में किन किन केन्द्रीय मजदूरों संघों ने भाग लिया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय श्रमिक संघों की राष्ट्रीय परिषद्, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस, अखिल भारत श्रमिक संघ कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा द्वारा उनके प्रतिनिधियों द्वारा 21 मई, 1972 को हुई बैठक में गठित की गई थी । परिषद् के बाद की बैठकों में भाग लेने वालों के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

योजना मंत्री का रूमानिया का दौरा

1616. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना मंत्री ने हाल ही में रूमानिया का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या था और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उनके साथ कितने अधिकारी गये ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय योजना मंत्री ने दि० 2 जुलाई से 6 जुलाई, 1973 तक रोमानिया समाजवादी गणतन्त्र की यात्रा की । केन्द्रीय योजना मंत्री की यह यात्रा रोमानिया सरकार के निमंत्रण पर की गई थी । इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और आपसी हित के आधार पर उनको

ौर विकसित करने और उनको विविधतापूर्ण बनाने की सम्भावनाओं पर विचार करना था । विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों में ोर्घावधि के आधार पर सहयोग के विस्तार की सम्भावनाओं का उल्लेख किया गया । कच्चे तेल और ाकृतिक गैस की खोज, दोहन और शुद्धीकरण, तेल-क्षेत्र उपस्करों का उत्पादन, साज-समान और पुज, विद्युत उ ोग, रसायन और पट्रोरसायन उद्योग विशेषकर उर्वरक और कीटानशी का उत्पादन, कृषि एवं पशुपालन और अन्य देशों में सहयोग । इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच तकनीकी ौर वैज्ञानिक सहयोग के विस्तार तथा आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में कैडरों के प्रशिक्षण से सम्बधित मामलों पर भी बातचीत हुई । आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक अन्तर्सरकारी संयुक्त आयोग की स्थापना पर सहमति हुई तथा कार्यक्रम के आधार पर आर्थिक औद्योगिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के और विकास के लिए ठोस उपायों पर गौर करने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञों का एक संयुक्त दल गठित करने पर भी सहमति हुई ।

(ग) मंत्री के साथ 3 अधिकारी गए थे । योजना मंत्री से पहले 8 विशेषज्ञ आर्थिक सहयोग के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए गए थे ।

कलकत्ता स्थित संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य दूतावास के श्री पेटर बरले पर तोड़फोड़ की कार्यवाहियों का आरोप

1617. श्री आर० के० सिन्हा :
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 मई 1973 के 'ब्लिटज़' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के राजनैयिक अधिकारी श्री पेटर बरले तोड़फोड़ की कार्यवाहियां कर रहे हैं; और

(ख) सरकार ने इस मामले को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ उठाने के लिये क्या कदम उठाये हैं और अमरीकी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे मामलों में राष्ट्रीयहित की सुरक्षा के बारे में सरकार सदैव सतर्क रहती है ।

1971 के युद्ध के दौरान भारत में प्रवेश कर आने वाले पाकिस्तानी सिविलियनों की वापसी

1618. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या शिमला समझौते के अनुसार वे सभी पाकिस्तानी सिविलियन जो 1971 के युद्ध के दौरान सीमा पार करके भारत में आ गये थे पाकिस्तान वापिस चले गये हैं; और यदि नहीं, तो भारत में अभी तक ऐसे कितने व्यक्ति मौजूद हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ ने भारत में बसने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो कितनों ने और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) उनमें से केवल कुछ ही लोग पाकिस्तान वापस गए हैं । अभी लगभग 65,000 व्यक्ति भारत में हैं

(ख) और (ग) जी, हां, परन्तु ऐसे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या मालूम नहीं है। विदेशी होने के कारण इन पाकिस्तानी नागरिकों से पाकिस्तान वापस चले जाने की आशा की जाती है। फिर भी वे पाकिस्तान लौटने के अनिच्छुक हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान वापस लौटने में अपनी खुशहाली के बारे में आशंका है। सरकार इसको आवश्यक मानवीय समस्या के रूप में समझती है और आशा करती है कि पाकिस्तान सरकार इन प्रभावित व्यक्तियों के सकुशल और सादर अपने घरों को लौटने के लिए आवण्यक स्थितियां पैदा करने के लिए उचित उपाय करेगी।

बंगलादेश में इस्पात, कपड़ा और उर्वरक कारखानों की स्थापना

1619. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगला देश में इस्पात, कपड़ा और उर्वरक कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि बंगलादेश के उद्योगों का और विकास हो सकें ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में बंगलादेश सरकार से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): **(क) से (ग)** भारत के सहयोग से या उसके साथ मिलकर बंगलादेश में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के वारे में भारत सरकार और बंगलादेश की सरकार विचार कर रही है। इस परियोजना के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

भारतीय कच्चे लोहे की सप्लाई से बंगलादेश में स्पंज लोहे का एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर भी दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श शुरू हुआ है। उम्मीद है कि इस परियोजना की भी सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

कपड़ा उद्योग के सबन्ध में, सरकार-से-सरकार को ऋण के आधार पर, भारत सरकार ने बंगलादेश सरकार को कपड़ा उद्योग की मशीनों की खरीद्र के लिए 6 करोड़ रुपये के ऋण की पेशकश की है।

भारत मूलक एशियाइयों को 24 जून, 1973 को एक "पैन-एम जम्बो जैट" से जबरदस्ती बाहर निकालना

1620. **श्री मधु लिमये** :

श्री ज्योतिर्मय बसु

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 107 भारत मूलक एशियाईयों को 24 जून, को एक "पैन-एम जम्बो जैट" से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): **(क) और (ख)** भारत मूलक के 107 एशियाई जिनके पास यूनाइटेड किंगडम का पारपत्र हैं, भारत में रह रहे हैं उनमें से कुछ तो कई वर्षों

से रह रहे हैं । जून के प्रारम्भ में वे लोग छोटे छोटे समूहों में पर्यटक बीजा के आधार पर बैंगकाक गए थे और इनके पास दिल्ली का वापसी टिकट था । 24 जून को पान-एम उड़ान द्वारा दिल्ली लौटने पर उन्होंने वायुयान से उतरने से इनकार कर दिया और मांग की कि उन्हें यूनाइटेड किंगडम ले जाया जाय । एयर लाइन ने इस अनुरोध को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि सम्बद्ध व्यक्तियों के पास न तो यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने के उपयुक्त कागजात थे और न ही उस देश की यात्रा करने के लिए वैध टिकट थे ।

स्वेच्छा से वायुयान छोड़ देने के लिए उन्हें समझाने के सारे प्रयत्न असफल रहे । यात्रियों को वायुयान से बाहर निकालने के लिए एअर लाइन ने सरकारी अधिकारियों से सहायता का अनुरोध किया क्योंकि वे बराबर वायुयान में बैठे थे और इससे बड़ी असुविधा हो रही थी और उड़ान कार्यक्रम अवरुद्ध था । इन 107 व्यक्तियों को जबर्दस्ती वायुयान से निकाला गया और उन पर आपराधिक अतिक्रमण के लिए मुकदमा चलाया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

रक्षा कर्मचारियों को पेंशन की 250 रुपये प्रतिमास से अधिक राशि को मनीआर्डर द्वारा भेजे जाने के बारे में अभ्यावेदन

1621. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा कर्मचारियों को पेंशन की 250 रुपये प्राप्त प्रति मास से अधिक राशि को मनीआर्डर द्वारा भेजे जाने के बारे में कुछ संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दो इंजन वाले टरवोप्राप विमान का निर्माण

1622. **श्री डी० पी० जदेजा : भि**

श्री बेकारिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 10 से 15 यात्री की क्षमता के दो इंजन वाले टरवोप्राप नए विमान, जिनकी सिविल तथा सैनिक मांग बढ़ रही है, के उत्तरोत्तर निर्माण के लिए विदेशी सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) छोटे यात्री विमान के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है और यदि आवश्यक समझा गया तो इसके लिए विदेशी सहयोग के प्रश्न पर यथासमय विचार किया जाएगा ।

मजदूर संघों की संयुक्त परिषद् के सचिवालय द्वारा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

1623. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजदूर संघों की संयुक्त परिषद् के सचिवालय ने 25 और 26 जुलाई, 1973 को नई दिल्ली में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में, "सब के लिए बोनस" हेतु एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या सम्मेलन कार्यक्रम के अनुसार हुआ; और

(ग) सम्मेलन का सर्वमान्य मत क्या था और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, मजदूर संघों की संयुक्त परिषद् द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और बोनस सहित कई विषयों पर प्रस्तावों को अपनाया गया था। अधिक ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की ऊंची दर प्राप्त कर सकने के लिये पूंजी निवेश की नयी पद्धति

1624. **श्री चिरंजीव झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूंजी निवेश की नई पद्धति पर कोई निर्णय किया है ताकि कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की ऊंची दर कमायी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) पूंजी निवेश की आय में वृद्धि करने और इसके द्वारा निधि को अंशदान देने वालों को निधि में अपने संचयनों पर उच्चतर दर का प्रतिलाभ कमाने योग्य बना सकने के उद्देश्य निवेश ढांचे का सामयिक रूप से पुनर्विलोकन और संशोधन किया गया है। पूंजी निवेश का प्रचलित ढांचा निम्न प्रकार है:—

(1)	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	45%
(2)	राज्य सरकार की प्रभूतियां और राज्य या केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूत प्रतिभूतियां	25%
(3)	डाकघर सावधि जमा और अल्प बचतें .	30%

यह 30-9-1973 तक लागू रहेगा। पूंजी निवेश के ढांचे को इस तारीख से पहले पुनर्विलोकन करने का प्रस्ताव है।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये माल की खरीद

1625. **श्री चिरंजीव झा** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों के माल को खरीद [illegible] नीति बनाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 के दौरान इस नीति का कहां तक पालन किया गया था; और

(ग) वर्ष 1973-74 के दौरान इस नीति का कहां तक पालन किया जायेगा ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) लघु उद्योगों को दिए गए आर्डरों का मूल्य, जो 1963-64 में 37.35 करोड़ रुपये था, उत्तरोत्तर बढ़कर 1972-73 में 72.75 करोड़ रुपया हो गया। लघु उद्योगों को ठेके दिए जाने की नीति का 1973-74 में भी पालन होता रहेगा।

कोयले के स्टालों/डिपों के परमिटों का दिल्ली प्रशासन द्वारा रद्द किया जाना

1626. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में दिल्ली में कोयले के स्टालों अथवा डिपों के लाइसेंस (परमिट) रद्द कर दिये थे क्योंकि उनके मालिकों ने अनियमित्ताएं की थीं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा चार कोयला डिपों के लाइसेंस रद्द कर लिए गए हैं क्योंकि उनके मालिकों ने अनियमित्ता बरती थीं। इनमें से तीन मामलों की पुलिस में रिपोर्ट की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 37 डिपो को सोफ्ट कोक का आवंटन आगामी कार्रवाई किए जाने तक स्थगित कर दिया गया है।

राज्यों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को फालतू भूमि का आवंटन

1627. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री डी०बी० चन्द्रगोडा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को भूतपूर्व सैनिकों को फालतू कृषि भूमि आवंटित करने के लिए कहा है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने कोई सर्वेक्षण किया है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक कितने हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं है और यदि हां, तो उनकी, राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिनको राज्य सरकारों ने पहले ी भूमि दे दी है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित आदेश पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे०बी० पटनायक): (क) चूंकि भूमि आबंटन का विषय राज्य का विषय है और लोगों को भूमि का वितरण राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत किया जाता है। अत: भूतपूर्व सैनिकों को फालतू कृषि भूमि आवंटित किये जाने के लिए इस मंत्रालय ने कोई निदेश जारी नहीं किये हैं।

(ख) और (ग) सूचना रक्षा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्रित करनी पड़ेगी। इस सूचना को एकत्र करने में लगने वाला समय उससे प्राप्त परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

एक हजार रुपये तक प्रतिमास वेतन पाने वाले कर्मचारियोंको भी शामिल करने के उद्देश्य से शब्द 'वर्कमैन' को व्यापक बनाना

1628. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 3 अप्रल, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों भी शामिल करने के उद्देश्य से शब्द 'वर्कमैन' को व्यापक बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) 'श्रमिक' शब्द को परिभाषा को परिधि को विस्तृत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कोयला खान प्राधिकरण के यहां पंजीकृत गैर-कोकिंग कोयला खानें

1629. **श्री आर० एन० बर्मन**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यहां बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हाल ही में गठित कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा पंजीकृत गैर-कोकिंग कोयला खानों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन गैर-कोकिंग कोयला खानों की संख्या कितनी है जो पंजीकृत नहीं है ;

(ग) इन कोयला खानों को अभी तक पंजीकृत न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त गर-पंजीकृत गैर-कोकिंग कोयला खानों को कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कब तक पंजीकृत कर लिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधिन राष्ट्रीयकृत 711 कोयला खानों में से 527 खानों का स्वामिस्व और और प्रबंध कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के पास है और शेष का स्वामिस्व और प्रबंध भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास है। कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के साथ किसी अन्य खान के पंजीकरण का प्रश्न नहीं होता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के अधीन रखे गये विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक

1630. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न संस्थानों के बड़ी संख्या में असैनिक वैज्ञानिकों को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के अधीन रखा गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या उस आश्वासन से वैज्ञानिकों को संतोष नहीं हुआ है कि असेनिक वैज्ञानिक सशस्त्र सेना चिकत्सा सेवा के अधीन कार्य करते हुए प्रतिक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में बने रहेंगे, यदि हां, तो इस संदेह को दूर करने के लिए क्या कार्यवाहीं की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1-6-1973 से डिफेंस इन्स्टीट्यूट आफ फिजिओलोजी एण्ड एलाइंड साइंसेज तथा इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर मेडिसिन एण्ड एलाइड साइंसेज को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के नियंत्रण से महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के नियंत्रण में हस्तांतरण कर दिया गया है, जिससे कि निदानशाला के कार्य में उत्तरवर्ती के यहां अधिक अच्छा समन्वय हो सके।

(ख) अनुसंधान संस्थानों में सेवा रत वैज्ञानिकों को नियंत्रण हस्तांतरण के कारण पदोन्नति का कोई जोखिम न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान सिविलियन वैज्ञानिक अमले को अनुसंधान तथा विकास संगठन जो कि रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के अंतर्गत है, के सामान्य रोस्टर में बनाए रखा जायेगा तथा सही स्थिति वैज्ञानिकों को भी सूचित कर दी गई है ।

उत्तर प्रदेश स्थित हिंडलको शोधित कोबरा एल्यूमिनियम लेने का निर्णय

1631. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थिति हिंडालको, जो बिड़ला का कारखाना है, में शोधित होने वाला कोबरा एल्यूमिनियम संयंत्र द्वारा उत्पादित एल्यूमीनियम लेने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लिये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

मैसूर के लिये स्वीकृत स्कूटर परियोजना

1632. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर में एक स्कूटर परियोजना के लिये स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित की जायेगी और इस पर कितनी लागत आयेगी और इसमें काम कब से आरम्भ होगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैसर्स मैसूर स्टेट इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर को, जो राज्य सरकार का उपक्रम है, मैसूर में स्कूटर बनाने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है।

(ख) परियोजना को बंगलौर में स्थापित करने का विचार है। भूमि, भवन और मशीनों पर 263 लाख रुपये के विनियोजन का प्रस्ताव है। इस अवस्था में पहले ही ठीक-ठीक यह बता सकना कि उत्पादन कब प्रारम्भ होगा, संभव नहीं है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और हंगरी की एक फर्म के बीच समझौता

1633. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और हंगरी की एक फर्म के बीच एक समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हंगरी की फर्म से मांगी जा रही तकनीकी सहायता की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मैं हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर ने हंगरी के मै० यूनाइटेड इनकेन्डिसेंट लैम्प एण्ड इलैक्ट्रिकल कम्पनी लिमिटेड (जो पुटिगसम कही जाती है) के सहयोग से लैम्प और लैम्पों के पुर्जों तथा जी एल एस लाइनों का निर्माण करने के बारे में हाल ही में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव में व्यापक आधार पर तकनीकी और प्रौद्योगिकी सहायता सम्मिलित है।

नैवेली लिग्नाइट की विस्तार योजना

1634. श्री जमुना प्रसाद मंडल :
श्री सुबोध चन्द्र :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने नैवेली लिग्नाइट समूह के लिए एक वृहद विस्तार योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) नैवेली लिग्नाइट खान की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 36 लाख टन प्रति वर्ष है। लिग्नाइट के उत्पादन को प्रथम चरण में 1975-76 तक 45 लाख टन तक बढ़ाने की योजना है जिसके लिए 11.62 करोड़ रुपए के सहायक उपस्कर, जिसमें प्रतिस्थापन उपस्कर शामिल हैं, की अधिप्राप्ति के प्रयास जारी हैं।

विशिष्ट खनन उपस्कर के लिए 36 करोड़ रुपए के विनिधान से लिग्नाइट उत्पादन क्षमता 45 लाख टन से बढ़ाकर 65 लाख टन प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव पर भी सरकार सक्रिय विचार कर रही है। आशा की जाती है कि लिग्नाइट के 65 लाख टन प्रतिवर्ष के उत्पादन से नैवेली लिग्नाइट निगम की सभी औद्योगिक इकाइयां, अर्थात बिजली घर, उर्वरक संयंत्र और ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र अपनी अधिकतम क्षमता से काम करने लगेगी।

स्कूटरों के पुर्जे मिर्माण हेतु स्कूटर इन्डस्ट्रियल डेंवलपमैंट कारपोरेशन को स्कूटर इण्डिया लिमिटेड का सुझा व

1635. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने मत व्यक्त किया है कि राज्य औद्योगिक विकास निगमों के लिये सम्पूर्ण स्कूटरों का निर्माण करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होगा, और यह सुझाव दिया है कि उन्हें तो स्कूटरों के पुर्जों का निर्माण करना चाहिये तथा स्कूटर इंडिया लिमिटेड के लिये उनको जोड़कर स्कूटर बनाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में राज्य औद्योगिक विकास निगमों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सुझाव पर कोई निर्णय किया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य औद्योगिक विकास निगमों को दिए गए आशय-पत्रों की प्रगति की समीक्षा करते समय सरकार को ऐसा लगा कि स्कूटर्स इंडिया से सम्बद्ध किये बिना कार्यक्रमों की प्रगति सम्भव नहीं है।

(ख) राज्य औद्योगिक विकास निगमों ने उत्पादन तथा विपणन के एक एकीकृत कार्यक्रम की योजना के प्रति उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की है क्योंकि उनमें से कुछ ने स्वयं ही इस प्रकार के संबंध के बारे में सुझाव दिया था।

(ग) निगमों के परामर्श से योजनाओं का ब्यौरा तैयार होने के पश्चात ही निर्णय किया जायेगा। कार्य सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में नये उत्पादनों का विकास

1636. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० के अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नये उत्पादनों का विकास किया गया है :

(ख) यदि हां, तो विकसित किये गये नये उत्पादनों की विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इन नये उत्पादनों की लागत क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) कम्पनी द्वारा विकसित नए उत्पादनों में इलैक्ट्रानिक्स की नवीनतम प्रौद्योगिकी समाविष्ट है। अधिकांश उपस्कर ठोस अवस्था में हैं और पूर्णतया ट्रांजिस्ट्राइड है और इस प्रकार से सुसम्बद्ध तथा हल्के भार वाले हैं। उपस्कर आमतौर पर इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वे उन पर भरोसा किया जा सके तथा उनका अनुरक्षण सरल हो।

(ग) इन नए उपस्करों में से कुछ उपस्करों के मूल्यों को अभी अन्तिम रुप दिया जाना है। तथापि, ऐसी आशा है कि इन उपस्करों के बारे में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के विक्रय मूल्यों की उन्हीं के समान विदेश में बनाए गए समकक्ष उपस्करों की आयातित लागत के साथ तुलना की जा सके।

देश की सुरक्षा के लिये परमाणु शस्त्रास्त्रों का निर्माण

1637. **श्री नरेंद्र सिंह** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की सुरक्षा के लिए परमाणु शस्त्रास्त्रों का निर्माण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण कब से किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

1638. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग नहीं ले रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। प्रधान मंत्री यद्यपि यह चाहती थी कि वे ओटावा सम्मेलन में भाग लें और राष्ट्रमंडलीय दशों की सरकारों के अन्य शासनाध्यक्षों से ऐसे समय में भेंट करें जब कि अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र अत्यन्त महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है लेकिन दूसरे कामों में संलग्न रहने के कारण समयाभाव होने और राष्ट्रीय समस्याओं में व्यस्त रहने के कारण वे ऐसा नहीं कर सकी ।

देश में वाणिज्यिक मोटरों की कमी

1639. **श्री झारखंडे राय** : क्या भारी **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाणिजियक मोटरों की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। दो प्रकार के लोकप्रिय वाहनों की मुख्यतया कमी है, इनके लिए ग्राहकों को करीब डेढ़ से ढ़ाई वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ख) इस ओर उठाये गये कदमों में विद्यमान क्षमता का विस्तार करना अनुकूलतम बनाना तथा नई क्षमता को चालू करना शामिल है ।

1971 के युद्ध के दौरान उच्च पदों पर आसीन युद्ध अपराधियों को सौंपने के लिए पाकिस्तान को कहने का प्रस्ताव

1640. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश की सरकारों का विचार पाकिस्तान सरकार को उन कुछ युद्ध अपराधियों को उन्हें सौंपने के लिये कहने का है जो अब पाकिस्तान में हैं तथा जो बंगलादेश में 1971 के युद्ध के समय उच्च पदों पर आसीन थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य ब क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) यह निश्चय करना बंगलादेश सरकार का काम है कि वह किन लोगों पर आपराधिक आरोपों के अंतर्गत मुकद्दमा चलाना चाहती है। भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहींहै जिसमें ऐसे कुछ लोगों को मुकद्दमा चलाने के लिए मांगा गया जो अब पाकिस्तान में हैं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स कारखाने का विस्तार

1641. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन्:** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई उर्वरक तथा पैट्रोलियम-रसायन परियोजनाओं की स्थापना संबंधी सरकार के निर्णय के फलस्वरुप भारी जलपोतों की मांग बढ़ जायेगी जिसको वर्तमान कारखाना पूरा नहीं कर सकेगा ; यदि हां, तो क्या सरकार देश में भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स का विकास करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स कारखाने ने अपनी स्थापना से अब तक की चार वर्ष की थोड़ी सी अवधि में 408 लाख रुपये की कुल हानि उठाई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह जांच करने के लिये कोई समिति गठित की है कि इस कारखाने का विस्तार किया जाये अथवा एक नया कारखाना स्थापित किया जाये ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड जून, 1966 में नियमित किया गया था। यद्यपि संयंत्र अगस्त, 1971 में ही पूरा हो गया था, लेकिन जुलाई, 1973 में परीक्षण के तौर पर उत्पादन शुरू हुआ। कम्पनी की स्थापना से लेकर 1972-1973 के अंत तक इसको 402.87 लाख रुपये की कुल हानि हुई है, जिसमें 176.12 लाख रुपये का मूल्य ह्रास और आस्थागित राजस्व व्यय तथा 141.43 लाख का सरकार को ब्याज का भुगतान शामिल है। कंपनी ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जटिल उपकरणों का निर्माण करती है। शुरू के वर्षों में निर्माण संबंधी कार्यकलापों का कार्यसंचालन संबंधी प्रावस्था के साथ परस्पर व्याप्त होना और इस जैसी बड़ी और जटिल परियोजना में उत्पादन शुरू करने के लिए पनपने की लम्बी अवधि की आवश्यकता, हानि के दो मुख्य कारण हैं। ब्याज का अधिक भार, मुल्य ह्रास और उपरिव्यय के कारण भी हानियां हुई है।

(ग) जी, नहीं। फिर भी नैशनल इण्डस्ट्रिज डेवलपमैंट कारपोरेशन को उस ढंग के संबंध में अध्ययन करने का काम सौपा गया है जिसमें पांचवी और छटी योजनावधि में प्रेशर वेसलों और हीट एक्सचेंजरों का निर्माण करने के लिए मांग और क्षमता के बीच अन्तर पूरा किया जा सकता है। नेशनल इण्डस्ट्रिज डेवलपमैंट कारपोरेशन की रिपोर्ट पर विचार कर लेने के पश्चात ही एक नया एकक स्थापित करने या भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापटनम की क्षमता का विस्तार करने के प्रश्न पर निर्णय किया जायेगा।

कार कारखानों की क्षमता का विस्तार

1642. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन् :**
श्री पी० ए० स्वामिनाथन्

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार कारखानों को अपनी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) क्या सभी कार कारखानों को ऐसा करने की अनुमति दे दी है ; और

(घ) क्या इस विस्तार से कार के मूल्य कम होने में सहायता मिलेगी।

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) मे० प्रीमियर आटोमोबाइल्स को छोड़कर, जिसने प्रतिवर्ष 18,000 कारों तक अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, जो कि विचाराधीन है, क्षमता का विस्तार करने के लिए सरकार को कार निर्माताओं से हाल ही में कोई आवेदन नहीं मिला है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दक्षिण पूर्व एशियायी देशों के समाचार पत्रों द्वारा भारत की नीतियों की आलोचना

1643. श्री एच०एम० पटेल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों के समाचार पत्र कुछ समय से भारत की नीतियों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं तथा क्या सरकार ने इन समाचारों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में दक्षिणपूर्व एशिया के विभिन्न देशों की राजधानियों से अपने मिशनों की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) और (ख) प्रत्येक क्षेत्र में स्थित हमारे मिशनों की सहायता से विभिन्न क्षेत्रों के अखबारों पर इस बात के लिए पूरी नजर रखी जाती है वे भारत की कैसी तस्वीर पेश करते हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत विषय प्रेस समाचारो की गहरी जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि इस क्षेत्र में प्रेस अधिकतर मित्रतापूर्ण रहा है। कभी कभी विरोधी रिपोर्ट भी, विशेषकर भारत के कुछ भागों में सूखे की स्थिति के बारे में, प्रकाशित हुई है किन्तु उनका विश्लेषण और इन पर टिप्पणियां अमित्रतापूर्ण नहीं थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिमला समझौता की क्रियान्विति के लिये इंडोनेशिया का अनुरोध

1644. श्री एच० एम० पटेल: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के सभी भागों की शीघ्र क्रियान्विति का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) और (ख) इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री की अप्रैल, 1973 में भारत यात्रा के अन्त में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में इस विषय में लिखा है कि :

"इन्डोनेशिया गणतन्त्र के विदेश मंत्री के अनुरोध पर भारत के विदेश मंत्री ने उपमहाद्वीप की स्थिति की विस्तार से चर्चा की और इस उप महाद्वीप के देशों के बीच शान्ति और सद्भाव बनाने के लिए शिमला सम्मेलन के पूर्व और उसके बाद भारत द्वारा उठाए गए कदमों का विशेष रूप से उल्लेख किया। दोनों

विदेश मंत्री इस बात से सहमत थे कि संबंद्ध देशों के बीच स्थायी शान्ति की स्थापना करने और सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उपमहाद्वीप में विद्यमान वास्तविकताओं को स्वीकार करना और उन्हें मान्यता दिया जाना आवश्यक है । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन संबद्ध देशों के बीच सीधी बातचीत है।

उपदान भुगतान अधिनियम में संशोधन करने के लिये 'इंटक' का संकल्प

1645. **श्री श्रीकिशन मोदी:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'इंटक'की कार्यकारी समिति ने एक संकल्प में उपदान भुगतान अधिनियम में संशोधन करने का सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी हां।

(ख) मामले की छानबीन की जा रही है।

हरियाणा में छोटा (मिनी) इस्पात संयंत्र की स्थापना

1646. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक छोटा (मिनी) इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव केन्द्रसरकार के पास भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, चण्डीगढ़ को प्रतिवर्ष 50,000टन इस्पात बिलेट के उत्पाद नार्थ हिसार के निकट एक विद्युत भट्ठी-एवं-लगातार ढलाई कारखाने की स्थापना के लिए 18 जून, 1971 को एक आशयपत्र जारी किया गया है।

पश्चिमी बंगाल स्थित केशोराम रेयन फैक्ट्री में तालाबन्दी

1647. **श्री दीनेन भट्टाचार्य:** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित केशोराम रेयन फैक्ट्री में गत दो मास से तालाबंदी करदी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त तालाबंदी के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त तालाबंदी का शीघ्र समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) मामला अनिवार्य रुप से राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रबंधकों ने श्रमिकों द्वारा अभिकथित अनुशासनहीनता के कारण 14 अप्रैल, 1973 को तालाबंदी घोषित की थी ।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के मिश्र उत्पाद के विस्तार की लाभप्रदता के बारे में मूल्यांकन

1648. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री रानेन सेन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में मिश्र इस्पात संयंत्र के मिश्र उत्पाद के विस्तार की लाभप्रदता के बारे में मूल्यांकन करने के लिये सरकार द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) इस काम के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई है। इस विषय के विशेषज्ञों के एक दल को प्रोडक्ट मिक्स के प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया था उन्होंने यह कार्य पूरा कर लिया है और इसकी अब जाँच की जा रही है।

भारत में आधुनिकतम सैनिक साज-समान के निरूपण तथा विकास के लिये सहयोग हेतु सोवियत संघ से बातचीत

1649. श्री डी० के० पण्डा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारत में विशेषकर नौसेना तथा वायुसेना के लिए आधुनिकतम सैनिक साज-सामान के निरुपण तथा विकास के लिए सोवियत सहयोग हेतु सोवियत संघ से कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

सोवियत संघ से युद्ध पोतों की खरीद

1650. श्री डी० के० पण्डा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से और अधिक युद्ध-पोत खरीदने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) सरकार की नीति विभिन्न नियन्त्रणों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सम्भव सीमा तक स्वदेशी उत्पादन पर निर्भर करने की है ; भारत में युद्धपोतों का निर्माण भी आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए हमारी योजना का एक अभिन्न अंग है। तथापि, इस बारे में जब तक अपेक्षित आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक विदेश से खरीदारी करना आवश्यक होगा। माननीय सदस्य मानेंगे कि इस विषय पर और आगे सूचना प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा।

भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच शिखरवार्ता का प्रस्ताव

1651. श्री डी० के० पण्डा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान राष्ट्रपति श्री भुट्टो को प्रधान मंत्री के साथ शीघ्र ही एक शिखर वार्ता होने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) :

(क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं !

(ख) इस विषय में सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खनन उद्योग के लिये उपकरणों की बढ़ी हुई मांग

1652. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीय करण के पश्चात खनन उद्योग के लिये उपकरणों की मांग बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद वर्तमान उत्पादन क्षमता 760 लाख टन प्रतिवर्ष के स्तर से बढ़ाकर 1978-79 तक 1430 लाख टन प्रतिवर्ष कर देने की योजना बनाई जा रही है। उत्पादन क्षमता में इस वृदि का वर्तमान खानो के पुर्निर्माण और विस्तार द्वारा और नई खाने खोलकर, पालन किया जाएगा । कोयला खान प्राधिकरण (राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समेत) द्वारा किए गए व्यापक मूल्यांकन में बताया गया है कि पांचवी योजना विधि में खनन मशीनरी की काफी अधिक जरूरत होगी और प्राधिकरण के अधिन खानों के लिए उस पर 64 करोड़ रुपए व्यय होगा ।

चौथी योजना में कोयला उत्पादन का लक्ष्य

1653. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के अन्त तक कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य पूरा किया जाना था;

(ख) क्या वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से कम होगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) 1973-74 तक उत्पादन लक्ष्य, जैसा कि मूलतः चौथी योजना के पत्रक में दरसाया गया था, 935 लाख टन था। बाद में वास्तविक निस्पादन और औद्योगिक मांग में कमी को देखते हुए लक्ष्य को संशोधित करके पहले 900 लाख टन और पुनः 800 लाख टन कर दिया गया। आशा है कि संशोधित लक्ष्य कीं की प्राप्ति में कोई कमी नहीं होगी।

ग्रेसम एण्ड क्रेवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में लेना

1654. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रेसम एण्ड क्रेवन ग्राफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में लेने का है;

(ख) सरकार ने इस कम्पनी को चलाने में ग्रब तक कुल कितनी पूंजी लगाई है; ग्रौर

(ग) क्या ग्राज यह शत प्रतिशत विदेशी सहायक कम्पनी है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मे० ग्रेसम एण्ड क्रेवन ग्राफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड का प्रबन्ध सरकार ने 31 मार्च, 1971 को उक्त तिथि से पांच वर्षों की ग्रवधि के लिए ग्रपने ग्रधिकार में लिया था।

(ख) सरकार ने इस कंपनी में ग्रब तच कुल 131 लाख रुपये की पूंजी लगाई है।

(ग) प्रबंध ग्रहण करने से कंपनी का पूर्ववर्ती ढांचा बदला नहीं जाता है।

ग्रौद्योगिक एककों के लिये 400 टन नालीदार चादरों का परमिट जारी करना

1655. **श्री एस०एम० बनर्जी**: क्या **इस्पात ग्रौर खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर में ग्रौद्योगिक एककों को 400 टन नालीदार चादरों के परमिट जारी किये गये थे;

(ख) क्या चादरों की सप्लाई ग्रौद्योगिक एककों के की गई थी ग्रथवा उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो चादरों को किन परिस्थितियों में पाकिस्तान भेजा गया; ग्रौर

(घ) इसमें कितनी धनराशि खर्च हुई ग्रौर इस कार्य में कितने व्यक्ति शामिल हैं?

इस्पात ग्रौर खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रस्पतालों, कालेजों ग्रौर विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत लाने के लिये ग्रधिनियम में संशोधन

1656. **श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या **श्रम ग्रौर पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रस्पतालों, कालेजों, विश्वविद्यालयों ग्रौर क्लबों में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत लाने हेतु ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम में संशोधन किया जा रहा है; ग्रौर

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ग्रौर संशोधन कब से प्रस्तुत किये जायेंगे?

श्रम ग्रौर पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): **(क) ग्रौर (ख)** यह मामला सरकार के विचाराधीन है ग्रौर इसे यथाशीघ्र ग्रन्तिम रूप देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

बीमार पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को पाकिस्तान भेजना और पाकिस्तान में बंगालियों को बंगला देश भेजना

1657. **श्री एस०एम० बनर्जी :**
श्री पी० ए० सवामिनाथन् :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 440 बीमार पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को वापिस पाकिस्तान भेज दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार इसके बदले में बंगालियों को बंगलादेश भेजने को सहमत हो गई है और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) अब तक 1208 बीमार पाकिस्तानी युद्ध बन्दी और नागरिक नजरबंद पाकिस्तान प्रत्यावर्तित किये जा चुके हैं।

(ख) बीमार पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों का प्रत्यावर्तन, पाकिस्तान से बंगालियों के बंगलादेश प्रत्यावर्तन से संबद्ध नहीं किया किया जाता। जैसा कि सदन को ज्ञात ही है कि दिसम्बर 1971 के संघर्ष से उत्पन्न मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए भारत और बंगला देश की सरकारों ने 17 अप्रैल 1973 को अपनी संयुक्त घोषणा में यह प्रस्ताव किया है कि पाकिस्तानी युद्धबंदियों और नागरिक नजरबंदों का, केवल उन्हें छोड़कर जिन पर बंगलादेश सरकार आपराधिक कार्यों के लिए मुकदमा चलाना चाहती है, पाकिस्तान में जबरदस्ती रोके गये बंगालियों और बंगलादेश में रह रहे पाकिस्तानियों का एक साथ प्रत्यावर्तन कर दिया जाय।

भारी उद्योग मंत्रालय में 'शिकायत सैल'

1658. **श्री एस० एम० संजीवीराव :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अपने मंत्रालय में एक 'शिकायत सेल' स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रमुख उद्देश्य और कृत्य क्या होंगे?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारी उद्योग मंत्रालय की सीमा में आने वाले सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की खराबियों/कमियों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देने का उद्देश्य है। प्रकोष्ठ संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करेगा, किस्म/विशिष्टीकरण में सुधार करने के उपायों का सुझाव देगा, जहां कहीं आवश्यक होगा निरीक्षण करेगा और कुछ मामलों में उत्पादों की किस्म का सुनिश्चित करने के लिए उचित परीक्षण भी करेगा।

अमरीका से पुनः सैनिक सहायता प्राप्त करने के बारे में राष्ट्रपति भुट्टो का वक्तव्य

1659. **श्री एस० एस० संजीवीराव :**
श्री वीरेंद्र सिंह राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित श्री भुट्टो द्वारा अमरीका से पुनः सैनिक सहायता प्राप्त करने के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ताकि वह भारत के बराबर शक्तिशाली हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान को हथियारों की पुनः सप्लाई से संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया खतरे में पड़ जायेगी तथा इस उपमहाद्वीप में स्थाई शांति स्थापित करने की संभावनाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जबलपुर में भारी ट्रक बनाने के लिये कारखानास्थापित किया जाना

1660. **श्री शशि भूषण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय पांचवी पंचवर्षीय योजना में जबलपुर में भारी ट्रक बनाने का एक कारखाना लगाने का विचार कर रहा है;

(ख) उस कारखाने में प्रतिवर्ष कितने ट्रक बनाए जायेंगे और उनकी क्षमता कितनी होगी;

(ग) उपरोक्त कारखाना किस वर्ष में लगाया जाएगा और क्या यह कारखाना रक्षा एकक होगा अथवा सरकारी उपक्रम होगा; और

(घ) क्या कुछ गैरसरकारी कारखानों को भी भारी ट्रक बनाने की अनुमति दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुकल): (क) जी हां श्रीमन्। सरकार व्हीकल फैक्टरी जबलपुर की क्षमता बढ़ाने की संभावना का अध्ययन कर रही है।

(ख) और (ग) सारा प्रस्ताव प्रारंभिक चरणों में है और जैसा इस समय है, पूछा गया ब्यौरा देना संभव नहीं है।

(घ) भारी मोटरगाड़ियां बनाने वाली दो निजी क्षेत्र कंपनियों को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा उनकी भारी मोटर गाड़ी उत्पादन बढ़ाने के लिए लैटर आफ इन्टैट मंजूर किये गये हैं। उनमें से एक फैक्टरी अपनी 12,000 प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई अपनी उत्पादन क्षमता में $7\frac{1}{2}$ टन तथा 10 टन सेअधिक एलोंड की मोटर गाड़ियां बनाना चाहती है। दूसरी को $7\frac{1}{2}$ टन पेलोड को 4,600 प्रति वर्ष क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटर का निर्माण

1661. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में स्कूटरों की भारी मांग है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में स्कूटर निर्माण करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रतिवर्ष 1,00,000 स्कूटर बनाने के लिए लखनऊ के निकट सरकारी क्षेत्र में एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कारखाने के भवन का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। इस संयंत्र में अगस्त, 1974 में उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है।

हिन्द महासागर में चीन की गतिविधियां

1662. **श्री बेकारिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा 1970 से हिन्द महासागर में की जा रही गतिविधियों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : हिन्द महासागर के अनेक देशों के साथ चीन के आर्थिक व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के संबंध हैं। सरकार ने चीनी नौसेना यूनिटों द्वारा हिन्दमहासागर के तटवर्ती कुछ देशों की यात्रा करने के समाचार भी देखे हैं।

(ख) सरकार का यह दृष्टिकोण सर्वाविदित है कि हिन्द महासागर शांति का एक क्षेत्र रहे जिसमें बड़ी शक्तियों की उपस्थित न हो और वह शत्रुता तथा तनाव से मुक्त हो। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव सं० 2832 (XXVI) का सह-प्रस्तावक था जिसमें बड़ी शक्तियों से मांग की गई थी कि वे तटीय तथा पश्च-प्रदेशीय देशों से विचार विमर्श करें जिससे कि इस क्षेत्र से बड़ी शक्तियां की उपस्थिति समाप्त की जा सके। चीन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

भारत के साथ विचार-विमर्श करने के लिये ईरान के शाह का कथित वक्तव्य

1663. **श्री प्रसन्नभाई मेहता:**

श्री बी० पी० दासचौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान के शाह ने भारतीय पत्रकारों को दिये गए एक इंटरव्यू में शीत-युद्ध के खतरे को रोकने के लिए भारत से विचार विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की थी;

(ख) क्या सरकार ने ईरान के शाह से विचार विमर्श करने के लिए अपनी सहमति दे दी है और यदि हां, तो क्या इस बारे में ईरान से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) भारतीय पत्रकार के साथ हाल के इंटरव्यू में भारत-ईरान संबंधों पर बोलते हुए ईरान के शहंशाह ने कहा बताते हैं कि "हमारे हितों में कोई टकराव नहीं हैं। हमारे घनिष्ट संबंध हैं और इन सबके ऊपर भविष्य में हमारे बीच सहयोग की अनेक सम्भावनाएं हैं।"

(क) और (ख) ईरान सरकार के साथ आपसी हित के सभी मामलों पर विचार करने की भारत सरकार की इच्छा सुविदित है। इस प्रकार की बातचीत अभी हाल ही में उस समय हुई जब हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के निमंत्रण पर, 19 से 21 जुलाई तक वहां की यात्रा की और शहंशाह से तथा ईरान के प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। इस मौके पर भारत और ईरान के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया गया; इन्हें कार्यरूप देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

भारत अमरीकी-सम्बन्ध

1664. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका के संबंधों में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच और अधिक संबंध सुधारने के बारे में क्या नए उपाय किये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राजनीतिक, आर्थिक और अन्य मामलों में सुधार करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों द्वारा उचित स्तर पर बातों का सिलसिला जारी है।

नौसेना कर्मचारियों द्वारा नौसेना में जासूसी

1665. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री वी० मायावन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौसेना के एक कर्मचारी पर नौसेना में जासूसी करने का आरोप लगाया गया है; और क्या नौसेना कर्मचारी के एक संबंधी को प्रधान मंत्री के निवास पर गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में और विशेष रूप से हमारे रक्षा विभागों में बहुत बड़े पैमाने पर जासूसी की जा रही है; और

(ग) क्या नौवहन मुख्यालय में एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसने पहले गूंगा होने का बहाना किया था लेकिन बाद में वह बोलने लगा था; और यदि हां, तो सेना में बड़े पैमाने पर फैली जासूसी गतिविधियों को रोकने और सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) कोई बहुत बड़े पैमाने पर जासूसी करने के प्रमाण नहीं हैं।

(ग) जी नहीं श्रीमन्।

हाउस आफ लार्डस द्वारा हाल ही में लिये गये देशनिकासी के निर्णय की धमकी पर लंदन में रह रहे भारतीय आप्रवासियों में फैला भय

1666. श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री सी० के० जाफर शरीफ:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने ब्रिटेन द्वारा हाउस आफ लार्डस में लिए गये निर्णय के परिणामस्वरूप गैर कानूनी आप्रवासियों को हुए देश निकासी के खतरे के बारे में भारतीय आप्रवासियों में फैले भय के बारे में ब्रिटेन की सरकार को सूचित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटिश प्राधिकारियों ने हमें बताया है कि अवैध आप्रवासियों का व्यापक रूप से उदवासन नहीं होगा और न उन पर अनावश्यक रूप से शक-शुबह किया जायेगा। 26 जून 1973 को हाउस आफ कामन्स में एक वक्तव्य में, ब्रिटिश गृह मंत्री श्री रोबर्ट कार ने कहा था कि 1971 का आप्रवासन अधिनियम पूर्व प्रभावी होने के कारण जिन लोगों पर इसका असर पड़ा है उनके प्रत्येक मामले पर विचार करते समय सहानुभूति का रवैया अपनाया जाएगा।

सरकारी एककों के मुख्य कार्यकारियों की उच्च स्तरीय समिति

1667. श्री डी०बी० चन्द्र गौडा :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी एककों के कार्य के मूल्यांकन, योजना और परियोजनाओं में अधिकतम उत्पादन को क्रियान्वित करने के लिए मुख्य कार्यकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देशपद क्या हैं गत दो वर्ष में उसके मंत्रालय के अन्तर्गत एककों को कुल कितनी हानि हुई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) भारी उद्योग मंत्री द्वारा बुलाई कई सरकारी एककों के मुख्य कार्यकारियों की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि परामर्शदायी कार्यों के लिए सरकारी एककों की एक स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। समिति में कोई विचारार्थ विषय निर्धारित नहीं किये गए हैं। फिर भी, समिति मुख्य रूप से सरकारी एककों की कठिनाईयों के बारे में मंत्रालय को परामर्श देगी जिसमें प्रत्येक एककों की क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी सम्मिलित हैं। इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले एककों में हुई कुल हानि/लाभ संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5282/73]

प्रधान मंत्री के एक विशेष दूत द्वारा ढाका की यात्रा

1668. श्री सी० के० चन्द्रभूषण:

श्री हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के एक विशेष दूतावास ने हाल ही में ढाका का दौरा किया था और बंगलादेश के नेताओं से विचार विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन किन विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) 17 अप्रैल, 1973 की भारत-बंगलादेश संयुक्त घोषणा के निष्कर्षों के आधार पर आगामी भारत-पाकिस्तान वार्ता से संम्बद्ध विषयों तक ही यह विचार-विमर्श सीमित रहा। दोनों पक्षों में पूर्ण सहमति थी।

लौह अयस्क और बौक्साइड के निक्षेपों के लिये केरल का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

1669. श्री सी०के० चन्द्रप्पन:

श्री ए० के० गोपालन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मालाबार क्षेत्र में लौह अयस्क और बौक्साइट के निक्षेपों का पता लगाने के लिये केरल में अब तक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण इस समय किस अवस्था में है और अब तक किये गये सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या सरकार ने इनके आधार पर उद्योग स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा केरल में लौह अयस्क और बौक्साइट का पता लगाने के लिए अन्वेषण जारी हैं।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा चेरुप्पा, ऐलियट्टीमाला, ननमीडा और नन्डावैल्लूर में लौह अयस्क के लिए ड्रिलिंग द्वारा विस्तृत अन्वेषण पूरा कर लिया गया है तथा लौह अयस्क (शुद्ध और आक्सीकृत दोनों) की लगभग 440 लाख टन भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। आलमगारा निक्षेप में लौह अयस्क हेतु समन्वेषी ड्रिलिंग कार्य मई, 1973 में पूरा हो चुका है। और खण्ड—I में, जहां ड्रिलिंग अन्वेषण जुलाई, 1971 में पूरा हो गया था, अब तक लौह अयस्क (शुद्ध और आक्सीकृत दोनों) का कुल 147.00 लाख टन भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। कुम्बला क्षेत्र में बौक्साइट के 18 लाख टन भंडार और कन्ननौर जिले के नीलेश्वर खण्ड—I और II में 50 लाख टन का भंडार होने का पहले ही अनुमान लगाया जा चुका है। मालापुरम् जिले क निलाम्बुर क्षेत्र में कोबाटट्टीमाला में लौह अयस्क के लिए ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण का कार्य जून, 1973 में शुरू किया गया है और कन्ननोर जिले के चिमैनी क्षेत्र में बोक्साइट के विस्तृत मानचित्रण का कार्य जारी है।

(ग) लौह अयस्क और बोक्साइट के बारे में भूवैज्ञानिक अन्वेषण पूरा हो जाने पर तथा सरकार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी उद्योग की स्थापना के संबंध में विचार किया जा सकता है।

राज्यों में बिजली की कटौती से प्रभावित उद्योग

1670. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में विभिन्न राज्यों में बिजली में की गई कमी से प्रभावित सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की संख्या क्या है ; और

(ख) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में राज्यवार और उद्योगवार गत छः महीनों के दौरान बिजली में की गयी कमी के कारण कितने मजदूरों की छंटनी या जबरन छुट्टी की गयी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

रत्नागिरि में एल्यूमिनियम प्लांट की प्रगति

1671. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नागिरि में एलुमिनियम प्लांट में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या रत्नागिरि में परामर्शदात्री एजेंसी को बदलने का कोई प्रयास किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई रत्नागिरि एल्यूमिनियम संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और लागत

प्राक्कलनों पर विचार किया गया है और लागत प्राक्कलन पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन शीघ्र प्राप्त हो जाने की आशा है । इस बीच, चूंकि अधिग्रहण, भूभाग के उपयोगीकरण और अस्थायी बिजली और जल आपूर्ति संयोजनों से संबंद्ध प्रारंभिक कार्यों के लिए स्वीकृति दे दी गई है जिनकी अनुमानित लागत 59.05 लाख रूपए है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों की कम्पनी के नई दिल्ली स्थित केन्द्र पर बिक्री

1672. श्री हरी सिंह: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित भिन्न भिन्न प्रकार की कितनी घड़ियां कम्पनी के नई दिल्ली स्थित बिक्री केन्द्र पर वर्ष 1971 और जुलाई, 1973 के बीच बेंची गयी ; और

(ख) बेची गयी प्रत्येक प्रकार की घड़ियों का मूल्य क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1971 से 30 जून, 1973 तक कम्पनी के दिल्ली स्थित प्रदर्शन कक्ष से बेची गई घड़ियों की किस्म वार संख्या और उनका मूल्य निम्न प्रकार है :—

किस्म	संख्या	मूल्य (रू० में)
तारीक	50	7,370
सोना	38375	46,39,670
जनता	336.6	37,97,722
तरूण .	2.81	2,35,002
जनता ल्यूमिनस	980	1,15,640
पायलट .	3838	4,53,524
जवाहर	4949	6,77,745
सुजाता	7920	10,15,890
नूतन . .	7432	9,58,977
शेरपा . .	54	5,973
चिनार . .	2622	3,19,884
स्वचालित (दिन-दिनांक)	1394	4,18,200
योग	103301	1,26,45,597

उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकता पूर्ति के लिये प्रत्येक राज्य में विभिन्न स्थानों पर कोयले के भंडारों को खोलने सम्बन्धी योजना

1673. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के उनके प्रबन्ध, उत्पादन और कोयले की बिक्री पर प्रभाव के बारे में 26 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8277 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण स्थानों पर लघु उद्योगों ईंट-भट्टी और घरेलू उपयोग की आवश्यकता पूर्ति के लिये कोयले के भंडार बनाने की योजना को अन्तिम रूप लेकर क्रियान्वित किया जा चुका है; और यदि हां,तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने कितने ऐसे भंडार हैं और बिहार में ये कहां कहां बनाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में कोयलों के अस्थायी भंडार बनाने की योजना रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श में अभी भी विचाराधीन है ।

उत्तर बिहार में उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई

1674. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री उत्तर बिहार को कोयले की सप्लाई के बारे में मई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 955 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार में व्यक्तित्व उपभोक्ताओं को घरों में प्रयोग के लिये तथा ईंट-भट्टा मालिकों को कोयले की सप्लाई निश्चित मूल्यों पर सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ख) क्या कोयला-उत्पादक बिहार के उत्तरी भागों में कोयला 10 रूपये प्रति मन के भाव पर बिक रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (ग): घरेलू और ईंट-भट्टा के प्रयोजनार्थ कोयले की आपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा नियत कोटे के आधार पर की जाती है । प्राप्त मात्रा के उचित मूल्य पर संगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा जाता है । बिहार में कोयले की पूर्ति में सुधार करने के लिए, सड़क द्वारा कोयले के ढुलाई में वृद्धि के विशेष प्रयास किए गए थे । कोयले की प्राप्ति में सुधार हो जाने से बिहार सरकार ने हाल ही में भारत कोकिंग कोल से रेल द्वारा कोयले की और अधिक आपूर्ति बन्द कर देने का आग्रह किया है । उत्तरी बिहार में कोयले की दैनिक फुटकर कीमतों के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है । कोयला और कोक के विक्रय मूल्य नियत करने के लिए हाल ही में राज्य सरकारों का ध्यान अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन उनको प्राप्त शक्तियों की ओर दिखाया गया है ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का कार्यकरण

1675. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्यास्टील अथारिटी आफ इंडिया स्थापित करने का मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि उत्पादन, प्रबन्ध औरविस्तार संबंधी निति स्थिति वहीं की वहीं है जैसी कि इसकी स्थापना के समय थी ; और

(ख) क्या इस विशाल होल्डिग कम्पनी की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और देशीय जानकारी, उपकरणों और मशीनोंका प्रयोग करने की कोई योजना है ताकि विदेशियों पर निर्भर रहने के बजाए निकट भविष्य में वह मुख्य भूमिका निभा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री ((श्री सुबोध हंसदा):) (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड 24जनवरी, 1973 को नियमित की गई थी । यह कहना समय पूर्व होगा कि माननीय सदस्य ने जिनभिन्न भिन्न-क्षेत्रों का उल्लेख किया है उन पर इस कम्पनी के बनने से क्या प्रभाव पड़ा है । फिर भी कम्पनी को इस्पात विकास कार्यक्रम जिसमें कुछ वर्तमान इस्पात कारखानों की क्षमता के विस्तार की योजनाएं भी शामिल है तैयार करने में घनिष्ट रूप से संबंध रखा गया है और इस काम में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस्पात के उत्पादन में प्रायः आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है । कम्पनी ने मैटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंटस (इंडिया) लिमिटेड, द्वारा तथा इस्पात कारखानों में विकसित विशेषज्ञता का लाभ उठा कर इस्पात विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में देशीय जानाकरी, उपकरण तथा मशीनरी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सरकार की नीति के अनुसार योजनाएं बनाई हैं । पिछले चार महीनों की अवधि में अधिकतर बिजली की कमी के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था । परिणामतः कोकिग कोयले की खानों के परिचालन तथा कोयला शोधनशालाओं के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ा । इस स्थिति से निपटने के उपाय किये जा रहे हैं । प्रबन्धात्मक उपायों के रूप में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरिंग और रूपांकन ब्यूरों का एक अलग कम्पनी के रूप में गठन किया है और इसे मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंटस (इंडिया) लिमिटेड का नाम दिया है । इस्पात विकास कार्यक्रम में मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंकटस (इडिया) लिमिटेड देशीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के आधारको सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी ।

रायरानीपुर (उड़ीसा) में वेंडियम इस्पात का उत्पादन

1676. श्री मधु दण्डवते:
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने निश्चित रूप से यह पता लगाया है कि उड़ीसा में क्रोमाइट और वेंडीफेरस मेगनेसाइट के निक्षेप प्रचुर मात्रा में हैं ;

(ख) क्या रायरानीपुर में वेंडियम इस्पात तैयार करने की योजना पूरी हो चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान उड़ीसा में क्रोमाइट अयस्क का लगभग 81.3 लाख टन भंडार की पुष्टि की हैं । मैग्नेटाइट

के लिए समन्वेषण कार्य जारी है । उड़ीसा सरकार के खान निदेशालय ने इसके 11 प्रतिशत और उससे अधिक के V_2O_5 अंश वाले 13 लाख टन भंडार होने की पुष्टि की है और अब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस श्रेणी के 20 लाख टन अयस्क की पुष्टि के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं, साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और इस समय विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ;

(घ) उत्पादन के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

भारत का राष्ट्रमंडल में बने रहना

1677. **श्री मधु दण्डवते :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रमंडल कि सदस्यता छोड़ देने को देखते हुए सरकार राष्ट्र-मंडल में बने रहने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रमंडल के वर्तमान सदस्यों में आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने हेतु कोई अन्य उचित मंच खोजने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) कामंवेल्थ में बने रहने का हमारा निर्णय देश के हित में है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा व्यापार समझौता

1678. **श्री मधु दण्डवते :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में भारत और चीन के बीच हुए समझौते (सीमा-व्यापार) पर ध्यान दिया है ;

(ख) गिलगित से सिकियांग तक का व्यापार मार्ग जिसे 'सिल्करूट' कहा जाता है अंशतः भारत-पाकिस्तान की सीमा में है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय सीमा से सिकियांग को तस्करी रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गिलगित से सिकियांग जाने वाला व्यापार मार्ग पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से होकर जाता है ।

(ग) इस सड़क के निर्माण पर भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार एवं चीन सरकार से विरोध प्रकट किया था और फिर यह बात कही थी कि ये प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं ।

प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के कारखाने के आसपास सहायक उद्योगों का जाल

1679. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'इकानोमीज आफ स्केल' लागू करने और उत्पादन कार्य को अधिक कुशलता से करने हेतु प्रत्येक सरकारी क्षेत्रीय कारखाने के आसपास सहायक उद्योगों का जाल बिछाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किए गये हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) इस मंत्रालय ने इस वर्ष जुलाई के प्रारंभ में अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों का सरकारी उद्यम के आसपास सहायक औद्योगिक एककों को प्रोत्साहित और विकसित करने की आवश्यकता और ढंग के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक समेकित सेट जारी किया है । यह भी निश्चय किया गया है कि सरकारी उद्यम के ईर्द-गिर्द सहायक उद्योगों के विकास की मुख्य जिम्मेदारी उनकी ही होगी और इस उद्देश्य के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने होंगे । सहायक उद्योगों के विकास के कार्यक्रम के बारे में प्राप्त की गई सफलता के उपाय सरकारी उपक्रमों के उच्च प्रबंध वाले कार्यों की जांच करने में महत्वपूर्ण मापदण्ड समझे जायेंगे । उनसे सहायक उद्योगों के विकास के लिये उनके द्वारा तैयार किये गये समय-बद्ध कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है तथा इस प्रकार तैयार किये गये समय-बद्ध कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की अवस्थाओं को बताते हुए एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है ।

चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर किये गये अपने दावे को बातचीत द्वारा हल करने का संकेत

1680. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादी चीन से उसके द्वारा अब भी अपना कहे जाने वाले भारतीय क्षेत्र के बारे में बातचीत करके समाधान ढूंढने के लिए सरकार को कोई संकेत मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1962 में भारत पर पेकिंग आक्रमण में लापता भारतीय सैनिक

1681. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1962 में हुए भारत पर पेकिंग आक्रमण के परिणामस्वरूप अभी तक कितने भारतीय सैनिक लापता हैं ;

(ख) क्या पेकिंग सरकार से अभीतक लापता भारतीय सैनिकों के बारे में पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) चीनी आक्रमण के फलस्वरूप सभी लापता घोषित सैनिकों को निहित प्रक्रिया के अनुसार पहले ही सरकारी तौर पर मरा हुआ मान लिया गया है । सरकार को ऐसी कोई जनाकारी नहीं है कि कोई कार्मिक अभी भी चीनी हिरासत में है और इसलिए चीन सरकार के साथ यह मामला उठाने के प्रयत्न नहीं किये गये हैं ।

त्रिपुरा में चाय बागान श्रमिकों के संशोधित बोनस का न दिया जाना

1682. **श्री बीरेंन दत्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा चाय-बागान प्रबन्धकों ने अपने श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत बोनस नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां तो त्रिपुरा के चाय श्रमिकों को वैध बोनस दिलाने के लिये प्रबन्धकों को बाध्य करने के लिये सरकार क्या कदम उठाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

आंध्र प्रदेश में दुर्लभ धातुओं के खनन की संभावनाएं

1683. **श्री पी० नरसिंहा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विश्वाथम क्षेत्र में के० जी० एफ० स्थित वर्तमान स्वर्ण खानों के पास हाल में किए गए सर्वेक्षण से दुर्लभ धातुओं के खनन की आशाजनक संभावनाओं का पता चला है ;और

(ख) यदि हां तो इस पिछड़े क्षेत्र में खनिज निक्षेप निकालने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) क्षेत्र कोलार स्वर्ण क्षेत्रों की वर्तमान स्वर्ण खानों के पास आन्ध्र प्रदेश में बीसानाथम क्षेत्र के समन्वेषण के दौरान थोड़ी मात्रा में दुर्लभ धातुओं के होने की पुष्टि हुई है। यह आशा की जाती है कि पांचवी योजना की अवधि में इस क्षेत्र का विस्तृत समन्वेषण किया जाएगा ।

जेस्सप लिमिटेड , कलकत्ता को हुई हानि

1684. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जेसप्स लिमिटेड दमदम कलकत्ता को गत एक वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ ;

(ख) यदि हां तो क्यों;

(ग) गत तीन वर्षों में इसे कुल कितना घाटा हो चुका है ; और

(घ) इसे ठीक ढ़ंग से चलाने और लाभदायक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये है और उठाये जा रहे हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी हां

(ख) हानि होने के निम्नलिखित कारण है:–

(1) अलाभकर क्रयादेश ;

(2) इस्पात और पुर्जों की सप्लाई में कमी ;

(3) प्रबंध की अपर्याप्तता, विशेषकर उत्पादन योजना, मूल्य और अनुमान निर्धारण में ;

(4) नकद राशि का कम होना ;

(5) श्रमिक उत्पादिता कम होना ।

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी को 12.03 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(घ) कम्पनी की लाभदेयता में सुधार करने और इसकी जीव्यता के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये है ।

(1) विविधता लाने के लिये विस्तृत कार्यक्रम ।

(2) रोड रोलरों के निर्माण के क्षेत्र में विस्तार ।

(3) इस्पात और जटिल प्रकार के पुर्जों का संभरणऔर पर्याप्त तथा समयसेक्त्ति ीय सहायता; तथा

(4) अलाभकारी क्रयादेशों और अलाभकारी उत्पादन तरीकों को रद्द करने में कम्पनी को सक्षम बनाना ।

Fifth Meeting of National Arbitration Promotion Board

1685. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the major decisions taken in the fifth meeting of the National Arbitration Promotion Board held in Delhi on 3rd July, 1972;

(b) the names of the States where Boards have been set up so far on the basis of the recommendations made by the National Arbitration Promotion Board; and

(c) the number of cases brought before the National Arbitration Promotion Board in each State so far and the decisions taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G.Venkatswamy) : (a) A number of decisions were taken in the fifth meeting of the Board, the most important being that voluntary arbitration should normally be the next step for resolving industrial disputes if mutual negotiations and conciliations fail. The other decisions relate to preparation of an *aide-memoire* of guidelines for arbitrators, training of a cadre

of qualified arbitrators, bearing/sharing of arbitration costs by Government and parties to the disputes, fixation of fees of arbitrators etc. The Board also released a panel of arbitrators for utilisation of their services by the parties.

(b) The States of Andhra Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Haryana, Manipur and the Union Territories of Delhi and Goa, Daman & Diu have so far set up Arbitration Promotion Boards on the recommendation of the National Arbitration Promotion Board

(c) Individual cases of arbitration are not brought before the National Arbitration Promotion Board.

Houses for Labour in Pali (Rajasthan)

1686. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have constructed about 400 residential houses for labourers in Pali (Rajasthan) if so, when these houses were constructed;

(b) whether these houses have turned into slums in the absence of roads, drainage latrines, white-washing and repairs and nobody has paid attention to these matters since the houses were constructed; and

(c) if so, the steps proposed to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkat swamy) : (a) and (b) The Central Government have not constructed residential houses for labourers in Pali (Rajasthan). However, according to the information received from the Government of Rajasthan, 400 single-room and 200 double-room tenements were constructed by the State Government under the Subsidised Industrial Housing Scheme in 1963. In the absence of proper water supply arrangements in Pali, there were difficulties of water supply in the colony. Minor repairs and maintenance of the houses have been carried out from time to time.

(c) The State Government is preparing estimates for improvement of roads, water connections to the lavatories and providing drainage to the colony.

Outlay on Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar

1687. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether the original estimate of expenditure on the Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar was Rs. 63.43 crores, whereas the actual cost has reached Rs. 98.13 crores or more;

(b) the reasons for so much of increase in the expenditure;

(c) whether this plant was scheduled to be completed by December, 1966; and

(d) if so, the year when it was completed and the reasons for so much of delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (d) According to the D.P.R. of July, 1963 the original estimates of expenditure on the Heavy Electrical Equipment plant, Hardwar, was Rs. 63.43 crores. This was only a rough esti mate. The final estimate approved by the Board of Directors and sent to Government in December, 1965, was for Rs. 73.88 crores which has now gone upto Rs. 98.13 crores.

The main reasons for the increased cost are :—

(*i*) Devaluation of the Indian Rupee.

(*ii*) Interest on capital not included in the original estimate.

(*iii*) Inadequate provision for depreciation on construction plant and equipment.

(*iv*) Increased common departmental expenses due to delay in completion of civil works and delay on the part of indigenous suppliers in supply of equipment.

(*v*) Increased requirement for certain indigenous machinery not originally provided for in the D.P.R. and for rise in prices.

(*vi*) Increased cost of construction works due to inadequate provision in the original estimate for steel structures, additions and alterations beyond the scope of original estimate considered necessary, increase in the cost of machinery foundation, changes in design and increase in material and labour cost, increase in cost of civil construction and certain additional facilities not contemplated in the original estimate.

Only major civil works, excluding machine foundations, were scheduled to be completed by December, 1966. The plant, however, went into production in stages from January, 1967 and major works were completed by March, 1972 except the Foundry block which was deferred and resited to accommodate a new stamping unit.

The date of completion of the project was revised and was set at December, 1970 based on delivery indications of machinery and equipment from U.S.S.R. Delay in the delivery of equipment and working drawings correspondingly delayed the completion. Change of location of the Cast Iron Foundry also accounts for delay in completion. The Original project did not include a stamping unit which was taken up at a later date. The expected completion date of the project including the Cast Iron Foundry and the first phase of stamping unit is March, 1974.

Repatriation of Pak. POWs

1688. **Shri M. C. Daga :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Government of India have repatriated to Pakistan, Pakistani prisoners of war (Civilian prisoners) from time to time as a unilateral gesture of goodwill; and

(b) if so, the number thereof and the reasons for their repatriation to Pakistan?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) and (b) 539 Pakistani civilians under protective custody have so far been repatriated to Pakistan as a unilateral gesture of goodwill.

विद्युत् की कमी का आलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर के उत्पादन पर प्रभाव

1689 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**

श्री रणबहादुर सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, मई और जून, 1973 के महीनों में हाल में विद्युत की कमी के कारण अलाय स्टील पलांट दुर्गापुर के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था ;

(ख) इस अवधि में कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) कितने मजदूरों की छंटनी की गई और कितने मजदूरों की जबरन छुट्टी की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, हाँ।

(ख) अप्रैल, 1973 से जून 1973 की अवधि में कुल उत्पादन हानि इस्पात पिण्ड के रुप में 5649 टन है जो तैयार इस्पात के रूप में 3462 टन है और जिसका मूल्य 203.68 लाख रुपये है। स्थिर प्रभार के रुप में इस अवधि की हानि 109.58 लाख रूपये है।

(ग) कोई नहीं।

1973 में विद्युत् की कमी के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मजदूरों तथा कर्मचारियों की आय पर प्रभाव

1690. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से जून 1973 की अवधि के दौरान विद्युत की कमी के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मजदूरों तथा कर्मचारियों की आय पर प्रभाव पड़ा था; और

(ख) इस अवधि के दौरान कितने मजदूरों की जबरन छुट्टी की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) अप्रैल-जून 1973 की अवधि में बिजली की कमी के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने के श्रमिकों तथा कर्मचारीयों की आय पर केवल यह प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था कि प्रोत्साहन बोनस के रुप में उनको अन्यथा जो आय होनी थी उससे कुछ कम आय हुई। अप्रैल-जून 1973 की तिमाही में प्रोत्साहन बोनस के रुप में 12,87,390 रु० दिए जबकि जनवरी-मार्च, 1973 की तिमाही में 19,57,432 रु० तथा अप्रैल-जून 1972 की तिमाही में 9,38,000 रु० दिए गए थे।

(ख) किसी की भी नहीं।

पश्चिमी बंगाल में एक विशेष इस्पात संयंत्र की स्थापना

1691. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में एक विशेष इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): **(क) और (ख)** मेसर्स जनरल एलाय स्टील लिमिटेड, कलकत्ता को 25,000 टन मिश्र तथा विशेष इस्पात, तारछड़ और स्ट्रिप के उत्पादन के लिए पुरुलिया (पश्चिमी बंगाल) में एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए 26 सितम्बर, 1972 को एक आशय पत्र जारी किया गया है।

स्टेट्समैन ईयर बुक, 1972-73 में भारत द्वारा "पाकिस्तान के साथ युद्ध में पहल करने" के बारे में विवरण

श्री नरेंद्र सिंह

1692. **श्री किशन मोदी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्टेट्समैन ईयर बुक, 1972-73 (लन्दन से प्रकाशित) में भारत को एक ऐसा देश बताया गया है जिसने पाकिस्तान के साथ युद्ध में पहल की; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) जी हां। यह सरकार के ध्यान में लाया गया है।

(ख) लंदन स्थित हमारे हाई कमीशन ने स्टेट्समेन ईयर बुक के सम्पादक के साथ मामले को उठाया है।

राष्ट्रपति भुट्टो द्वारा 'वाशिंगटन पोस्ट' को दिये गये 'इन्टरव्यू' के समाचार

1693. श्री नारायणचन्द पाराशर :

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जूलाई 1973 के "ट्रिब्युन" में "भुट्टो अगेन टाक्स आफ वार विद इंडिया" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जैसा कि "वाशिंगटन पोस्ट" को दिये गये इन्टरव्यू से लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथा विवेषकर उसमें दिये समाचार, कि बंगलादेश द्वारा युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाये जाने का कोई कानूनी आधार नहीं है, पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) बंगलादेश सरकार को यह कानूनी अधिकार है कि वह उन पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों पर मुकदमा चलाये जिनके खिलाफ प्रत्यक्षतः साक्ष्य मिलता हो।

'यू०एन०चीफ० फार नार्मस टू आउट ला वायर टैपिंग

1694 श्री नारायण चन्द पाराशर

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई 1973 के "दी इंडियन ऐक्सप्रैस" में यू० एन० चीफ फार नार्मस टू आउटला वायर-टैपिंग शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर बताने का सुझाव दिया गया है जिस के अन्तर्गत सभी देश बिना उचित अधिकार प्राप्त किये टेलीफोन टेप करने को गैर-कानूनी करार दें और व्यक्ति के एकान्तता के अधिकार और आधुनिक ढंग के रिकार्डिंग तथा अन्य तकनीकों से राष्ट्र की प्रभुसत्ता का संरक्षण सुनिश्चि करें ; और

(ख) यदि हां तो इस बारें में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह): (क) समाचार का संबंध संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव द्वारा तैयार एक रिपोर्ट से है जो "मानविय अधिकारों तथा वैज्ञानिक एवं तकनिकी विकास --व्यक्ति की गोपनीयता के सम्मान तथा रेकार्डिंग और दूसरे तकनीकों के विकास की दृष्टि से राष्ट्रों की अखण्डता और प्रभुसत्ता" पर है और जिसे संयुक्त राष्ट्र के मानव-अधिकार आयोग के 29वें

अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। इसकी बैठक जेनेवा में 26 फरवरी से 6 अप्रैल 1973 तक हुई थी। समयाभाव के कारण रिपोर्ट पर विस्तार से विचार आयोग के अगले अधिवेशन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसकी बैठक 1974 के प्रारंभ में न्यूयार्क में होगी।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति की गोपनीयता को सांविधिक अधिकार प्रदान करने से अन्य अधिकारों के संरक्षण पर जो वास्तविक प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में जो बहुत मतभेद है उसे तथा इस कानून को जिन भिन्न भिन्न कानूनी संदर्भों में लागू करना होगा उसको देखते हुए महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गोपनीयता के सामान्य अधिकार के लिए एक समान कानून की सिफरिश करना उपयुक्त नही। फिर भी महासचिव ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड बनाए जाने चाहिए जिनमें अन्य प्रकार की कार्रवाईयों का निर्देश हो जिनकें द्वारा आधुनिक रेंकार्डिग तथा अन्य तकनीको सें व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा की जा सके।

सरकार रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रही है और वह मानव-अधिकार आयोग तथा महासभा में होने वाली आगे की चर्चाओं तथा उनके परिणामों के आधार पर अपना विचार स्थिर करेगी

सशस्त्र सैनाओं के प्रशिक्षण स्कूलों के लिये प्रत्रिकायें

1695. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वायु सेना, नौसेना और सेना के प्रशिक्षण स्कूलों में संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई विभिन्न भाषाओं को साहित्यिक तथा सांस्कृतिक पत्रिकांए देने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां तो सशस्त्र सेनाओं के इन स्कूलों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए स्वीकृत पत्रिकाओं की सूची क्या है; और

(ग) यदि इन प्रशिक्षण संस्थाओं में इस योजना के अन्तर्गत सभी भाषाओं की पत्रिकाओं को नहीं दिया जाता, तो सरकारी तौर पर किन भाषाओं की पत्रिकाओं को दिया जाता है और अन्य भाषाओं की पत्रिकाएं न दिए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) **से** (ग) तीनों सेनाओं के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाती है ताकि वे पत्रिकांए मंगा सकें। पत्रिकाओं का चयन भाषाओं के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थानीय कमांडिग अफसरों द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा जो पत्रिकांए मंगाई जा रही हैं उनके नामों का स्थानीय संबंधित अफसरों से पता लगाया जा रहा है।

पाकिस्तान और भारत की सशस्त्र सैनाओं के बीच गोली चलना

1696. **श्री नारायण चन्द पाराशर** :
कुमारी कमला कुमारी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1973 के प्रथम छः महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं के द्वारा भारतीय सेनाओं अथवा लोगों पर गोली चलाये जाने की कोई घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो ये घटनाऐं कितनी वार, किस-किस तारीख को तथा किस-किस स्थान पर घटी; और

(ग) क्या किसी ओर का कोई व्यक्ति हताहत हुआ ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 1973 के गत छः मास के दौरान पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली-बारी की 92 घटनाएं हुई। तारिखों तथा स्थानों के सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) पाकिस्तानी गोली-बारी के परिणामस्वरूप 4 सुरक्षा सेना कार्मिकों की जाने गई तथा 7 जखमी हुए। हमारी अग्रिम सेनाओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पाकिस्तानी सेनाओं के लगभग 21 सैनिक मारे गये।

विवरण

क्रम-संख्या	क्षेत्र	पाकिस्तान द्वारा गोली-बारी
1.	पूंछ	25 जनवरी, 2 फरवरी, 20, 26 मार्च, 4, 6 9, 11(5), 15, 16(2) 19, 27 अप्रैल, 4, 13 (5), 14 (5), 15, 17, 25, 27(2), 28, 31(6) मई, 2, 3, 5, 6 (4), 7 (12), 8 (9), 9(3), और 11 जून 1973.
2.	उड़ी	18 अप्रैल, 5 जून 1973,
3.	नौशेरा	26 अप्रेल, 6, 22 मई, और पहली जून 1973.
4.	मंधर	18, 22 जून 1973.
5.	जोरीयां	24 मई, 17 जून 1973.
6.	कपूवारा	30 मई 1973.
7.	राजौरी	7(3), 12 26 (2) जून 1973.
8.	राजस्थान	29 अप्रैल, 20 मई 1973.
9.	पंजाब	25 मई 1973.

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास उद्योग निगम के कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए ज्ञापन

1697. श्री बी० के० दास चौधरी :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पुनर्वास उद्योग निगम की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में काम करने वाले पुनर्वास उद्योग निगम के कर्मचारियों ने उनके मंत्रालय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिये सुझाव दिये ह और जुलाई, 1973 के पहले सप्ताह में उनके साथ भी बातचीत की थी, और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) पिछले कुछ वर्षों से पुनर्वास उद्योग निगम बहुत हानि उठाता आ रहा है। निगम भारत सरकार की सहायता से उत्पादन और बढ़ती हुई लाभ की संभावना में तालमेल करने की दृष्टि से अपनी यूनिटों के पुनर्गठन का प्रयत्न कर रहा है।

(ख) जी, हाँ। बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है।

इस्पात संयंत्रों में केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था

1698. **श्री बी० के० दास चौधरी:**

श्री आर० एन० बर्मन:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर परियोजना के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में स्थित इस्पात परियोजनाओं में संबंधित राज्यों के परामर्श से पृथक पृथक रोजगार कक्ष स्थापित किये गये हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्गापुर परियोजना के लिए पृथक मापदंड अपनाने के कारण क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) भर्ती के मामले में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सरकार ने नीति निर्धारित कर रखी है। इस नीति के अनुसार अकुशल कामगारों, लिपिकों और अन्य गैर-तकनीकी कर्मचारियों की रिक्तियों, जिनके वेतनमान अपेक्षाकृत कम होते हैं के बारे में प्रायोजना के निकट स्थित रोजगार कार्यालयों को सूचित करना होता हैं, जो इन पदों के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नाम भेजते हैं ऐसे पदों की भर्ती के मामले में प्रायोजना के लिए प्राप्त की गई भूमि से विस्थापित हुये व्यक्तियों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि वे मूल अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों। भर्ती करने वाली चयन समितियों के लिए राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि लेना भी आवश्यक है। सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात कारखाने जिनमें दुर्गापुर का इस्पात कारखाना भी शामिल है, इस नीति का पालन कर रहे हैं।

(ख) संबंधित राज्य सरकार से परामर्श कर के ऐसे कोई रोजगार कक्ष नहीं खोले गये हैं।

दुर्गापुर में आसानी से तथा कम कीमत पर स्टैनलेस स्टील का उत्पादन

1699. **श्री बी० के० दास चौधरी:**

श्री आर० एन० बर्मन:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात प्राधिकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने यह राय व्यक्त की है कि किसी अन्य स्थान की अपेक्षा दुर्गापुर में स्टेनलैस सटील का उत्पादन आसानी से तथा कम लागत पर किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने दुर्गापुर में स्टैनलैस स्टील का उत्पादन करने का निर्णय कर लिया है और किस सीमा तक; और

(ग) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिये उनके मंत्रालय ने पांचवीं योजना के अन्त तक स्टेनलैस स्टील के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; यदि हां, तो क्या लक्ष्य नियत किया गया है ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई है और न ही ऐसा कोई विचार प्रकट किया गया है ।

(ख) दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में पहले ही बेदाग इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है । इसकी वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 13,000 टन वार्षिक उत्पादन की है ।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि 1980-81 तक बेदाग इस्पात तथा ताप रोधक इस्पात की वार्षिक मांग लगभग 1000,000 टन होगी । पांचवीं योजना में उत्पादन लक्ष्य के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

उद्योग पुनर्वास निगम (रिहैब्लीटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन) में लगाई गई पूंजी

1700. श्री बी० के० दास चौधरी :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग पुनर्वास निगम में अब तक राज्यवार कुल कितनी पूंजी लगाई गई है, उन उद्योगों के नाम क्या हैं और उनमें इस समय कितनी पूंजी है और उसकी रोजगार क्षमता क्या है ; और

(ख) क्या ऐसे उद्योग राज्य-वार हानि पर चल रहे हैं या लाभ पर ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को मान्यता देने का प्रस्ताव

1701. श्री नवल किशोर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (नेशनल डिफेंस अकादमी) को जवाहर लाल विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दिये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा और क्या मान्यता देने के लिये विश्वविद्यालय ने कुछ पूर्व शर्तें लगाई हैं और यदि हां, तो उनकी रुपरेखा क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय की सलाह से सरकार इस समय व्यौरे तैयार कर रही है ।

अल्जीयर्स में होने वाले गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री को आमंत्रित करने के लिए अल्जीरिया के राष्ट्रपति का सन्देश

1702. **श्री नवल किशोर सिंह**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्जीरिया के विशेष दूत श्री मोहम्मद याजिद ने नई दिल्ली में जुलाई, 1973 के प्रथम सप्ताह में प्रधान मंत्री से भेंट की थी और उनको अल्जीरिया के राष्ट्रपति का सन्देश दिया था जिसमें उन्हें अल्जीयर्स में सितम्बर में होने वाले गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां ।

(ख) अल्जीरिया के राष्ट्रपति के सन्देश पर प्रधान मंत्री का उत्तर अभी विचाराधीन है ।

भारत सरकार भावी शिखर सम्मेलन को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानती है । सरकार उक्त सम्मेलन में सम्मिलित होगी ।

शिमला समझौते को सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन

1703. **श्री समर गुह**:

श्री अटल बिहारी बाजपेयी:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के लागू होने से लेकर अब तक उसकी सफलताओं एवं असफलताओं का कोई यथार्थवादी मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन की मुख्य बातें क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां ।

(ख) जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा के सीमांकन हो जाने तथा अधिकृत क्षेत्रों से सेना की वापसी के साथ ही शिमला समझौता का पैरा चार पूर्णतः क्रियान्वित हो गया है। फिर भी पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत-विरोधी प्रचार, युद्धबंदियों के मामले पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पैरवी तथा अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन परिषद् में वायुयान-उड़ानों के मामले को फिर से उठाने के प्रयत्न शिमला समझौते के अनुरूप नहीं है ।

इसके बावजूद सरकार यह अनुभव करती है कि इस उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति कायम करने के लिए शिमला समझौता एक उत्तम आधार प्रस्तुत करता है तथा सरकार की आशा है कि पाकिस्तान भी इसे पूरा करेगा ।

भूतपूर्व "पूर्वी पाकिस्तान" के शरणार्थियों का पुनर्वास

1704. **श्री समर गुह**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुतपूर्व पाकिस्तान के कितने शरणार्थियों का अभी पुनर्वास किया जाना है ;

(ख) स्थायी उत्तरदायित्व शिविरों में कितने शरणार्थी हैं ;

(ग) शरणार्थियों के लिए 1973-74 वर्ष के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(घ) उनके पुनर्वास के लिए सरकारी योजना क्या है और उन शरणार्थियों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों को भेजने के सरकारी आश्वासन के कार्यान्वयन की नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 30 जुलाई 1973 को दण्डकारण्य परियोजना सहित विभिन्न शिविरों में पुनर्वास के योग्य प्रवासियों के लगभग 25,000 परिवार थे ।

(ख) 30 जुलाई 1973 को विभिन्न शिविरों में स्थायी दायित्व वर्ग के 4,566 प्रवासी परिवार रह रहे थे ।

(ग) भूतपूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास पर होने वाले व्यय के लिए 1973-74 के दौरान, 19,25.68 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

(घ) प्रवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए विभिन्न पुनर्वास योजनाएं तैयार की गई हैं और/या विचाराधीन हैं । चालू वर्ष के लिए पुनर्वास का लक्ष्य (i) दण्डकारण्य परियोजना में 2,500 परिवार, (ii) लिटिल अण्डमान में 125 परिवार और (iii) दण्डकारण्य तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपों से अन्यत्र परियोजनाओं में 2,500 परिवार हैं । अन्य 1,350 परिवारों को लघु व्यापार, व्यवसाय आदि में बसाया जाना है। इन लक्ष्यों में से अब तक 4,400 परिवारों को पहले ही पुनर्वास स्थलों पर भेजा जा चुका है । 600 परिवारों के पुनर्वास के लक्ष्य के चालू वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है ।

अब तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के 339 परिवार बेटापुर (मिडिल अण्डमान), 100 परिवार नील द्वीप और 123 परिवार लिटिल अण्डमान में बसाए जा चुके हैं । जैसे ऊपर कहा गया है चालू वर्ष में 125 और परिवारों को लिटिल अण्डमान भेजने का प्रस्ताव है ।

'सेन्टो', चीन और इंगलैंड द्वारा युद्धबन्दियों को रिहा करने का अनुरोध

1705. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री वी० मायावन:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेन्टो' ने जून, 1973 के सम्मेलन में युद्धबंदियों को रिहा करने की मांग की थी ?

(ख) क्या चीन ने भी भारत को युद्धबंदियों को रिहा करने को कहा है ; और

(ग) क्या इंगलैंड की सरकार ने भी यही विचार व्यक्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य देशों को युद्धबंदियों के प्रश्न के निपटाये न जाने के कारणों के बारे में प्रभावित नहीं कर पाई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) तेहरान में 10 से 12 जून तक सम्पन्न सेन्टो की मंत्रीय-परिषद की 20वीं बैठक की समाप्ति पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति में उक्त बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों ने पाकिस्तानी युद्धबंदियों की रिहाई के लिए अनुरोध किया था ।

(ख) चीनी नेताओं ने अनेक अवसरों पर कहा कि युद्धबंदियों को बिना शर्त छोड़ देना चाहिए।

27 LSS/73—7.

(ग) ब्रिटिश सरकार स्थिति की जटिलता को समझती है और इस उपमहाद्वीप के सम्बन्द्ध देशों के बीच बातचीत के द्वारा युद्धबंदियों के मामले तथा अन्य सम्बद्ध मानवीय समस्याओं के समाधान का समर्थन करती है ।

(घ) चूंकि दिसम्बर, 1971 के संघर्ष के कारण उत्पन्न युद्धबंदियों के मामले तथा अन्य मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए सरकार बहुत इच्छुक है इसलिए 17 अप्रैल, 1973 की भारत बंगलादेश संयुक्त घोषणा में एक साथ ही बंगला देश सरकार द्वारा अपराधों के लिए जिन युद्धबंदियों/असैनिक नजरबंदों पर मुकदमा चलाया जाना है, उनके अतिरिक्त शेष सभी पाकिस्तानी युद्धबंदियों/असैनिक नजरबंदों के देश-प्रत्यावर्तन पाकिस्तान में जबरन रोके गए बंगालियों के देश-प्रत्यावर्तन तथा बंगलादेश के पाकिस्तानियों के देश-प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव रखा गया है ।

अंतर्राष्ट्रीय जनमत को सही स्थिति बताने और इसकी वजह से इसबारे में भारत की स्थिति को अब पहले से ज्यादा अच्छी तरह समझा जा रहा है ।

अल्जीयर्स में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के होने वाले सम्मेलन में बंगलादेश का प्रतिनिधित्व

1706. **श्री एन० शिवप्पा:**

श्री पी० गंगादेब:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्जीयर्स में 5 से 8 सितम्बर, 1973 तक होने वाले गुटनिर्पेक्ष राष्ट्रों के आगामी सम्मेलन में बंगला देश के प्रवेश का समर्थन करने के लिए काबुल में हुई गुटनिर्पेक्ष देशों की प्रारम्भिक समिति (प्रीपरेटरी कमेटी) में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अल्जीयर्स की बैठक में बंगला देश को प्रतिनिधित्व दिये जाने के बारे में कोई निर्णय किया गया था ; और

(ग) प्रारम्भिक समिति में कुल कितने देशों ने भाग लिया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) शिखर सम्मेलन की कार्यसूची पर और दूसरे ब्यौरों पर विचार करने के लिए काबुल में 13 मई से 15 मई, 1973 तक गुट मुक्त देशों की प्रारम्भिक समिति की बैठक में भारत ने भाग लिया था । अल्जीयर्स में होने वाले गुटमुक्त देशों के अगले शिखर सम्मेलन में बंगलादेश के प्रवेश का भारत ने समर्थन किया था—यह प्रश्न विचारणीय विषयों में सम्मिलित था ।

(ख) प्रारम्भिक समिति में यह निश्चय किया गया कि शिखर सम्मेलन से पूर्व विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन होगा उसमें वे गुटमुक्त देशों के वर्ग में सम्मिलित होने के लिए बंगलादेश के प्रार्थना-पत्र को भेजेंगे कि उस पर अनुकूल रूप से विचार किया जाए

(ग) भारत सहित 17 देशों ने काबुल की बैठक में भाग लिया ।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए फील्ड गन फैक्टरी की स्थापना

1707. **श्री एन० शिवप्पा:**

श्री पी० गंगादेव:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय तोपखाना के क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए फील्ड-गन फैक्टरी की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) देश को फील्ड तोपखाना में आत्म निर्भर बनाने के लिए एक भारतीय फील्डगन का निर्माण करने के लिए एक परियोजना मंजूर की गई है। इस गन के निर्माण की योजना आयुध कारखानों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर बनाई गई है।

(ख) चालू मूल्यों पर इस परियोजना की अनुमानित लागत 46.48 करोड़ है।

Jobs Provided to Ex-servicemen of Madhya Pradesh by the Rehabilitation Directorate of Ministry of Defence

1708. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of persons registered with the Rehabilitation Directorate of the Defence Ministry in Madhya Pradesh during the last three years; and

(b) the number of persons provided with employment in Madhya Pradesh during the said period

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) The Director General of Rehabilitation under Ministry of Defence does not have any Directorate functioning in Madhya Pradesh. The number of ex-servicemen who have been registered with the Directorate General of Resettlement during the last three years and belonging to Madhya Pradesh is 111.

(b) 68 persons have been provided with suitable employment during the period.

Shortage of Coal in Madhya Pradesh

1709. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage of coal in Madhya Pradesh;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to(c) The Government of Madhya Pradesh have reported that there is an acute shortage of coal for industries in the State due mainly to the non-availability of wagons on account of considerable increase in the requirement of coal by the power houses and the steel plants which enjoy high priority for the allotment of wagons. The Railways and the coal producing organisations are taking a number of steps to improve the movement of coal and these are expected to improve the situation progressively.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेन्ट्रल ग्राफिस के लिए प्लाट के सौदे का रद्द किया जाना

1710. **श्री रामावतार शास्त्री:** (क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल ग्राफिस के लिए बाराखम्वा लेन, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए खरीदे गए प्लाट का सौदा रद्द कर दिया है ।

(ख) उस प्लाट पर निर्माण कार्य प्रारम्भ न कर पाने के क्या कारण थे, हालांकि वह बहुत समय पूर्व खरीदा गया था, ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम ग्रौर पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है:--

(क) ग्रौर (ख) भारत सरकार द्वारा बाराखंभा लेन, नई दिल्ली में भूखण्ड पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बनाए गए मूल नक्शों को ग्रक्तूबर, 1972 में निर्माण एवं ग्रावास मंत्रालय की सलाह पर भवन की ऊंचाई को 120 फीट तक सीमित करते हुए संशोधित किया गया ग्रौर जैसा कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी द्वारा ग्रपेक्षित है, उन्हें भूमि एवं विकास कार्यालय को उस की स्वीकृति के लिए पुनः भेजा गया । जब कि नक्शे विचाराधीन थे, नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति की सिफारिश पर सरकार ने यह निर्णय लिया कि बाराखंभा रोड, स्कूल लेन ग्रादि से परिसीमित 30 एकड़ भूमि (जहां पर भूमि का एक टुकड़ा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ग्रांवटित किया गया है) को समैकित ढंग से विकसित किया जायेगा ग्रौर वहां पर कोई ग्रलग कार्यालय भवन नहीं बनाने दिया जाये । उपरोक्त क्षेत्र का समैकित विकास नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा किया जाएगा ।

उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ग्राबंटित भूमि के टुकड़े का ग्राबंटन मार्च, 1973 में रद्द कर दिया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रलजियर्स में होने वाला गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन

1711. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रलजियर्स में सितम्बर में होने वाले गुट निर्पेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भारत भाग ले रहा है ; ग्रौर

(ख) उक्त सम्मेलन में किन किन समस्याग्रों पर विचार विर्मश किए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी, हां।

(ख) गुट-मुक्त देशों के आगामी शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श होने की संभावना है ;

(i) अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और गुट निरपेक्षता की भूमिका की सामान्य समीक्षा एवं मूल्यांकन

(ii) विश्व शांति एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के राजनीतिक मसलों पर और समन्वित कार्यवाही पर विचार ;

(iii) गुट-निरपेक्ष देशों की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को तेज करने के लिए आर्थिक पहलुओं और अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही पर विचार ;

(iv) गुट निरपेक्ष देशों में शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सूचना तथा अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग समन्वय बढ़ाने के तरीके ;

(v) गुट-निरपेक्ष देशों की भावी बैठकें तथा अगली शिखर वार्ता की तिथि एवं स्थान।

सेलम इस्पात संयंत्र के लिए परियोजना प्रतिवेदन

1712. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री राजदेव सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेलम इस्पात संयंत्र के लिए परामर्शदाता को नियुक्त कर दिया है ;

(ख) सेलम इस्पात संयंत्र का परियोजना प्रतिवेदन सरकार को कब तक मिलने की संभावना है ;

(ग) प्रतिवेदन मिलने में देरी के क्या कारण हैं ?

(घ) इस संयंत्र की तत्काल स्थापना के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सेलम स्टील लिमिटेड ने सेलम इस्पात कारखाने के लिए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मेसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कंपनी (प्रा०) लिमिटेड के साथ एक करार किया है । सरकार ने अभी इस करार का अनुमोदन नहीं किया है ।

(ख) विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के अब से लेकर लगभग एक साल के अन्दर तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रायोजना को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) भूमि अर्जन कार्य :

कारखाने के क्षेत्र का, जो लगभग 1100 हेक्टेयर (लगभग 2750 एकड़ हैं, सीमांकन कर दिया गया है । इसमें से 30-6-1973 तक 705 हेक्टेयर (लगभग 1762.5 एकड़) भूमि प्राप्त करली गई थी ।

(2) **जल प्रदाय :**

कारखाने तथा बस्ती के लिए जल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा रखे गये प्रस्तावों पर एक विशेषज्ञ समिति विचार कर रही है । आशा है कि यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

(3) **स्थल कार्य :**

अब तक लगभग 95,000 धन मीटर मिट्टी का काम पूरा हो गया है । चारदीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है।

(4) **रेल तथा सड़क सुविधाएं:**

सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन से संयंत्र स्थल तक रेलवे साइडिंग की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । राज्य सरकार ने इस्पात संयंत्र स्थल को सड़कों से मिलाने के लिए प्रारंभिक कार्य आरंभ कर दिया है ।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा गैर-कोकिंग कोयला खानों का पुनर्गठन

1713. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन: क्या इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण ने 714 गैर-कोकिंगकोयलाखानों का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुनर्गठन की मोटी रूपरेखा और इसके प्रयोजन क्या हैं ; और

(ग) ऐसा कब तक किया जाना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत अकोक-कारी कोयला खानों को अच्छे प्रबन्ध और अनुकूलतम उत्पादन को अभिप्राप्त करने की दृष्टि से पुनः विभाजित किया जा रहा है । पुनर्गठन में, जिसमें विस्तृत नियोजन अन्तर्वलित है, पर्याप्त समय लगेगा। इस दिशा में कारवाई की जा रही है ।

प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक ए०बी० एस० प्लास्टिक के लिए स्वदेशी टेकनालांजी

1714. **श्री राजदेव सिंह : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधानकर्त्ताओं ने ए० बी० एस० प्लास्टिक के नाम से विख्यात आधुनिक प्लास्टिक के निर्माण के लिए]जो कि रक्षा तथा अन्य उद्योगों में बहुत अधिक काम आता है स्वदेशी टेक्नोलाजी का विकास किया हैं ;

(ख) क्या देश की आवश्यकताओं को देखते हुए जिनकी पूर्ति पूर्णतया आयात से होती है, सरकार का विचार घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधुनिक प्लास्टिक कानिर्माण करने हेतु उक्त टेक्नोलाजी का व्यापक उपयोग करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ए० बी० एस० प्लास्टिक के निर्माण के लिए स्वदेशी तकनीक को विकसित करने का कार्य नहीं कर रहा है। अभी रक्षा कार्यों के लिए इस सामग्री की कोई विशिष्ट मांग नहीं है । तथापि श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान ने ए० बी० एस० प्लास्टिक के उत्पादन के लिए पायलट प्लांट तकनीक को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की अनुदान परियोजना के अन्तर्गत विकसित किया है । तथापि अभी एक संघटक नामतः एक्रीलोनिट्राइल को आयात किया जाता है किन्तु उसके स्वदेश में निर्मित होने की सम्भावना है। उक्त संस्थान के द्वारा विकसित निगम के माध्यम से खरीद लिया है । निश्चित निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि देश इसकी मांग को पूरा करने में कब आत्मनिर्भर हो सकेगा ।

चीन के साथ सीमा विवाद को निपटाया जाना

1715. **डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्युनिस्ट चीन के साथ शांतिपूर्ण उपायों से सीमा विवाद को निपटाने के के लिए हाल ही में कोई प्रयास किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पेकिंग सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार की बराबर यह नीति रही है कि इस समस्या का शांतिपूर्ण द्विपक्षीय तरीकों से हल किया जाए ।

Joining of Comecon by India

1716. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in "Hindustan" (Hindi) dated the 7th June, 1973 to the effect that India is considering the question of becoming a member of COMECON (economic organisation of Communist countries) alongwith some other countries; and

(b) if so, the benefit likely to accrue to India as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) Attention of Government has been drawn to news items appearing in June, 1973 on the subject. Such a proposal is not being considered by Government at present.

भागने के प्रयास करते समय मारे गये पाकिस्तानी युद्धबन्दी

1717. **श्री मालजी भाई परमार :**

श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 1973 मास में एक युद्धबन्दी शिविर से भागने का प्रयास करते समय कुछ पाकिस्तानी युद्धबन्दी मारे गए थे ;

(ख) इस कार्यवाही में कितने युद्धबन्दी मारे गए ; और

(ग) युद्धबन्दी शिविरों से युद्धबन्दियों के भागने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जुलाई 1973 के दौरान युद्धबन्दी शिविरों से भागने का यत्न करते हुए तीन युद्धबन्दी मारे गए ।

(ग) किसी युद्धबन्दी द्वारा भागने के प्रयत्न को विफल करने के लिए सभी युद्धबन्दी शिविरों में पहले ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं ।

एच० ई० आई० एल० का बी० एच० ई. एल० के साथ विलय

1718. **श्री जगन्नाथ मिश्र:**

श्री बी० मायावन :

क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच ई आई एल और बी एच ई एल का विलय किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विलय योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां ।

(ख) हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड (एच ई आई एल) और हरिद्वार, हैदराबाद और तिरुची के अपने तीन एककों सहित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी एच ई एल) सरकारी क्षेत्र की दो बड़ी परियोजनाएं हैं, जो भारी विद्युत जनित्रण उपकरणों और ट्रांसफार्मर, स्विचगियर आदि जैसे भारी विद्युत उपकरणों का निर्माण करने के लिए स्थापित की गई हैं । एच ई आ ई एल और बी एच ई एल के दो एककों अर्थात् हरिद्वार और हैदराबाद एककों के कार्यो की जांच योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एम० पाठक की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त कार्य-समिति द्वारा की गई थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुभव किया कि भारी विद्युत उपकरण के क्षेत्र में दो अलग कम्पनियों के होने से संयंत्र, सामान तथा व्यक्तियों के दुर्लभ संसाधनों और आयातित टेक्नोलाजी का अनुकूलम उपयोग नहीं हो पाता है । इसलिए उन्होंने सिफारिश की कि एच ई आई एल और बी एच ई एल को मिलाकर एक ही कम्पनी कर दिया जाये ।

(ग) विलयन होने पर चार संघटक एककों का एक ही अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक होगा जिसको पूरे कर्मचारी दिए जायेंगे जो विदेशी टेक्नोलाजी का उत्तम उपयोग करने, चारों एककों के समन्वित विस्तार के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार करने और एक समेकित प्रबन्ध प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम का विकास करने में भी उसकी सहायता करेंगे। जहां एक से अधिक एकक एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे वहां पहले की व्यवस्था का अधिलंघन करके प्रत्येक एकक को उत्पादों की कुछ श्रेणियों में विशिष्टता प्राप्त करने के योग्य बनाया जायेगा । विलयन किए गए उपक्रमों के लिए अनुसंधान तथा विकास संगठन होगा, जिसका प्रत्येक स्थान पर एक उप-एकक होगा, जो उस उपकरण के संबन्ध में विशिष्टता प्राप्त करेगा जो प्रधानतः उस स्थान में बनाया जाता है ।

मई, जून और जुलाई, 1973 के दौरान विदेश मंत्री का विदेशों का दौरा

1719. श्री पी० जी० मावलंकर :

श्री हरीसिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून, जुलाई, 1973 के दौरान उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया ; और

(ख) इन दौरों का उद्देश्य क्या था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस अवधि में विदेश मंत्री ने सीरिया, ईराक, जर्मन जनवादी गणतंत्र, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क और ईरान की यात्रा की ।

(ख) इन यात्राओं का उद्देश्य आपसी हित के मामलों पर विचारविनियम करना था, विशेष रूप से भारत और सम्बद्ध देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में निकट सहयोग की संभावनाएं खोजने के इरादे से । यात्राओं के दौरान इन देशों के नेताओं को भारतीय उप महाद्वीप की स्थिति को बेहतर ढंग से समझाया जा सका और इन क्षेत्रों के सभी देशों के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने की भारत की इच्छा और इस दिशा में उसके प्रयत्नों से भी उन्हें अवगत कराया गया ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

1720. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) यदि इस संख्या में प्रति वर्ष कमी हो रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

	जनवरी कोर्स	जुलाई कोर्स
1971 . . .	4346	4578
1972	4262	4949
1973	4595	5575

(ख) इस संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है और उसमें कोई कमी नहीं हुई ।

लिबिया में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में भारत की सहायता

1721. श्री बनमाली पटनायक : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिबिया ने इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत की सहायता मांगी थी और करार के लिए निर्णय कर लिया गया था ।

(ख) यदि हां, तो क्या करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) लीबिया सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की एक परामर्शदायी इंजीनियरी फर्म एम०एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी का लीबिया में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सभ्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु नियुक्त किया था। म०एम०एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का लीबिया सरकार अध्ययन कर रही है। लीबिया सरकार ने इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है और इस तरह अंतिम रूप से कोई संविदा नहीं की गई है।

Pak not Interested in Release of P.O.Ws.

1722. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in daily Urdu 'Jasrat' of Karachi, wherein an allegation has been made that Pakistan is not interested for the release of their P.O.WS.;

(b) if so, whether Government have also recived any indication from any other source in this regard; and

(c) if so, the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government have seen similar press reports to this effect.

N.C.C. Cadets in Paratroop Training Centre, Agra

1723. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether 63 N.C.C. Cadets jumped out of the plane in Paratroops Training Centre, Agra for the first time;

(b) if so, whether other important military training would also be imparted to N.C.C cadets; and

(c) if so, the outlines thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Besides elementary military training, Army NCC cadets are also attached to regular Army units where they acquire the knowledge of modern military weapons. Naval and Air wings of NCC receive specialised training in their respective branches.

सुगेरणी कोयला खान, आंध्र प्रदेश का विस्तार

1724. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश की सुगरेणी कोयला खानों के कार्यकरण का विस्तार करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान सिंगरेणी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम की स्थूल रूपरेखा निम्न प्रकार से है :—

(i) कम्पनी का प्रस्ताव पांचवीं योजना के अन्त तक अपनी कोयला उत्पादन क्षमता को वर्तमान 50 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ा कर 120 लाख टन तक कर लेने का है ।

(ii) इस अवधि के दौरान लगभग 25 नई खानों को विकसित करने का प्रस्ताव है ।

(iii) विकास के उद्देश्य से समीप के अतिरिक्त मत्रों, जैसे बेलमपाद तालुक के मंगूर, आसिफाबाद के गोलती और लाजटपोट ताजुक के सारंगपल्ली क्षेत्रों का भुवैज्ञानिक अन्वेषण किया जाएगा ।

(iv) उपर्युक्त विस्तार कार्य के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विनिधान की आवश्यकता होगी जिसमें 6.25 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा के उपकरण भी सम्मिलित हैं और इससे लगभग 28,550 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विकास कार्यक्रम

1725. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार कार्यक्रम आरम्भ का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अप्रैल, मई और जून, 1973 में विद्युत की कमी के कारण खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम, दुर्गापुर को हानि

1726. **श्री रोबिन सेन :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून, 1973 में विद्युत की कमी के कारण खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम, दुर्गापुर को कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) उक्त अवधि में विद्युत की कमी के कारण खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम के मजदूरों तथा कर्मचारियों की आय में कितनी कमी हुई ; और

(ग) इस अवधि में कितने मजदूरों की छटनी की गई अथवा कितने मजदूरों को जबरी छुट्टी की गई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिजली की कमी के कारण अप्रैल, मई और जून, 1973 में माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कार्पोरेशन में 3.2 मी० टन उत्पादन कम हुआ जिसका मूल्य लगभग 14 लाख रुपये है ।

(ख) बिजली की कमी के फलस्वरूप इस अवधि में मजदूरों की प्रोत्साहन आय में लगभग 11,600 की कमी हुई ।

(ग) इस अवधि में किसी भी मजदूर की छंटनी या जबरी छुट्टी नहीं की गई ।

दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात संयंत्र का विस्तार

1727. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात संयंत्र का विस्तार कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात संयंत्र में मिश्रित धातु इस्पात का उत्पादन इसके वर्तमान लक्ष्य से बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए निर्णय की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) मिश्र इस्पात कारखाने के 100,000 टन पिण्ड वार्षिक के वर्तमान उत्पादन स्तर को 300,000 टन तक करने के बारे में सिद्धान्त रूप से निर्णय ले लिया गया है ।

(ख) से (घ) विस्तार योजना में प्राडक्ट-मिक्स का प्रश्न इस समय विचाराधीन है ।

भारतीय वायु सेना के लिए रडार औरसंचार व्यवस्था में वृद्धि करने तथा उसे समेकित करने के लिए योजना

1728. **श्री श्रीकिशन मोदी:**

श्री पी० गंगादेव:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय भारतीय वायुसेना के लिए वर्तमान रडार और संचार व्यवस्था में वृद्धि करने तथा उसे समेकित करने की किसी योजना पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका डिजाइन ऐसा है जिससे विमान द्वारा हमला होने पर बचा जा सके तथा विमान प्रतिरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) भारतीय वायु सेना के लिए वर्तमान रेडार-और संचार व्यवस्था में वृद्धि करने की एक विस्तृत योजना पर विचार किया जा रहा है जिसका डिजाइन ऐसा होगा जिससे हवाई हमला होने से बचा जा सकेगा ।

(ग) ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं होगा ।

चिरक्कल बुनकर सहकारी समिति, चिरक्कल, कन्नानूर (केरल) की ओर से भविष्य निधि के सम्बन्ध में ज्ञापन

1729. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में चिरक्कल बुनकर सहकारी समिति, चिरक्कल, कन्नानूर केरल की ओर से भविष्य निधि की कुछ समस्याओं से सम्बन्धित कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां।

(ख) यह प्रतिष्ठान एक औद्योगिक सहकारी समिति के रूप में एक पंजीकृत करघा कारखाना है तथा कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 से छूट प्राप्त है । समिति के अनुरोध पर, इसे स्वेच्छा से अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत लाया जा रहा है ।

त्रिचुर में कर्मचारी भविष्य निधि का उपक्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना

1730. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के त्रिचुर में कर्मचारी भविष्य निधि का एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने संबंधी मार्ग-दर्शकों पर, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की बंगलौर में 3 अगस्त, 1973 को होने वाली आगामी बैठक में विचार-विमर्श करने का विचार है।

कोजीकोड में इस्पात संयंत्र

1731. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा लौह अयस्क के लिए वहां किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर क्या सरकार का प्रस्ताव कोजीकोड में इस्पात संयंत्र करने के लिए विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा अब तक किए गये सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लौह अयस्क के भण्डार सीमित हैं और खनिज में लोहे की मात्रा भी कम है।

Agreement between U.S.A. and Iran to Check Russian and Indian Influence in Indian Ocean

1732. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that an agreement has been concluded between U.S.A. and Iran to check the activities and influence of Soviet Russia and India in the Persian Gulf and the Indian Ocean; and

(b) if so, the reaction of Government thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir. The Government do not know of any such agreement between the U.S.A. and Iran.

(b) Does not arise.

Visit of Military Team of Iran

1733. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a military team of Iran visited India recently;

(b) if so, the objectives of the visit; and

(c) the outcomes thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir. A team of 25 trainee officers and instructors from the Imperial Iranian National Defence University, Tehran, visited India from 4th June to 8th June, 1973.

(b) and (c) This was in the nature of a good will visit.

सेवामुक्त सैनिकों का पुनर्वास

1734. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने सैनिक अपनी सेवाओं से मुक्त किए गए ; और

(ख) नागरिक जीवन में उनका पुनर्वास करने में उन्हें सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) 1970-71 और 1972 के दौरान सशस्त्र सेनाओं से क्रमश: 63,576, 47,380 और 50,549 सैनिक सेवा मुक्त किए गए।

(ख) सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए किए गए विभिन्न उपायों के ब्यौरे, सलंग्न विवरण में दिए गए हैं । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5283/73]

भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश के लिये शिक्षा का स्तर

1735. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश के लिए शैक्षिक स्तर बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां, श्रीमन्। जुलाई 1974 के पाठ्यक्रम से तथा उससे आगे भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश के लिए शैक्षिक का स्तर इन्टरमीडिएट से ग्रेजुएट बढ़ा दिया गया है ।

(ख) (1) नेशनल डिफेंस अकादमी में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक स्तर मैट्रीकुलेशन से बढ़ाकर उच्चतर माध्यमिक कर दिया गया है और उस अकादमी में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का भी दर्जा बढ़ा दिया गया है ताकि 3 वर्ष के पश्चात् जो विद्यार्थी उस संस्था से निकले और भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश लें वे डिग्री स्तर तक प्रशिक्षित हों; अतः यह आवश्यक है कि भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता डिग्री होनी चाहिए।

(2) सेना में आधुनिकतम हथियारों और उपस्कर के प्रारम्भ को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक अर्हता का बढ़ाया जाना भी कार्य की आवश्यकता है।

अखिल भारतीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ को मान्यता देना

1736. **श्री वयालाररवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके और संघ के प्रजीडेन्ड के बीच अखिल भारतीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ को डाक व तार के राष्ट्रीय संघ के सिद्धान्तों के आधार पर मान्यता देने के बारे में कोई निर्णय हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय को अब तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा संघ को मान्यता देने के लिए क्या कार्य करने का विचार है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

गुजरात में इस्पात का वितरण

1737. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में इस्पात के नियतन तथा वितरण सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने हेतु गुजरात लोहा तथा इस्पात समिति की एक प्रारम्भिक बैठक अहमदाबाद में आयोजित हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बैठक में की गई सिफारिशें जुलाई में दिल्ली में हुई लोहा तथा इस्पात समिति की बैठक में रखी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो नई दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में किन मदों पर चर्चा की गई ; और

(घ) इस्पात की कमी को पूरा करने हेतु गुजरात राज्य की किस सीमा तक सहायता की जायेगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) अहमदाबाद में हुई किसी ऐसी बैठक के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) संभवतः अभिप्राय पुनर्गठित लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद की प्रथम बैठक से है, जो 17 जुलाई, 1973 को होनी थी, बैठक स्थगित कर दी गई थी। फिर भी परिषद के सदस्यों की ओर से गुजरात लोहा और इस्पात समिति की बैठक से सम्बन्धित किसी विषय के कार्य सूची में सम्मिलित करने के लिए कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था।

(घ) इस्पात के वितरण की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। मुख्य इस्पात कारखानों से प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, जिसके लिए इस्पात मांगा गया हो, तिमाही विशेष में इस्पात की उपलब्धि तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है।

झरिया कोयला खानों का पुनर्गठन करने के लिए भारत-पोलैण्ड करार

1738. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री श्रीकृष्णदास मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया कोयला खानों का पुनर्गठन करने के लिए भारत और पोलैंड के बीच एक करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) जी, हां। भारत कोकिंग कोल लि० ने पोलेण्ड की एक फर्म मैसर्स 'कोपेक्स' के साथ एक करार किया है । यह फर्म भारत कोकिंग कोल लि० को विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करेगी तथा राष्ट्रीयकृत कोककर कोयला खानों के पुर्ननिर्माण के लिए एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग देगी। शक्यता प्रतिवेदन के अगले कुछ महीनों में प्राप्त हो जाने की संभावना है ।

पांचवीं योजना में कोयला उत्पादन की 'योजनाएं

1739. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार योजनाएं बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, हां।

(ख) अनन्तिम रूप से प्रस्ताव किया गया है कि कोयला उत्पादन के 800 लाख टन के प्रनिमान को, जिसके 1973-74 में प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है, बढ़ा कर 1978-79 में लगभग 1430 लाख टन कर दिया जाए।

कलकत्ता स्थित जय इंजीनियरिंग वर्क्स में तालाबन्दी समाप्त किया जाना ।

1740. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

श्री समर मुखर्जी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित जय इंजीनियरिंग वर्क्स में तालाबन्दी समाप्त किये जाने के प्रश्न पर दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय बैठक में विचार विमर्श किया गया था ;

(ख) इसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) कारखाने को पुनः चालू करने के लिए स्वयं श्रम मंत्री ने क्या सुझाव दिये थे।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) यह मामला आवश्यक रूप से राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, राज्य सरकार से परामर्श लेते हुए, केन्द्रीय श्रम मंत्री ने पक्षों के बीच युक्तिसंगत समझौते को बढ़ावा देने के प्रयास में 30 मई, 1973 को नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी। परन्तु कोई समझौता न हो सका। विचार-विमर्श के दौरान जो सुझाव उभरा, वह यह था कि विवादग्रस्त विषयों को राज्य के मुख्य मंत्री को उनके माध्यस्थ के लिये निर्देशित किया जाए और जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता के सिचाई मशीन और पंखा कारखानों में सामान्य काम पुनारम्भ किया जाए।

राष्ट्रीय रबड़ कम्पनी, कलकत्ता द्वारा तालाबन्दी

1741. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय रबड़ कम्पनी के प्रबन्ध ने 21 मई, 1973 को कारखाने में तालाबन्दी घोषित की थी ; और

(ख) उक्त तालाबन्दी के क्या कारण है और उक्त कारखाने को पुनः खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) यह मामला अनिवार्यतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रबन्ध-तंत्र ने 21 मई, 1973 से कारखाने के अन्दर श्रमिकों द्वारा की गई अभिकथित अनुशासनहीनता के कारण तालाबन्दी की घोषणा की। पश्चिम बंगाल के श्रम संबन्धी राज्य मंत्री इस मामले के प्रति सचेत हैं।

सेलम तथा दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात संयंत्र के उत्पादमिश्र का विस्तार

1742. श्री रानेन सेन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलम के मिश्रित इस्पात संयंत्र के उत्पाद-मिश्र का विस्तार करने की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लियें उनके मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियक्त की गई है ;

(ख) क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) इस समय सेलम इस्पात कारखाने के विस्तार का कोई प्रश्न नहीं है। संभवतः अभिप्रायः दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखानें से हैं। दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के प्रोडक्ट-मिक्स की समीक्षा करने के लिए इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है। विभागीय अधिकारियों के एक दल ने विस्तार योजना के प्रोडक्ट-मिक्स की समीक्षा का काम पुरा कर लिया है और अब इसकी जांच की जा रही है।

भारत से डिटोनेटरों की श्रीलंका को तस्करी

1743. श्री वीरेन्द्रसिंह राव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों को देखा है कि भारत से 48000 डिटोनेटरों की श्रीलंका को तस्करी का प्रयास करते समय उन्हें श्रीलंका की नौसेना ने पकड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां ।

(ख) संबंन्धित प्राधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच अब भी जारी है । इस मामले में श्रीलंका के प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच में सरकार ने भी सहायता दी है ।

चम्बल घाटी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

1744. श्री वीरेन्द्र सिंह राव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों का चम्बल घाटी क्षेत्र में पुनर्वास किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने परिवारों का अब तक पुनर्वास कर दिया गया है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में डाकुओं के परिवारों के पुनर्वास का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) चम्बल घाटी क्षेत्र में कुछ भूमि उपलब्ध किये जाने के लिए राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकारों की पेशकश पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने आत्म-सर्पण किये गये डाकुओं के आश्रितों तथा उनके हाथों दुखी परिवारों को बुलाने के लिए कुछ अल्प-कालिक तथा दीर्घ-कालिक उपाय किये हैं । इनमें नकद, अनुदान, खाद्य सामग्री, कृषि भूमि का आवंटन, कृषि उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षा सुविधाएं, छात्र-वृत्तियां तथा उनके आश्रितों को नौकरी दिये जाने जैसे उपाय शामिल हैं ।

कम्पनियों द्वारा पुनरीक्षित बोनस का भुगतान न किया जाना

1745. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 25 जून, 1973 को नई दिल्ली में एक प्रैस सम्मेलन में संकेत दिया था कि यदि मालिकों ने 8.33 प्रतिशत के न्यूनतम बोनस का भुगतान न किया तो सरकार मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी ;

(ख) यदि हां, तो उन बड़ी कम्पनीयों के नाम और ब्यौरा क्या है जिन्होंने अभी तक 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया है ; और

(ग) उन कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी हां, हवाला 1972 में किसी भी दिन प्रारम्भ होने वाले लेखा वर्ष के सबन्ध में बोनस भुगतान के बारे में था।

(ख) यह सूचना राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होगी ।

(ग) इस विषय पर विधान बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

रक्षा संबंधी आवश्यकताओं में आत्म-निर्भरता

1746. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश ने रक्षा की कुछ मदों में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मदों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में प्राप्त की गई आत्म-निर्भरता का स्वरुप क्या है ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) हमने छोटे हथियारों हल्के, तोपखाने और उनके गोला-बारूद में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। फील्ड और मझोले तोप खाने के बारे में देश में स्वदेशी क्षमता भी उत्तरोत्तर स्थापित की जा रही है। हमारी आर्मर्ड रेजिमेन्टों को भी उत्तरोत्तर स्वदेश में बनाए गए विजयन्त टैंकों से सुसज्जित किया जा रहा है। नौसेना के लिये हम लीएन्डर क्लास फ्रीगेटों का उत्पादन कर रहे हैं और वायुसेना के लिये मारुत मिग-21 तथा ए जात। रक्षा सेवायों के लिये संचार उपस्कर तथा रेडारों की आवश्यकताएं मुख्यतः स्वदेशी उत्पादन से ही पूरी की जा रही हैं। हमारे कारखानों ने टैंक रोधी मिसाइल का भी उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

कोयले का आयात

1747. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की अत्यधिक कमी को देखते हुये सरकार का विचार विदेशों से कोयला आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन कौन से हैं तथा उनसे कितना कोयला आयात किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, नहीं, देश में कोयले की कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में मालिकों पर लगाये गये विशेष अंशदान का हटाया जाना

1748. श्री समर मुखर्जी :

श्री सेझियान :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना में मालिकों पर लगाए गए विशेष अंशदान को 1 जुलाई, 1973 से हटा देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना देश में अपनी किस्म की पहली योजना रही है। इसकी कार्यान्विति की आरंभिक अवस्थाओं में यह निर्णय किया गया था कि इस सामाजिक बीमा योजना के कार्यकरण में अनुभव प्राप्त करने के बाद इसे क्रमशः अधिकाधिक भौगोलिक क्षेत्रों पर लागू किया जाए। इस योजना

को सर्वप्रथम दिल्ली और कानपुर में लागू किया गया था। चूंकि नियोजकों को श्रमिकों की मजूरी का लगभग 4.5 प्रतिशत अपने हिस्से के अंशदान के रूप में देना पड़ता था, उन्होंने अभ्यावेदन किया कि भौगोलिक आधार पर योजना की कार्यान्विति से उन्हें, उन क्षेत्रों में अन्य कारखानों के नियोजकों के मुकाबले में जहां योजना लागू नहीं की गई, प्रतियोगी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसलिये, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का संशोधन किया गया और उसके अध्याय 5-क के अस्थायी उपबंध नियोजकों के हिस्से के अंशदान के भार को सारे भारत के सभी कारखानों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत लाने योग्य थे, वितरित करने के लिये, अधिनियम में लाए गए। नियोजकों के विशेष अंशदान के भुगतान को इस प्रकार विनियमित किया गया कि कार्यान्विति क्षेत्र वालों को गैर-कार्यान्विति क्षेत्र वालों से अधिक भुगतान करना पड़ता था। हाल के वर्षों में योजना के विस्तार और देश में अन्तर्गत लाने योग्य प्रतिष्ठानों के बड़े समूह पर इसके लागू होने से स्थिति बदल गई है और सरकार ने यह निर्णय लिया कि अधिनियम के अध्याय 5-क को वापस लिया जाना चाहिये।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये श्रमिक

1749. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, कुल कितने औद्योगिक श्रमिक हैं और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत, राज्यवार कुल कितने श्रमिक शामिल किये गए;

(ख) राज्यवार कुल कितने औद्योगिक श्रमिक हैं जिन्हें कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं है;

(ग) वर्ष 1969-70, 1970-71, 1971-72 और 1972 जून, 1973 में राज्यवार कर्मचारियों और श्रमिकों से कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कुल कितना अंशदान मिला; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान, वर्षवार कुल कितनी धनराशि दी गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरणों (अनुबंध I और II) में दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गये / देखिये संख्या एल० टी० 5284/73]

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् में श्रेष्ठतर सेवा शर्तों के लिए कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

1750. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के कर्मचारी श्रेष्ठतर सेवा शर्तों के लिये प्रबंध के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की मांग क्या है; और

(ग) इन मांगों का निपटारा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रबंध-तंत्र और कर्मचारी संघ के बीच 24 जून, 1973 को एक समझौता होने के परिणामस्वरूप, यह आन्दोलन समाप्त किया गया और पुनः स्थिति पूर्णतः सामान्य हो गई।

भारी उद्योग के अन्तर्गत 14 कारखानों के उत्पादन में 4.5 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य

1751. **श्री सरजू पांडे:** क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उत्पादन करने वाले 14 कारखानों के उत्पादन में 4.5 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उत्पादन करने वाले सभी 14 एककों का 1973-74 के लिये अधिक उत्पादन करने का उद्देश्य है और यह 1972-73 की उपलब्धि के मुकाबले में 4.5 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने की योजनाओं में ये बातें शामिल हैं : उत्पादन, आयोजना तथा नियंत्रण के सुधरे हुए तरीके, समय पर कच्चे माल की प्राप्ति, उपयुक्त क्षेत्रों में दुहरी/तीहरी पारी चलाना, तेज़ उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं के साथ-साथ औद्योगिक संबंधों और प्रबंध को भी अच्छा बनाना।

रोज़गार के प्रभावी माध्यम के रूप में 'सेन्ट्रल लेबर डिपो', गोरखपुर

1752. **श्री नरसिंह नारायण पांडे:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोकिंग कोयले के सरकारीकरण के पश्चात् 'सेंट्रल लेबर डिपो', गोरखपुर उत्तर प्रदेश, को रोज़गार का प्रभावी माध्यम बनाने हेतु, एक समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) बदली हुई परिस्थितियों में गोरखपुर श्रम डिपो के भविष्य की जांच करने के लिये एक समिति स्थापित की गई है जिसमें मुख्य रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। इस समिति की बैठक 2 अगस्त, 1973 को होनी निश्चित हुई है।

हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन

1753. **श्री हरिकिशोर सिंह:**

श्री त्रिदिव चौधरी:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैलसिंकी में आयोजित यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन के क्या परिणाम निकलें; और

(ख) क्या इससे विकासशील देशों के हितों पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन का प्रथम चरण ही समाप्त हुआ है । 3 जुलाई, से 7 जुलाई, 1973 तक हैलसिंकी में 35 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और उसमें हैलसिंकी मंत्रणा को 'अंतिम सिफारिशें' को स्वीकार किया । ये सिफारिशें सम्मेलन (विशेष समितियां तथा उप-समितियां) के कार्यकारी निकायों के लिए हिदायतों और कार्य-सूची तथा सम्मेलन के संचालन के संबद्ध प्रक्रियागत नियमों एवं अन्य व्यवस्थाओं से सम्बन्धित हैं।

सम्मेलन का दूसरा चरण अर्थात् विशेष समितियों तथा उप समितियों का कार्य 18 सितम्बर, 1973 को जेनेवा में शुरू होना निश्चित हुआ है । सम्मेलन के तृतीय और अन्तिम चरण में प्रतिनिधित्व का स्तर तथा उसकी तारीख बाद में तय की जायेगी।

(ख) इन परिस्थितियों में, यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन का विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस का मूल्यांकन करना अभी उचित नहीं है ।

समुद्र का कानून संबंधी सम्मेलन

1754. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी समुद्र के कानून सम्बन्धी सम्मेलन में, समुद्री संसाधनों का निष्पक्ष और अभिनव वितरण करने हेतु, विधान बनाने की मांग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए प्रस्ताव की मुख्य बाते क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत ने जैनेवा में संयुक्त राष्ट्र समुद्रतल समिति के चालू सत्र में कीनिया, श्रीलंका, कनाडा, सेनेगल और मदगास्कर के साथ मिलकर समुद्र के सजीव संसाधनों पर अनुच्छेदों का मसविदा प्रस्तुत किया । हमने समुद्र के जड़ संसाधनों पर अभी तक कोई प्रस्ताव पेश नहीं किए हैं।

(ख) प्रस्ताव का सार यह है कि तटीय देश को अपने प्रादेशिक समुद्र से परे मछली क्षेत्र, स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है और वह तटीय देश इस क्षेत्र में सभी नसलों की मछलियों सहित सजीव संसाधनों पर प्रभुसत्तात्मक अधिकार निभाएगा । समुद्री नियम पर आगामी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा किए जाने वाले निर्णय के अनुसार इस क्षेत्र की बाहरी सीमाएं वही होंगी जो कि आर्थिक क्षेत्र की हैं और उनका मापकरण उसी उपयुक्त आधार रेखा से किया जाएगा जिससे प्रादेशिक समुद्र का माप किया जाता है ।

उत्तर बिहार में एक लघु इस्पात कारखाने की स्थापना

1755. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में एक लघु इस्पात कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, नहीं । क्योंकि विशिष्ट रूप से उत्तरी बिहार में ऐसा कोई कारखाना लगाने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया में भारत के कथित प्रवेश करने के बारे में अमरीकी समाचार पत्रों द्वारा समाचार प्रकाशित करना

1756. **श्री विक्रम महाजन:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1973 के "टाईम्स आफ इण्डिया" में "य० एस० पेपर्ज रिपीटिड एलीगेशन अगेंस्ट इण्डिया" शीर्षक के अंतर्गत [प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी समाचार पत्र इस आशय के समाचार प्रकाशित कर रहे हैं जिस में आरोप लगाया गया है कि भारत फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश से बाहर सैनिक वचनवद्धता से इन्कार करने के लिये और अमरीकी समाचार पत्रों द्वारा किए जाने वाले गलत प्रचार की ओर विश्व का ध्यान दिलाने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) 23 जून 1973 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक वक्तव्य दिया जिसमें खाड़ी के देशों के प्रति भारत के रवैया को स्पष्टकिया और इस बारे में जो शान्तिपूर्ण वक्तव्य दिए गए हैं उनका खण्डन किया। सरकारी प्रवक्ता के वक्तव्य की एक प्रति 26 जुलाई 1973 को सदन की मेज पर रख दी गई थी।]

विश्वविद्यालयों में रोज़गार ब्यूरो

1757. **श्री यमुना प्रसाद मंडल:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को विश्वविद्यालयों में रोज़गार ब्यूरो स्थापित करने की सलाह दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस ब्यूरो के मुख्य उद्देश्यक्या हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य छात्रों तथा विश्वविद्यालय स्नातकों के लिए व्यावसायिक एवं शैक्षिक मार्गदर्शन, रोज़गार तथा व्यवसायिक सूचना और रोज़गार सहायता की व्यवस्था करना है।

कच्चे लोहे के लिए विदेशी क्रयादेश

1758. **श्री रणबहादुर सिंह:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कितने और कौन कौन से देशों ने कच्चे लोहे के लिए क्रयादेश दिए हैं तथा इनका मूल्य का क्या है; और

(ख) ये क्रयादेश कब तक क्रियान्वित हो जायेंगे?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) चाँलू वर्ष (1973-74) में तीन देशों नामतः जापान, स्विटजरलैण्ड तथा हालैण्ड ने कच्च लोहे के लिए आर्डर दिये हैं इन आर्डरों के मूल्य तथा सुपुर्दगी की अवधि निम्नलिखित है :--

देश का नाम	मूल्य (अमरीकी डालरों में)	सुपुर्दगी की अवधि
(1)	(2)	(3)
जापान	5,815,000 डालर	अगस्त'73--जनवरी'74
स्विटजरलैण्ड	29,100,000 डालर	अगस्त'73--जून'74
हालैण्ड . . .	5,512,500 डालर	जनवरी'74--जून'74

'की टर्न' के आधार पर बिजली घरों का निर्माण करने के लिए एक सगंठन की स्थापना

1759. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'की टर्न' के आधार पर बिजली घरों का निर्माण कराने के लिए एक संगठन की स्थापना करने संबंधी प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसका मुख्य कार्यकरण क्या है।

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में विलम्ब को दूर करने के लिये भारी उद्योग मंत्रालय ने एक योजना तैयार करने को कहा है, जिससे विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति आयेगी। आवश्यक संगठनात्मक प्रबंधों का पता लगाने के लिये सापेक्ष कार्य कर रहे विद्यमान संगठनों जैसे भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दि इंडियन कंसोर्टियम फार पावर प्रोजेक्टस, दि हिन्दुस्तान स्टील वकर्स कंसट्रक्शनस लि० के साथ-साथ राज्य विद्युत बोर्डों के बारे में जो कि विद्यमान स्थापना में विद्युत परियोजनाओं की संरचना के लिये उत्तरदायी है, के अध्ययन किये जा रहे हैं।

वाहन कारखाने का कार्य सम्पादन

1760. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वाहन कारखानों का कार्य सम्पादन कैसा रहा; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कमी हुई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) वाहन फैक्टरी जबलपुर तथा हैवी व्हीकल फैक्टरी आबाड़ी के कार्य निष्पादन में तीव्रता से प्रगति हो रही है। कारखाना जबलपुर जो कि "शक्तिमान" तथा "निशान" गाड़ियों का उत्पादन करता है उसमें वर्ष 1970-

71 के दौरान लगभग 30 प्रतिशत की कमी हुई थी। 1971-72 तथा 1972-73 के वर्षों के दौरान निश्चित किए गए लक्ष्यों के अनुसार इस कारखाने के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है । हैवी व्हीकल फैक्टरी, आबाड़ी में 1970-71 वर्ष के दौरान लगभग 30 प्रतिशत उत्पादन में कमी आई थी । जो कि 1971-72 के दौरान घट कर 10 प्रतिशत रह गई थी । 1972-73 वर्ष के दौरान कोई कमी नहीं आई है।

रक्षा सेवा के अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान

1761. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समान सेवावधि के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों की तुलना में रक्षा सेवा के अधिकारियों के वेतनमान कैसे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इन अफसरों द्वारा एक ही अवधि के दौरान सर्विस करने पर उनकी वर्ष-वार ठीक-ठीक तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि एक ओर तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और दूसरी ओर सैनिक अफसरों के वेतन-ढांचे, पदोन्नति के नियम, भर्ती और सेवानिवृति के लिए निर्धारित आयु-सीमाएं अलग-अलग हैं । अफसरों के लिए सेवा आवश्यकताएं ऐसी हैं कि जूनियर और मिडिल रैंकों द्वारा भी कार्य का बहुत महत्व रखा जाता है जहां कि शारीरिक तथा मानसिक रूप से उच्च स्तर रखने की आवश्यकता होती है । तदनुसार, सैनिक अफसरों का रैंक पिरामिड काफी चौड़े आधार वाला है जिसका शिखर संकीर्ण है । यह भी बता दिया जाए कि सेवा शर्तों के अनुसार सैनिक अफसर 'वस्तुओं' के रूप में विभिन्न भत्ते तथा लाभ प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर विशेष वेतन पाते हैं और विशेष वेतन के बारे में विभिन्न राज्यों में जो पद्धति है वह पदों की संख्या जिनका विशेष वेतन होता है और शेष विभिन्न स्तरों पर पदों के लिए निर्धारित विशेष वेतन की दरों के लिए काफी भिन्न होते हैं। यही परिस्थितियां हैं जिनके कारण माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई ठीक तुलना करना सम्भव नहीं है।

2. तथापि, रक्षा सेवाओं के अफसरों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए निर्धारित मूल वेतन की दरों का एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5285/73]

3. प्रसंगाधीन वर्गों के अफसरों के वेतनमानों के बारे में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

एयर फोर्स बेस रिपेअर डिपुओं का कार्य सम्पादन

1762. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में एयर फोर्स बेस रिपेअर डिपुओं का कार्य सम्पादन कैसा रहा; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई कमी हुई है?

नोट: विवरण में सैनिक अफसरों के केवल 'जनरल केडर' के मूल वेतन दिखाए गये हैं। सेना चिकित्सा कोर आदि जैसी विशेषज्ञ शाखाओं को नहीं लिया गया है ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) एक रिपेअरडिपो 1971-72 के दौरान अपने कार्य से अधिक बढ़ गई और दूसरी डिपो ने जो अगस्त 1972 में चालू की गई थी, वह 1972-1973 का अपना कार्य पूरा कर लिया। अन्य मामलों में उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में कमी थी।

जबरन श्रमिक सप्लाई के बारे में कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन की कथित भर्त्सना

1763. **श्री राम कंवर**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन की खानों को श्रमिकों की जबरन सप्लाई करने के लिए भर्त्सना की गई है;

(ख) क्या इस संगठन को अब समाप्त किया जा चुका है; और

(ग) श्रमिकों की भर्ती के लिए सरकार ने क्या नई प्रक्रिया आरम्भ की है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (ग) कोयला-क्षेत्र भर्ती संगठन के अधिकारियों द्वारा श्रमिकों पर लागू किए गए कठोर नियंत्रण के कारण प्राय: "कोयला-क्षेत्र भर्ती संगठन" की आलोचना की जाती है। किंतु अब कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन के माध्यम से कोयला खानों के लिए श्रमिकों की भर्ती बंद कर देने का निश्चय किया गया है। कोयला खानों में भर्ती के लिए भर्ती के सामान्य स्त्रोतों को अपनाया जाएगा।

निर्यात के उद्देश्य के लिए मैंगनीज ओर की खनन संबंधी नीति

1765. **श्री आर० के सिंह**: क्या **इस्पात और** खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के मैंगनीज-ओर के सुरक्षित भण्डारों की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों ने मैंगनीज-ओर की खनन नीति को केवल इसलिए अस्वीकृत किया है कि यह केवल निर्यात के उद्देश्य के लिए हैं; और

(ग) क्या इन दो वैज्ञानिकों के विचारों को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने मैंगनीज-ओर की खनन और निर्यात सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन किया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) भारतीय खान ब्यूरो ने अनुमान लगाया है कि सभी प्रकार के मैंगनीज खनिज के मापित भंडार, लगभग 69.8 लाख टन है। इनमें उच्च ग्रेड का खनिज जिसमें मैंगनीज की मात्रा 46% से अधिक तथा फास्फोरस की मात्रा 0.15% से कम है। इसके अतिरिक्त लगभग 256.0 लाख टन के सांकेतिक भण्डार तथा 346.3 लाख टन के अनुमानित भंडार हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार को इस बात की पहले ही जानकारी है और 1972 में यह निर्णय लिया गया था कि :

(1) 46% से अधिक मात्रा वाले मैंगनीज खनिज के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

(2) 38 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक की मात्रा वाले मैंगनीज़ खनिज के निर्यात में क्रमिक कमी की जाये।

(3) निम्न ग्रेड के खनिज को 1971-72 के स्तर तक लाया जाए यह नीती 1 अप्रैल, 1973 से लागू की गई है।

नार्वे द्वारा उर्वरकों की सप्लाई

1766. **श्री राम भगत पासवान :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे हमारे देश को 3200 मीटरिक टन उर्वरक सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया; और

(ख) यदि हां, तो सप्लाई करने की शर्तें क्या हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) (क) : जी, हां।

(नार्वे सरकार, इस देश को 32000 मी0 ट0 एन0 पी0 के0 उर्वरक न कि 3200 मी0 ट0 (एन0पी0के0 उर्वरक) सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई है ।

(ख) भारत सरकार तथा नार्वे सरकार ने 21 जून, 1973 को एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार की शर्तों के अनुसार नार्वे सरकार ने उर्वरकों की सप्लाई के लिए 1973 से शुरू होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिए 60.00 (साठ) मिलियन नार्वेजन क्रोनर्ज सी0 आई0 एफ आधार पर उपहार स्वरूप में दिए हैं, जो इस प्रकार हैं:—

1973 में 25 मिलियन नार्वेजन क्रोनर्ज़

1974 में 25 ,, ,,

1975 में 10 ,, ,,

उपर्युक्त करार वे अनुसरण में नार्वे सरकार 1973 के वित्तीय वर्ष के लिए 25 मिलियन नार्वेजन क्रोनर्ज मूल्य के लगभग 32000 मी०ट० एन०पी०के० उर्वरक (23-23-0) सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई हैं जिसे 1973 के उतरार्द्ध में जहाज में लादा जायेगा। 31 दिसम्बर, 1973 की संबंधित जहाजी लदान कार्यचालन योजना पर भी 28-6-73 को भारत सरकार तथा नार्वे सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

कम मज़ूरी मिलने के कारण पश्चिम बंगाल में हड़ताल

1767. **श्री रामभगत पासवान:**

श्री त्रिदिब चौधरी:

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में औद्योगिक श्रमिकों को कम मज़ूरी मिलना भी राज्य के उद्योगों में हड़तालों और तालाबंदियों का एक कारण है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) उपलब्ध अन्तिम सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 1972 में हुए कुल 367 विवादों (हड़तालों और तालाबंदियां) में से, कारण वर्ग "मजूरियां और भत्ते," जिसमें मजूरी दरों आदि में वृद्धि, सवेतन छुट्टी, मजदूरी बोर्ड की सिफ़ारिशों की क्रियान्विति संबंधी मामले भी सम्मिलित हैं, से संबंधित विवादों की संख्या 73 (लगभग 20 प्रतिशत) थी। औद्योगिक संबंध तंत्र, जैसा कि वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यक है, अनौपचारिक मध्यस्थता, समझौते, न्याय-निर्णय तथा विवाचन के माध्यम द्वारा, विवादों से होने वाली कामबंदियों को कम से कम करने के लिये प्रयास करता रहता है।

बोकारो इस्पात कारखाने की दूसरी 'कोक ओवन बैटरी' के बारे में आयोग द्वारा उत्पादन के पहलू का अध्ययन

1768. **श्री एस० एम० पुरतक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त बोकारो इस्पात कारखाने की दूसरी 'कोक ओवन बैटरी' सम्बन्धी आयोग ने इसके उत्पादन सम्बन्धी पहलू का अभी तक अध्ययन नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार ने ऐसा कोई आयोग नियुक्त नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खान प्राधिकारी के रांची से कलकत्ता स्थानान्तरण के विरुद्ध बिहार का विरोध

1769. **श्री एम० एस० पुरती**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने कोयला खान प्राधिकार जिसमें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का विलय किया गया है, रांची से कलकत्ता को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। अपितु, बिहार सरकार ने कोयला खान प्राधिकारी के मुख्यालय को रांची में ही स्थापित करने का सुझाव दिया था। सुगमता, संचालनात्मक और प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से कोयला खान प्राधिकारी का मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय कोयला निगम लिमिटेड का मुख्यालय, जो कि अब कोयला खान प्राधिकारी लिमिटेड की सहकारी कम्पनी है, रांची में ही रहेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

वोल्टास एण्ड वोल्कार्ट, बम्बई में औद्योगिक विवाद

1770. **श्री मधु लिमये** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वोल्टास एंड वोलकार्ट बम्बई के कर्मचारियों की ओर से प्रबन्धकों और कर्मचारियों के मध्य औद्योगिक विवादों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उस मामले में श्रम मंत्री के हस्ताक्षेप की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) वोल्टास के प्रबन्धमण्डल और इनके कर्मचारियों के बीच में विवाद पर केन्द्रीय श्रम मंत्री का हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए कर्मचारी संघ द्वारा अभिवेदन किये गये थे। केन्द्रीय श्रम मंत्री और राज्य श्रम मंत्री, महाराष्ट्र ने 4 जून, 1973 को बम्बई में पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया। पक्षों के बीच 25 जून, 1973 को एक सौहार्दपूर्ण समझौते का अनुगमन करते हुए इन विवादग्रस्त विचार्य विषयों को हल किया जा चुका है।

वायु सेना एवं नौसेना की आवश्यकताओं के बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रयत्न

1771. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब भी नौसेना और वायुसेना, विशेषतः वायुसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों पर बुरी तरह निर्भर कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वायु सेना और नौसेना की आवश्यकताओं में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये है; और

(ग) वायुसेना तथा नौसेना की तत्कालीन आवश्यकताओं को विदेशों से उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग) आयात केवल उसी सीमा तक किया जाता है जिसकी स्वदेशी मात्रा उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार देश को आत्मनिर्भर बनाने और वायुसेना तथा नौसेना की तात्कालिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए यथा सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस संबंध में 1972-73 के लिए रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस बारे में और आगे ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

भारतीय वायु सेना के लिए डीप पैनेट्रेशन लो लैवल लड़ाकू विमान

1772. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अपनी वायुसेना के लिए डीप पैनेट्रेशन लो लैवल लड़ाकू विमान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है;

(ख) क्या इस मामले में कोई देश भारत की सहायता करने को सहमत हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : कई प्रकार के विमानों की उपयोगिता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

खेतरी और कोलिहान खानों के उत्पादन कार्यक्रम को पुनरीक्षित करके कम किया जाना

1773. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान खेतरी तथा कोलिदान खानों के उत्पादन कार्यक्रम को पुनरीक्षित करके तीन बार कम किया है;

(ख) क्या इन खानों के कार्यकरण का अध्ययन करने तथा उत्पादन-कार्यक्रम को और आगे पुनरीक्षित करने का सुझाव देने हेतु इस मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार को वहां हाल ही में तैनात किया गया था ;

(ग) यदि हो, तो मूलतः उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और बाद में तीन अवसरों पर इन लक्ष्यों में कितनी कमी की गई तथा इसके क्या कारण थे और क्या चौथी बार कमी करने की भी अनुमति दी गई है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या प्रशासन संबंधी लागत में तो वृद्धि होती जा रही है जबकि इन खानों में उत्पादन घटता जा रहा है, और यदि हां, तो किस सीमा तक?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) खान में नियमित उत्पादन चालू वर्ष अर्थात् 1973-74 से ही प्रारंभ हुआ है। 1971 में खनन कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की गई 1973-74 में खेतड़ी तथा कोलिहान खानों से अयस्क का उत्पादन लक्ष्य 9,18,000 टन निर्धारित किया गया। तकनीकी कारणों के फलस्वरूप खान का विकास अभिनिश्चित दर पर नहीं हो सका और, इसलिए मार्च, 1973 में, 1973-74 के उत्पादन लक्ष्य को 6 लाख टन तक ही सीमित करना पड़ा। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत में अत्यधिक कटौती किये जाने के कारण अप्रैल से जून, 1973 के दौरान खान विकास और खान विकास कार्यक्रम में अत्यधिक बाधा हुई। 1973-74 के दौरान छः लाख टन के उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा हर संभव कारवाई की जा रही है।

(ख) सन्निर्माण की प्रगति का निर्धारण करने और उन तत्कालिक समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए, जिनका परियोजना द्वारा सामना किया जा रहा था, इस विभाग के भूतपूर्व मुख्य तकनीकी सलाहकार ने अप्रैल, 1973 में खेतड़ी ताम्र परियोजना का दौरा किया। इस दौरे के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिशोधित अनुसूची में उदिशित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि 1973-74 के लिए उत्पादन अनुसूची 1971 में किये गए विस्तृत पुनरीक्षण के पश्चात् केवल एक बार ही परिशोधित की गई है जिस के कारण उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में दिये गए है।

(घ) जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है खान से नियमित उत्पादन चालू वर्ष में ही आरम्भ हुआ है। उससे पहले केवल खान विकास कार्य के कुछ सानुषांगिक अयस्क का ही उत्पादन हो रहा था।

मास जुलाई, 1973 के दौरान 25 जुलाई तक अयस्क का उत्पादन लगभग 2500 टन था जो कि पिछले किसी भी मासिक औसतन उत्पादन से अधिक है और आशा की जाती है कि अब से भविष्य में उत्पादन दर में निरंतर वृद्धि होगी।

जहां तक स्थापना लागत में वृद्धि का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि खोतड़ी ताम्र परियोजना निर्माण की अग्रिम अवस्था पर है। सांदक संयंत्र का प्रथम चरण पहले ही चालू किया जा चुका है और साक्रया संयंत्रों को 1974 के प्रारंभिक चरण में चालू किये जाने की संभावना है। संयंत्र और खान के लिए अतिरिक्त कार्मिकों, परियोजना की समाप्ति हेतु कार्यक्रम के अनुसार क्रमिक रूप से भर्ती की जा रही है।

कोयले की कमी के लिये कोयला खान प्राधिकरण को दोषी ठहराना

1774. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1973 के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में "कोयले की कमी के लिए कोयला खान प्राधिकरण को दोषी ठहराया जाना" शीर्षक से प्रकाशित भारत के कोयला व्यापारी संघ के अध्यक्ष के इस आशय के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि हालांकि कोयला खानों के मुहानों पर सापट कोक के ढेर पड़े हुए हैं तो भी सुस्थापित व्यापारियों को केवल नाम-मात्र की मात्रा में कोयले की डिलवरी दी गई; और यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार में उल्लिखित इस आशय के आरोपों की जांच की है कि कोयले का बड़ी मात्रा में आवंटन कोयला खान प्राधिकरण के अधिकारियों के संबंधियों को किया गया और व्यापारियों को उनसे ऊंचे मूल्य पर कोयला खरीदना पड़ा; और खानों से पानी निकालने के प्रबन्ध नहीं किये गये तथा उत्पादन की हानि होने दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले तथा कोयला वितरण व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): आरोप साधारण प्रकार के हैं और उनका प्रत्यक्षतः कोई आधार नहीं है। अदि कोई विशिष्ट मामले सरकार की जानकारी में लाए गए तो उनकी जांच की जाएगी।

लौह अयस्क और इस्पात के निर्यात से तुलनात्मक उपलब्धि

1775. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय 4 करोड़ टन लौह अयस्क के निर्यात से जो उपलब्धि होती है वह दस लाख टन इस्पात के निर्यात से होने वाली उपलब्धि के बराबर है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात व्यापार की अलाभकारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयस्क के बड़े भाग को जिसका कि इस समय निर्यात किया जाना है, देश में इस्पात निर्माण के लिए उपयोग करने का है; और

(ग) क्या मामले की इस पहलू पर अन्य अर्थ संबंधी मंत्रालयों से कोई विचार-विमर्श हुआ है और यदि हां. तो उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 1972 में निर्यात किये गये 218 लाख टन लौह खनिज के लिए वसूल किया गया औसत मूल्य 51.70 रु० प्रति टन था। इस आधार पर 400 लाख टन लौह खनिज के निर्यात से 207 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। फिर भी, यदि समस्त निर्यात खनिज के डलों का ही किया जाय तो औसत मूल्य में सुधार होगा। जिसकी औसत लगभग 60 रु० प्रति टन हो सकती है। इस आधार पर 400 लाख टन खनिज के निर्यात से 240 करोड़ रु० प्राप्त होंगें। दस लाख टन तैयार इस्पात के निर्यात से उत्पादों से 188 करोड़ रु० तथा आकारयुक्त उत्पादों से 119 करोड़ रु० तक प्राप्त होंगे।

(ख) देश में इस्पात के उत्पादन के लिए जितने खनिज की आवश्यकता होती है उतने खनिज का उपयोग सरकार पहले ही कर रही है। देश में इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक लौह खनिज से फालतू खनिज का ही निर्यात किया जाता है।

(ग) लौह खनिज के निर्यात के प्रश्न की योजना आयोग तथा संबंधित विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से सतत समीक्षा की जाती है।

आस्ट्रेलिया और भारत के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत का परिणाम

1776. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने जून, 1973 में भारत की यात्रा की थी और यदि हां, तो बातचीत के दौरान किन मामलों पर चर्चा हुई;

(ख) क्या विदेशी संबंधी के बारे में दोनों देशों के बीच विचारों का कोई साम्य स्थापित हुआ है और यदि हां, तो वह किस प्रकार का है; और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने 3 से 9 जून 1973 तक भारत की यात्रा की थी। बातचीत के दौरान जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनका उल्लेख यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में किया गया है।

(ख) बातचीत में विचारों और दृष्टिकोणों में, विशेषतया क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने, लाओस और वियतनाम पर पैरिस समझौते के सख्ती से पालन करने, 22 नवम्बर, 1967 के सुरक्षा परिषद प्रस्ताव सं० 242 को पश्चिम एशिया की स्थिति के उचित और स्थाई समाधान के लिए आधार बनाने, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, महान सत्ताओं की प्रतिद्वंद्विता तथा सैनिक गति विधियों की वृद्धि से हिन्द महासागर को मुक्त क्षेत्र रखने, जाति-भेद की नीतियों को घृणित समझने, परमाणु आयुध परीक्षण का विरोध करने, विकसित तथा विकासशील देशों के बीच के बढ़ते अन्तर को कम करने की आवश्यकता के संबंध में समानता थी।

(ग) दोनों प्रधान मंत्रियों ने आर्थिक मामलों में अधिकाधिक सहयोग के महत्व पर विशेष रूप से संयुक्त उद्योग की संभावना तथा आर्थिक संबंधी की अधिकाधिक विविधता प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कुछ विशिष्ट प्रस्ताव दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं।

पाकिस्तान और ईरान द्वारा संयुक्त रक्षा अभ्यास

1777. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मई, 1973 की इस प्रेस रिपोर्ट (इंण्डियन एक्सप्रेस) की ओर दिखाया गया है कि पाकिस्तान और ईरान रक्षा उपायों के संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं;

(ख) इसका उप महाद्वीप की शांति पर क्या प्रभाव पड़ता है;

(ग) रक्षा के संयुक्त अभ्यासों में अमरीका कहां तक अन्तग्रस्त है; और

(घ) भारत के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) इन अभ्यासों से उपमहाद्वीप की शांति को स्वतः कोई तत्काल खतरा पैदा नहीं होता, लेकिन उससे सैनिक ग्रुपों को मजबूत करने की भावना को वल मिलता है जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका होती है।

(ग) ईरान और पाकिस्तान दोनों सेंटो के सदस्य है जिससे अमरीका भी पूरी तरह संबंधित है। इसलिए किसी न किसी रूप में अमरीका के संबंधित होने की अनदेखा नहीं किया जा सकता।

(घ) हमारी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर अपनी रक्षा योजनाएं बनाते समय ध्यान रखा जाता है।

Pakistani P.O.W. Arrested and Killed in Bids to Escape from P.O.W. Camps

1778. **Shri Hukum Chand Kachwai:**

Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani P.O.W. arrested and the number of those killed in a bids to escape from P.O.W. Camps after the Indo-Pak War to-date, month-wise and camp-wise; and

(b) the Government's future policy and schedule in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) A statement is attached.

Statement

Pakistani Prisoners of War Arrested and Killed in Bids to Escape from POW Camps

Month	Camps at	Number killed	Number apprehended
Mar. '72	Ramgarh	—	—
	Fatehgarh	—	3
Apr. '72	Bareilly	—	2
Jun. '72	Agra	1	—
	Bareilly	—	2

Months	Camps at	Number killed	Numbers apprehended
Aug. '72	Meerut	—	2
	Agra	—	2
	Allahabad	—	1
	Gwalior	—	1
Sep. '72	Allahabad	—	2
	Gwalior	—	1
Oct. '72	Agra	1	1
	Ranchi	2	—
	Gwalior	—	1
Nov. '72	Ramgarh	1	2
Dec. '72	Bareilly	—	2
Jan. '73	Bareilly	4	10
	Allahabad	1	1
Feb. '73	Ranchi	—	1
Mar. '73	Faizabad	—	2
	Ramgarh	—	1
May '73	Bareilly	—	1
	Dhana	—	1
June'73	Bareilly	—	3
	Ranchi	—	1
Jul. '73	Ramgarh	3	2
	Total	14	46

Adequate security measures exist in all POW camps at all times to foil any attemp to escape by any prisoner but inspite of these the Prisoners of War take the risk to escape

Man-days Lost due to Strikes and Lock-outs

1779. **Shri Hukum Chand Kachwai :**

Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number of man-days lost as a result of lock-out and strikes during the period from 1st January, 1972 to date ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : According to available provisional information, the number of mandays lost due to strikes and lockouts during the period January, 1972 to April, 1973 was as follows

Period	Mandays lost due to	
	Strikes	Lockout
(i) January to December, 1972 (Provisional)	11,794,353	6,126,991
(ii) January to April, 1973 (Provisional)	2,465,915	1,637,911

जेनेवा में भारतीय मिशन में श्रम विषय संभालने के लिये व्यवस्था

1780. **श्री सी० एम० स्टीफन:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में कोई ऐसा भारतीय मिशन है जिसमें लेबर एटेची हो, यदि हां, तो कहां पर; और

(ख) क्या जेनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन में श्रम विषय को सम्भालने के लिए कोई व्यवस्था है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन के राजदूत ही अन्तर्राष्टीय श्रम संगठन में हमारे स्थायी प्रतिनिधि भी हैं। अभी सहायता के लिए मिशन के प्रथम सचिव की सेवा उपलब्ध रहती है।

बोनस पुनर्विलोकन समिति में रिक्त पद का भरा जाना

1781. **श्री सी० एम० स्टीफन:** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री सतीश लूम्बा के दुख निधन के कारण बोनस पुनर्विलोकन समिति में एक पद रिक्त हो गया है; और

(ख) क्या उनके स्थान पर अखिल भारतीय श्रम संगठन कांग्रेस के नामजद किये गये व्यक्ति को नियुक्त करने पर कार्यवाही की गई है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी हां।

(ख) मामला अभी तक भी विचाराधीन है।

छोटा नागपुर के लोगों को उस क्षेत्र के भारी उद्योगों में रोजगार देने में प्राथमिकता

1782. **कुमारी कमला कुमारी:** क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में छोटा नागपुर क्षेत्र के भारी उद्योगों को रोजगार के मामले में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए कोई निदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका मुख्य व्यौरा क्या है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की भर्ती नीति के अनुसार अकुशल कामगरों की भर्ती उस इलाके से की जाती है जहां परियोजना स्थापित है। कुशल कामगरों, क्लर्कों और अन्य, जो श्रेणी 2 पदों के अन्तर्गत आते हैं (जिनका अधिकतम वेतनमान 575 रुपये से कम है) की भर्ती के लिए उम्मीदवारों की वरीयता का क्रम निम्नलिखित है:-

(1) परियोजना के लिए अर्जित क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों,

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति से संबंधित व्यक्तियों,

(3) ऐसे व्यक्तियों को जिनकी अन्य सरकारी उपक्रमों से छंटनी हो गई हो या होने वाली हो,

(4) उस क्षेत्र में आम तौर पर रहने वाले व्यक्तियों, उन पदों के संबंध में, जिनकी परिलब्धियां 575 रुपये से कम नहीं है अखिल भारतीय आधार पर चुनाव किया जाता है, जिसमें योग्यता और अर्हता मुख्य माप-दण्ड होती है।

अत्यावश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे उद्योगों में हड़तालों पर रोक लगाने का प्रस्ताव

1783. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों में हड़तालों पर रोक लगाने के लिए नियम तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों में हड़ताल पर रोक लगी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अलौह धातुओं के मूल्यों में परिवर्तन

1784. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातुओं के विशेषत: एल्यूमीनियम के मूल्यों में कोई परिवर्तन किया जाने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख): ऐल्यूमिनियम धातु और उसके उत्पादों (पेचों और पट्टिओं को छोड़कर) के वर्तमान विक्रय मूल्य ऐलूमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन मई, 1971 में निर्धारित किये गये थे। कच्चे माल आदि की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण ऐलूमिनियम उत्पादक कीमतों के पुन: निर्धारण की मांग करते आ रहे हैं। कीमतों के पुन: निर्धारण का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

इस समय अन्य अलौह-धातुओं की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। तथापि, देशज जस्ते और तांबे की कीमतों पर अनौपचारिक नियंत्रण है। देश में उत्पन्न जस्ते की कीमत खनिज और धातु व्यापार निगम की कीमत से जुड़ी है। जहां तक तांबे का संबंध है, उसके देशज उत्पादन का कुछ भाग पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को बातचीत द्वारा तय कीमत पर आपूर्ति के लिए रखा जाता है और शेष को तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में सम्मिलित वास्तविक प्रयोक्ताओं को खनिज और धातु व्यापार निगम की कीमत पर बेच दिया जाता है।

ईरान की सैनिक शक्ति में वृद्धि के लिये चीन की सहायता का समाचार

1785. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ईरान की सैनिक शक्ति में वृद्धि के लिये चीन की सहायता संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हमारे पड़ोस में बड़ी मात्रा में हथियार प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति का गंभीरता से अध्ययन करना होता है । हमारा यह विश्वास है कि ईरान के साथ हमारे हितों का विरोध नहीं है और हम उस देश के साथ केवल मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं । विदेश मंत्री की हाल की ईरान यात्रा के दौरान ईरान के नेताओं ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि उनका विश्वास और इच्छा भी यही है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की लोह अयस्क परियोजनाएं

1786. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जून, 1973 के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में "एन० एम० डी० सी० प्रोजेक्टस डिलेड" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां ।

(ख) कालिक मदों जैसे उपस्करों की सप्लाई, किरिबुरु विस्तार तथा परिवर्तन योजना, बेलाडिला निक्षेप संख्या 5 और दोनीमलाई लौह अयस्क प्रायोजनाओं के सिविल तथा संरचनात्मक कार्य की पूर्ति सम्बन्धी कामों की समीक्षा की गई है ताकि इन प्रायोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके । नवीनतम संकेतों के अनुसार किरिबुरु विस्तार योजना के 1974 की अन्तिम तिमाही, बेलाडिला के 1975 की अन्तिम तिमाही और दोनीमलाई के 1975 के मध्य तक पूरा हो जमने की संभावना है ।

अक्टूबर, 1973 में कोयले के मूल्य में भारी वृद्धि की संभावना

1787. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष अक्टूबर माह में कोयले के मूल्य में भारी वृद्धि होने की आशा है है जैसे कि दिनांक 11 जुलाई, 1973 के 'इकोनामिक टाइम्स' में "कोल प्राइस हाईक लाइकली इन अक्तूबर" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार में कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इक्नामिक टाइम्स ने अक्तूबर में कोयले के मूल्य में वृद्धि की प्रबल संभावना व्यक्त की है जो संभवतया बढ़े हुए अस्थायी मंहगाई भत्ते के भुगतान के फलस्वरूप की गई है जिसका भुगतान जनवरी से जून, 1973 तक के जीवन निर्वाह सूचकांकों के आधार आवश्यक हो सकता है । किंतु केवल इस कारण से मूल्य वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है ।

टैक्सी के रूप में चलाये जाने के लिए निर्धारित किया गया कारों का कोटा

1788. **श्री पी० आर० शिनायः**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैक्सी के रूप में चलाये जाने के लिये व्यक्तियों को मोटर कारों का उचित कोटा देना सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या इस प्रकार उठाये गये कदमों के फलस्वरूप अधिक टैक्सियों का नियतन हुआ है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद): (क) देश में निर्मित मोटर कारों के कुल उत्पमदन का लगभग 35 प्रतिशत टैक्सी व्यापार के आबंटन के लिये निर्धारित किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

मैसूर में बौक्साइट अयस्क का पाया जाना

1789. **श्री पी०आर० शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बैन्दूर में बौक्साइट अयस्क काफी मात्रा में पाया जाता है और क्या इस अयस्क को वाणिज्यिक स्तर पर शुद्ध करने के लिये कोई प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रयोग के निष्कर्ष क्या हैं और क्या अयस्क स्थल के निकट एक एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) मैसूर के दक्षिण कनारा जिले के बैन्दूर तालुक में लगभग 70 लाख टन के बाक्साइट निक्षेप होने का अनुमान है । भारतीय खान ब्यूरो की अयस्क प्रसाधन प्रयोगशाला ने बैन्दूर के समीपवर्ती पाडुवाडा क्षेत्र से बाक्साइट के 5 नमनों पर प्रयोगशाला परिष्करण संबंधी परीक्षण किए है ।

(ख) अभी तक किए गए परिष्करण परीक्षणों के परिणामों से यह संकेत मिला है कि पाडुवाडा क्षेत्र से प्राप्त बाक्साइट के नमूने सामान्य अयस्क प्रसाधन प्रसाधन तकनीकों द्वारा परिष्करण के अनुकूल नहीं है । अयस्क स्थल के निकट एल्यूमियिम संयंत्र स्थापित कनेर का कोई प्रस्ताव इस समय केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

भारत में कोकिंग कोयला के अनुमानित निक्षेप

1790. **श्री पी०आर० शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोकिंग कोयला के अनुमानित निक्षेप कितने है ; और

(ख) क्या समिति निक्षेपों को दृष्टि में रखते हुए सरकार पहले से ही विदेशों से कोकिंग कोयला आयात करने पर विचार कर रहीं है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) कोयले के भण्डार का अनुमान लगा ने के लिए भारतीय कोयला सलाहकार परिषद् द्वारा बनाई गई समिति की उप-समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो 1964 में प्रकाशित हुई थी, कोकिंग कोयले के स्रोत निम्नलिखित हैं :–

मिलियन (दस लाख) टन

	कुल भंडार	अवरोधों, खनन, शोधन आदि के कारण हानि	शुद्ध भंडार
	1	2	3
(क) कोकिंग कोयला झरिया क्षेत्र			
9 से 18 सीम 609 मीटर गहराई तक।	4600	03238	1360
(ख) मध्यम श्रेणी का कोकिंग कोल			
(1) झरिया कोयला क्षेत्र 5 से 8 ए सीम 304 मीटर गहराई तक	1824	1481	343
(2) **रानीगंज कोयला क्षेत्र**			
609 मीटर गहराई तक	898	619	280
(3) **पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र**			
609 मीटर गहराई तक	4049	2052	1195
(ग) अर्ध-कोकिंग कोयला			
(1) **झरिया कोयला क्षेत्र**			
रानीगंज की सीम 0-609 मीटर गहराई तक	282	186	95
(2) **रानीगंज कोयला क्षेत्र**	793	488	305
(घ) अशक्त कोकिंग कोयला			
रानीगंज कोयला क्षेत्र	1024	587	435
जोड़	13470	9451	4015

(ख) बदेशों से कोकिंग कोयला आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता द्वारा इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन

1791. **श्री लुतफल हक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त कर ली है ; और

(ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान का उपयोग उपभोक्ता एवं मनोरंजन की इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं के निर्माण करने और इस प्रकार उक्त उपक्रम की आय बढ़ाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) जी हां, श्रीमन् । हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने एक डोमैस्टिक टी वी रिसीवर के लघु रूप का विकास किया है ।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को टी० वी० अवयव बनाने के लिये औद्योगिक लाईसेंस दिया गया है । उन्होंने मैसर्स भारत टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ घरेलू टी० वी० रिसीवर बनाने की तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण के लिए लाएसेंस करार भी किया है । उन्होंने उड़ीसा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज डैवलपमेंट कारपोरेशन के साथ भी इसी प्रकार के करार किए हैं । अन्य पार्टियों को जानकारी बेचने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

ईंधन नीति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

1792. **श्री लुतफल हक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन नीति सम्बन्धी समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) क्या कार्यकारी दलों के प्रतिवेदनों सहित उस के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) ईंधन नीति समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

स्वास्तिक प्रेस तथा साविले (पी) लिमिटेड दिल्ली द्वारा कर्मचारियों को परिचय पत्र जारी करना

1793. **श्री लुतफल हक** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शाप एण्ड एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के अधीन सभी मालिकों के लिए जरूरी है कि वे सभी कर्मचारियों को ऐसे परिचय पत्र जारी करें, जिनमें वेतन का उल्लेख हो;

(ख) क्या स्वास्तिक प्रेस इन्द्रपुरी, दिल्ली और साविले (पी) लिमिटेड, सन लाईट कालोनी, नई दिल्ली, 22 ने इस प्रकार के परिचय पत्र जारी किये हैं; और

(ग) इन दो प्रतिष्ठानों को किन आधारों पर शाम को देर तक काम करने की अनुमति दी गयी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन, नियोजकों के लिये

यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र दें, जिसमें वेतन अथवा मजदूरी-दरों, पदनाम इत्यादि का विवरण हो। दिल्ली प्रशासन द्वारा यह बताया गया है कि इन्द्रपुरी दिल्ली मैसर्स स्वस्तिक प्रेस और सनलाइट बस्ती के साविले (प्रा०) लि० इन दोनों ने नियुक्ति पत्र जारी किये हैं।

(ग) इन प्रतिष्ठनों में निर्धारित समय के पश्चात् काम होने के बारे में दिल्ली प्रशासन को कोई शिकायत नहीं मली है। इस संबंध में गहरी नजर रखने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक को निर्देश दिया गया है।

त्रिपुरा के कृषि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी

1794. श्री दशरथ देव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मजदूरी के लिये कोई न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गयी है ; और

(ख) त्रिपुरा में इस समय लागू न्यूनतम कृषि मजदूरी की दर क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री श्री (जी० वेंकटस्वामी): (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार से ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से इस्पात का आयात किया जाना

1795. श्री एस०आर० दामाणी: क्या इस्पात और खानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से इस्पात का आयात प्रारम्भ करने के समय से वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा असाधारण विलम्ब अनुभव करने के सम्बन्ध में गत दो वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप इंजीनियरी की वस्तुओं के निर्यात संवर्धन को हानि हुई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यातोन्मुख उद्योगों को इस्पात सीधा आयात करने की अनुमति देने की वाच्छनीयता पर विचार करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) से (घ) माध्यम अभिकरणों द्वारा आयात किया गया इस्पात उपलब्द करने में देरी के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ऐसे अभ्यावेदनों की माध्यम अभिकरणों से परामर्श करके शीघ्रता से जांच की जाती है। प्राय: यह देखा गया है कि वास्तविक उपयोक्ता विशिष्टियों को अन्तिम रूप देने और प्रस्तुत करने तथा वित्तीय प्रबन्ध करने में बहुत समय लेते हैं।

इंजीनियरी सामान के निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्वानुमान के आधार पर आयात करने की एक योजना है। हाल में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कुछ शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी पंजीकृत निर्यातकों को उनके आवेदन पर लोहे और इस्पात की मानकीकृत श्रेणियों (बेदाग इस्पात को छोड़कर) के मामले में प्राधिकार पत्र प्रदान करने की सुविधा दे सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों तथा इस्को द्वारा इस्पात का उत्पादन

1796. **श्री एस०आर० दामाणी: क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों तथा इस्कों के चालू वर्ष के मासवार उत्पादन आंकड़े क्या हैं तथा उसी अवधि के इससे पहले के वर्ष के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) जिन कारखानों को कोयले की कमी अथवा घटिया किस्म का कोयला मिलने की कठिनाई महसूस हो रही है और इसके परिणामस्वरूप उनकी कार्यकरण क्षमता में कितनी हानि हुई है ; और

(ग) भविष्य में लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :

(क) अपेक्षित जानकारी निम्निलिखित तालिका में दी गई है :–

मासिक उत्पादन

(हजार टन)

	1973-74				1972-73			
	अप्रेल	मई	जून	जोड़	अप्रेल	मई	जून	जोड़
इस्पात पिंडी								
भिलाई	159.0	145.0	148.0	452.0	168.3	153.0	145.0	466.3
दुर्गापुर	81.8	84.0	70.7	236.5	63.6	54.8	49.5	167.9
राउकेला	87.5	92.5	90.9	270.9	74.0	80.3	85.5	239.0
इस्को.	38.4	42.1	30.1	110.6	34.5	33.5	23.1	91.1
विक्रय इस्पात								
भिलाई	104.4	129.0	137.4	370.8	125.2	135.0	130.9	391.1
दुर्गापुर	38.8	29.1	22.1	90.0	34.1	42.9	25.4	102.4
राउरकेला	58.1	52.1	51.2	161.4	42.4	44.7	46.3	133.4
इस्को	28.6	21.6	30.6	80.8	30.6	26.9	9.0	66.5

(ख) इस वर्ष की प्रथम तिमाही में सभी इस्पात कारखानों को कोयले की कमी हुई जिसका कारण मुख्यत: बिजली की कमी था। कोकिंग कोयला खानों तथा कोयला शोधनशालाओं में बहुत कम काम हुआ जिससे इस्पात कारखानों को शोधित कोयले की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई न होने के कारण कोक ओवन गैस, जो रोलिंग मिलों के लिए आवश्यक होती है, की उपलब्धि पर भी प्रभाव पड़ा। मुख्यत: बिजली की कमी के कारण इन 4 इस्पात कारखानों में प्रथम तिमाही में विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन लक्ष्य से लगभग 199,000 टन कम हुआ।

(ग) संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों तथा दामोदर घाटी निगम से विशेष रूप से कहा गया कि वे कोकिंग कोयला खानों, कोयला शोधन शालाओं तथा इस्पात कारखानों को बिजली की सप्लाई में सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बिजली की स्थिति में प्रत्याशित सुधार से कोयले के उत्पादन तथा इस्पात कारखानों को इसकी सप्लाई में काफी सुधार होने की संभावना है। सभी संबंधित अभिकरणों से निकट तथा लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है।

जून, 1973 में कोचीन के गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल

1797. श्री ए० के० गोपालन:
श्री रामभगत पासवान:

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1973 से कोचीन के 2,000 गोदी श्रमिकों की हड़ताल की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण है ; और

(ग) वहां पर हड़ताल कर रहे श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) :(क) जी हां। अन्तर्ग्रस्त गोदी श्रमिकों की संख्या लगभग 1800 थी।

(ख) श्रमिकों ने 8-1/3 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत की दर से बोनस की मांग की।

(ग) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) मद्रास ने मामले में हस्तक्षेप किया परन्तु संराधन कार्यवाहियां असफल रहीं। तथापि, सम्बन्धित पक्षों के बीच जिलाधीश एरनाकुलम द्वारा 25 जून, 1973 को आयोजित की गई बैठक में एक समझौता हुआ। श्रमिकों ने 26 जून, 1973 की रात्रि की पारी से काम पुनः आरम्भ कर दिया। इस समझौते के अन्तर्गत, वाद विषय की मध्यस्थता तक श्रमिकों को 8-1/3 प्रतिशत और 1-2/3 प्रतिशत अग्रिम की दर से अनंतिम आधार पर बोनस का भुगतान किया गया है।

दक्षिण भारत में इस्पात संयंत्रों की स्थापना

1798. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण भारत में तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना के बारे में सरकार पुनः विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को राजनयिक मान्यता

1799. श्री एच०एन० मुकर्जी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को भारत द्वारा राजनयिक मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): यह मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है।

एल्यूमिनियम का उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक कच्चा माल ऐल्यूमिनेट के केवल निर्यात के लिए कारखाने की स्थापना

18 00. **श्री राजदेव सिंह** : क्या इस्पात **और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए आवश्यक ऐल्यूमिनेट, जो एक अलौह धातु तथा कच्चा माल है, केवल अमरीका, रूस, आस्ट्रेलिया और जापान को निर्यात करने के लिए देश में एक कारखाना स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके स्थान तथा उससे सम्बन्धित अन्य बातों के बारे में निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) क्या इसको स्थापना सरकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र में की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : **(क) से (ग)** इस समय देश में निर्यातोन्मुखी ऐलूमिना संयंत्र (एलूमिनेट संयंत्र नहीं) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, मध्य प्रदेश में, निम्न श्रेणी अयस्कों को सम्मिलित कर, बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एक निर्यातोन्मुखी ऐलूमिना संयंत्र स्थापित करनेके लिए रूसी सहायता से साध्यता अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है । अध्ययन द्वारा परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध किए जाने पर ही परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यारम्भ किया जाएगा ।

12 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6945 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Statement Correcting Answer to USQ No. 6945 dated 12-4-73

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में "किसी भी कर्मचारी को अभी तक सेवा से नहीं हटाया गया है" शब्दों के लिए "दो कर्मचारियों को, जिनमें से एक बिहार राज्य से था और दूसरा महाराष्ट्र राज्य से, सेवा से हटाया गया था" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने हैं ।

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में "प्रश्न नहीं उठता है" के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाना है :—

"अभिरक्षक ने, दो कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने में, जो कि कोयला खान के कार्यकरण के हित में था, उसको प्रदत्त कानूनी शक्तियों के अनुसार कार्य किया है । हटाए गए कर्मचारियों की बहाली का प्रश्न नहीं उठता है ।"

उत्तर में शुद्धि करने मेंहुई देरी के कारणों को दर्शित करने वाला विवरण

Statement giving reasons for delay in Correcting reply

"अतारांकित प्रश्न संख्या 6945 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में दी गई जानकारी की गलती का बोध बाद में होने के कारण उसे बाद में ठीक किया गया ।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में एक टैक्सी ड्राईवर की कथित हत्या में पुलिस की मौन सहमति का समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संम्बन्ध में एक व्यक्तव्य दें:—

"दिल्ली में 31 जुलाई, 1973 को एक टैक्सी ड्राइवर की कथित हत्या में पुलिस की मौन-सहमति के समाचार"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त): दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार मृतक, श्री अर्जुन सिंह, का विवाह लगभग चार माह पहले श्री अवतार सिंह की पुत्री के साथ हुआ था। यह विवाह लड़की के परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत हुआ। इस कारण लड़की के माता-पिता तथा भाइयों की मृतक के साथ शत्रुता हो गयी। 23 जुलाई, 1973 को श्री अर्जुन सिंह की पत्नी के एक भाई श्री गुरमीत सिंह ने पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के सहायक उप-निरीक्षक श्री प्रताप सिंह के पास उसके विरुद्ध एक शिकायत दर्ज करायी और उस आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया।

आगे बताया गया है कि 30 जुलाई, 1973 को मृतक श्री अर्जुन सिंह की पत्नी के संबंधियों ने भारतीय दडं संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दर्ज कराये गये मामले के संबंध में उस सहायक उप-निरीक्षक को श्री अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करने के लिये कहा। पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के 5 पुलिस अधिकारियों का एक दल तथा 7 अन्य व्यक्ति, जिनमें मृतक की पत्नी के संबंधी भी सम्मिलित थे, लगभग रात्रि के 10.30 बजे करमपुरा, मोती नगर, उसके घर गये। मृतक के पिता श्री हरनाम सिंह की शिकायत के अनुसार पांचों पुलिस अधिकारी घर के बाहर ठहरे और अन्य व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों ने घर में प्रवेश किया। यह देख कर श्री हरनाम सिंह तथा उनके लड़के, जिनमें मृतक भी सम्मिलित है घर की छत की ओर भागे। शिकायत करने वाले के अनुसार 5 व्यक्तियों में से दो ने उनका पीछा करते हुए श्री अर्जुन सिंह पर चाकू से वार किये तत्पश्चात् उन्होंने श्री अर्जुन सिंह को टैक्सी में डाल दिया। घर के बाहर दो टैक्सियां प्रतीक्षा कर रहीं थीं। पुलिस अधिकारियों सहित सभी व्यक्ति दो टेक्सियों में बैठ कर वहां से चल पड़े।

उसी रात लगभग 11 बजे मोतीनगर पुलिस स्टेशन पर मृतक के घर में हो रहे झगड़े के बारे में एक गुमनाम टेलीफोन काल प्राप्त हुआ। मोती नगर पुलिस स्टेशन का एक उप-निरीक्षक तत्काल घटना स्थल पर पहुंचा और मृतक के पिता श्री हरनाम सिंह का बयान दर्ज किया। रात के 11.50 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 307/144 के (बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/114 में परिवर्तित) अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया।

उसके तत्काल बाद पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के उल्लिखित पांच पुलिस कर्मचारी, जिनके साथ मृतक का ससुर श्री अवतार सिंह और आक्रमण करने वाले दो अन्य कथित व्यक्ति भी थे, मृतक का शव ले कर पुलिस स्टेशन मोती नगर आये।

अगले दिन प्रातः इस मामले की जांच का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया। 5 पुलिस अधिकारियों सहित 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछ ताछ की गई और शेष अपराधियों की खोज जारी है। इन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

दोनों टैक्सियों को अपने अधिकार में ले लिया गया है। मैं सभा को यहआश्वासन देता हूं कि जांच को शीघ्र पूरा करने और अपराधी को दंड देने के लिए कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा जायेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : निसंदेह पुलिस के अपराध विभाग ने पहली बार इतनी तत्परता से कार्यवाई की है और पांच पुलिस कर्मचारियों को मुअतिल भी किया गया है और गिरफ्तार भी किया गया है । कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। मंत्री महोदय को चाहिये कि वे अपने मंत्रालय की ओर अधिक ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the chair*

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं गृह मंत्रालय में अपने काम के लिये अधिक से अधिक समय तक काम करता हूं । मैं सभी प्रकार के गंम्भीर मामलों की ओर स्वंय ध्यान देता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहें हैं। इस मामले में दुःखद बात यह है कि पुलिस कर्मचारी उन व्यक्तियों के साथ टैक्सी में बैठकर गये जो इस व्यक्ति की हत्या करना चाहते थे और वे घर के बाहर खड़े सब कुछ देखते रहे। यह बहुत ही दर्दनाक कहानी है, दो व्यक्ति उस व्यक्ति को निरन्तर छुरे मारते रहे और जब उसे घर से बाहर लाया गया तो वह लगभग मर चुका था और तब उसको टेक्सी में डालकर विलिंगडन अस्पताल में लाया गया और डाक्टरों ने कहा कि वह तो पहले ही मर चुका है ।इसका अर्थ यह है कि यह सब कुछ पुलिस की मिलिभगत से हुआ । मैं पूछना चाहता हूं कि यह मामला पुलिस की अपराध शाखा को ही क्यों सौंपा गया? क्या उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरों अथवा किसी केन्द्रीय एजेंसी को आगे जांच करने के लिये नहीं दिया जा सकता था? क्या यह सच नहीं है कि गुंडों—समाजविरोधी तत्वों—के गिरोह वास्तव में पुलिस कर्मचारियों से सांठगांठ किये हुए है और अपनी गतिविधियां राजधानी में चला रहे हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस विभाग में कुछ सुधार किये जाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है? क्या पुलिस के कर्मचारियों को बताया जाएगा कि उन्हें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये और क्या भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें दंड दिया जाएगा जो धन कमा रहे हैं और अनैतिक तथा समाजविरोधी तत्वों की सहायता कर रहे हैं? क्या सरकार एक आयोग स्थापित करेगी जो इस सभी मामले की जांच करे और इस समस्या का कोई उचित समाधान निकाले? क्या इस मामले को और 17 वर्षीय लड़की के एक अन्य मामले को, जो अभी तक लापता है, केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपा जाएगा? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन दोनों पहलुओं पर एक वक्तव्य दें और सभा को आश्वासन दें कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नही होंगी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : इस प्रकार के मामले में इस तरह के भावों की अभिव्यक्ति स्वभाविक है। अतः इस मामले में बड़ी तत्परता से कार्यवाही की गई है। मैंने पुलिस कर्मचारियों से कहा है कि वह एक सप्ताह में इस मामले की जांच पूरी कर लें। यह मामला पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 307/144 के अधीन रजिस्टर किया गया था और जब वह व्यक्ति मर गया तो फिर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/144 के अधीन रजिस्टर किया गया था। एक ओर कुछ पुलिस कर्मचारी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं और दूसरी ओर इसी राजधानी में कुछ पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी तत्परता से कार्यवाही की है ।

जहां तक इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपने का संबंध है, इसमे कोई विशेष पेचीदगी दिखाई नहीं देती, परन्तु यदि अपराध शाखा ने उनकी सहायता की आवश्यकता समझी तो वह अवश्य उपलब्ध की जाएगी।

खोसला आयोग के प्रतिवेदन के बाद पुलिस कर्मचारियों की संख्या की वृद्धि कर दी गई है। अब उनके पास जीपें और वायरलैस सेट भी अधिक है। अब वे घटनास्थल पर शीघ्रता से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही आसूचना संबंधी कार्य में सुधार करने और गश्त बढ़ाने के लिये भी कार्यवाही की गई है, फिर एक केन्द्रीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जहां से मोटर गाड़ियां और पुलिस कारें तत्काल घटनस्थल पर भेजी जा सकती है।

जून और जुलाई, 1973 में खराब चरित्र वाले तथा अन्य अवांछनीय 2,682 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। बम्बई पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत खराब चरित्र वाले 100 व्यक्तियों को दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा है। विचाराधीन मामलों की जांच पूरी करने के लिये भी प्रयत्न किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के मामलों के साथ निपटने के लिये भ्रष्टाचार निरोध शाखा है; सतर्कता विभाग भी है। पुलिस अधिकारी उनके आरोपों पर नज़र रखने के लिये है। ये सब उपाय किये गये हैं और यदि माननीय सदस्य कोई और सुझाव देना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि भ्रष्टाचार निरोध स्क्वेड में कोई भ्रष्ट कर्मचारी न हों ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमारा प्रयत्न यह रहता है कि हम भ्रष्टाचार निरोध स्क्वेड में ईमानदार व्यक्ति नियुक्त करें। इस स्क्वेड ने 27 छापे मारे है और उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अनेक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये हैं।

Shri Hari Singh (Khurja) **:** Delhi Police is very efficient in apprehending the culprits. There are certain localities which have dens of thievs, docoit and murderers. Despite this Delhi Police can have full control over such elements is rather strange. When Arjun Singh was being murdered, the police remained a silent spectator. The police officials have to deal with the criminals and now they are themselves becoming criminals. Will it not be proper that they should undergo a training course reminded of their duties after every three months ? This murder has been committed with the connivance of police. This is very serious. There should be some control over them otherwise the life of the citizens of Delhi will be insecure. I want to know whether any steps would be taken to reduce the number of crimes in Delhi?

Shri K.C. Pant : No doubt the number of crimes has increased, it is possible that criminals have infiltrated in Delhi. But as I have already stated, we have decided to extern about 100 bad characters. It has been asked as to why police could not save the vichim in this case. As the investigation is going on, I do not want to comment upon it. In so far as the question of training is concerned, a training centre was started in Mehrauli in 1968. There are six courses for police training in it. They are taught various methods to be adopted by the police in our democratic set up. The purpose of this training is to introduce various reforms in the attitude of police so that they may discharge their duties efficiently.

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) **:** A news item has been published in the "Times of India" dated 21st July, 1973 under the heading 'City transporters buy police protection for Rs. 2 lakhs a month'.

Another news item was published in the"Times of India" dated 22nd July, 1973 under the heading"Lecturer robbed in scooter ricksaw'. This Lecturer was a lady lecturer. Similarly many cases have been highlighted in the press these days. Taking in view all such incidents

I would like to ask whehter any steps have been taken to improve the law and order situation. It is tragic that a girl is kidnapped, she is not recovered and then murder is committed with the connivance of police. This matter must be looked into seriously. In the present case first information report was lodged on 22nd July and a case was registered under section 506 and the murder was committed on 31st July. Now the point is whether any attempt to apprehend the culprit was made during these 9days; if not the reasons were for that? This should be investigated. I think a departmental enquiry should be held whether any corrupt officials are involved in this matter.

Shri K. C. Pant : The hon'ble member has quoted various news items published in the newspapers. Apparently I cannot give answer to all these incidents. In some cases the culprits have been apprehended and the investigation is going on. If the assistance of public is available to the police, it will be of great use. If somebody informs that the culprit is staying at a particular place, the police goes and arrests him. We have, however, noted various suggestions made by the hon'ble member for action.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The sub-inspector who went there was such raw fellow that he did not know as to what was happening inside. These new sub-inspectors have not been given training properly. They should be trained properly so that they do not take much time in detecting the crimes. It seems that a great munber of criminals have come to Delhi from all over India. I would suggest that some police officials from different states should be posted in Delhi so that criminals, who have infiltrated in Delhi from various states can be identified.

Secondly, the number of police men should be increased. Their salaries should also be increased. They are very much frustrated. The status and standard of Police officials should be raised and they should be given more facilities like Scooters, Motor Cycles, etc.

Even if the Police Department takes any action, the Judiciary does not function properly. 20-30 thousand traffic cases are pending in the courts. Ten thousand crores of rupees earned through adulteration black marketing and corruption is obstructing the speedy action. There should be Police Commissioner in Delhi so that Police could take speedy action themselves.

There should be cumplete co-operation between Police and administration to check indiscipline every where. The Judiciary has been given excessive powers.

I would like to know whether the structure of Police in Delhi would be changed so that crimes could be checked.

Shri K. C. Pant : He has put forward two suggestions. He has said that the meeting of Police officers from various parts of the country be convened. We call them whenever it is necessary to do so. But it is difficult to call even the junior officers here. But we shall examine his suggestion.

But so far as the appointment of a Police Commissioner is concerned, we have examined the matter and have not taken any decision so far. It is very difficult especially in the case of Delhi. If the hon'ble member wants, he can discuss the matter personally with me.

So far as co-ordination between various departments is concerned, complete co-ordination is already there. The Home Minister himself convenes meetings at his residence, in which D.C. and various officers of the administration and the Police participate. The judiciary is not under our supervision, but we have written to increase their strength so that cases could be decided expeditiously.

श्री के० पी० देव (कालाहांडी) : रिपोर्ट धारा 506 के अधीन की गई थी। मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए मैं केवल इतना ही जानना चाहूँगा कि सम्बद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने स्वयं जाने की बजाय अन्य व्यक्ति को क्यों भेजा ?

"क्राइम इन इण्डिया–1970" नामक पुस्तिका के अनुसार, देश में और विशेषकर राजधानी में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1971 और वर्ष 1972 में क्रमश: 114 और 130 हत्याएं, 16,730 और 18,720 चोरियां और 2640 तथा 3606 सेंधमारी की घटनायें हुई।

यहां प्रति लाख जनता पर 740 अपराध होते हैं--यह संख्या देश में सर्वाधिक है। इन सबका एक पहले से तैयार उत्तर दे दिया जाता है कि दिल्ली की आबादी में वृद्धि हो रही है। अपराधों का पता लगाने की विधि को आधुनिक बनाने और अधिक जीपें खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस अनुसंधान ब्यूरो को सुदृढ़ बनाने का भी क्या कोई प्रयास किया जा रहा है? मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि क्या पुलिस बल में कुछ अपराधियों को भी भर्ती किया गया है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट किये गये मामलों में से कितने प्रतिशत मामलों में जांच पड़ताल की गई कितने प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दी गई और कितने प्रतिशत मामलों में सजा दी गई?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : दिल्ली की अपराध स्थिति के बारे में माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े दिये हैं जो मेरे द्वारा सभा-पटल पर रखे गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते। यह सही है कि दिल्ली में में अपराध काफी अधिक मात्रा में अर्थात् प्रति लाख की आबादी पर 740 अपराध होते हैं।

पुलिस के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण अधिक गश्त, सतर्कता और आसूचना के संग्रह आदि पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हम पुलिस के दृष्टिकोण को भी बदलने का प्रयास कर रहें है, क्योंकि यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने कुछ उपाय किये हैं और आशा है कि उनके आशा-जनक परिणाम निकलेंगे।

अगर कोई सुझाव माननीय सदस्य देना चाहते हों, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अनुसन्धान ब्यूरो को सुदृढ़ करने का अभी प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसकी अभी हाल ही में स्थापना की गई है और यह केवल दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे देश के लिए है।

अपराध सम्बन्धी आकड़े तैयार करने और पुलिस कर्मचारियों के वेतन बिल तैयार करने के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग करने की हमारी योजना है। इसी योजना के क्रियान्वयन से भारी मात्रा में रिकार्ड के आंकडे इकट्ठे किये जा सकते हैं।

श्री पी० के० देव : पुलिस में अनुशासनहीनता और पुलिस विभाग में अपराधियों की घुसपैठ के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत व्यक्तियों को चार्जशीट दी गई और कितने प्रतिशत मामलों में दण्ड दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के निश्चित प्रश्न के लिए मेरे विचार में पहले से नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर आप चाहें, तो मैं बादमें यह सूचना सप्लाई करने के लिए मंत्री महोदय से कह सकता हूं।

श्री पी० के० देव : धन्यवाद।

27 LSS/73—10.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना (पेंशन) दूसरा संशोधन विनियम, 1973

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): मैं श्री जगजीवन राम की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसैना (पेंशन) दूसरा संशोधन विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारतके राजपत्र, दिनांक 26 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 146 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 5275/73]

नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्री जे० बी० पटनायक: मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नौसेना (पेंशन) संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 111 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नौसेना औपचारिता सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (दूसरा संशोधन) विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 140 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद (1) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 5274/73]

कोयला बोर्ड के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखें और खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1973

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उप-धारा (2) के अर्न्तगत कोयला बोर्ड के वर्ष 1970–71 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्यालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 5276/73]

(2) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 के उप-धारा (1) के अर्न्तगत खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० 617 में प्रकाशि हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 5277/73]

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1971-72 की वार्षिक रिपोर्ट और उसके कार्यकरण की समीक्षा और कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1973

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री जी० वेंकटस्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल रखता हूं :--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:--

(एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5278/73]**

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 552 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 5279/73]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

अध्ययन दलों के प्रतिवेदन

सरदार बूटा सिंह (रोपड़) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दल–2 के मद्रास, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, खड़गपुर, मिदनापुर और कलकत्ता के जून-जुलाई, 1972 के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल–1 के कानपुर तथा मध्य प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के अक्टूबर, 1972 के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति अध्ययन दल-2 के बम्बई, नागपुर और भोपाल के फरवरी, 1973 के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

भारत बंगला देश संयुक्त घोषणा पर रावलपिण्डी में हुई वार्ता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: TALKS IN RAWALPINDI ON INDO-BANGLADESH JOINT DECLARATION

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): जैसा कि सदन को मालूम है 17 अप्रैल, 1973 को भारत और बंगला देश की सरकारों ने एक संयुक्त घोषणा की थी जिसमें दिसम्बर 1971 के संघर्ष से उत्पन्न मानवीय प्रश्नों के अविलम्ब तथा एक साथ समाधान का प्रस्ताव था। पाकिस्तान सरकार ने उक्त घोषणा पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे और इसके लिए उसने भारत सरकार से घोषणा के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजने का आमंत्रण दिया था। लेकिन उसी समय पाकिस्तान सरकार ने अपने 20 अप्रैल, 1973 के वक्तव्य में मानवीय प्रश्नों से संबंधित कुछ ऐसी बातें कहीं जो भारत और बंगला देश की सरकारों को स्वीकार्य न थीं। हमारे विदेश मंत्री तथा पाकिस्तान के रक्षा एंव विदेश मामलों के राज्य मंत्री श्री अजीज़ अहमद के बीच हुए पत्र-व्यवहार के बाद पाकिस्तान ने उन तीनों श्रेणी के लोगों के प्रत्यावर्तन के लिए मानवीय आधार पर बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की जिनका उल्लेख घोषणा में हुआ था जैसा भारत स्थित पाकिस्तानी युद्धबन्दी और असैनिक नज़रबन्द, पाकिस्तान में रोके हुए बंगला देश राष्ट्रिक तथा बंगला देश में पाकिस्तानी राष्ट्रिक। यह पत्र व्यवहार बंगला देश की सरकार की जानकारी में और उसकी सहमति से हुआ।

भारत की प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री पी० एन० हक्सर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंण्डल जिसमें विदेश सचिव श्री केवल सिंह, प्रधान मंत्री के सचिव श्री पी० एन० धर और विदेश मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे, ने रावलपिंडी और इसलामाबाद की यात्रा की और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के साथ 24 जुलाई से 31 जुलाई, 1973 तक बातचीत की। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व पाकिस्तान के रक्षा और विदेश राज्य मंत्री श्री अजीज़ अहमद ने किया और उसमें पाकिस्तान के विदेश सचिव श्री आगा शाही तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

इस वर्ता के दौरान, भारत बंगला देश संयुक्त घोषणा में उल्लिखित तीनों वर्गों के लिये लोगों के एक साथ प्रत्यावर्तन से संबंधित प्रश्नों पर पूरे विस्तार से विचार किया गया। इस उप महाद्वीप में स्थिति सामान्य बनाने के संदर्भ में दोनों पक्षों ने शिमला समझौते को लागू करने में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। पाकिस्तानी पक्ष ने यह स्वीकार किया कि भारत बंगला देश संयुक्त घोषणा, जिसमें मानवीय मामलों को राजनीतिक विचारों से अलग कर दिया गया है, वास्तव में एक अग्रगामी कदम है और इससे इन मामलों को जल्दी हल करने का पथ प्रशस्त है। इन मामलों को स्पष्ट करने में कुछ प्रगित हुई है और इस बात पर दोनों प्रतिनिधि मंडल सहमत हुए कि वे एक ऐसे बिन्दु पर पहुंच गए हैं जहां दोनों ही पक्षोंद्वारा और विचार किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः इस पर सहमति हुई कि इस बातचीत को अभी स्थगित करके बाद में 18 अगस्त, 1973 को नई दिल्ली में फिर शुरू किया जाए।

माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि वार्ता की नाजुक प्रकृति और बंगला देश सरकार से आगे विचार-विमर्श करने की आवश्यकता को देखते हुए, इस बातचीत के बारे में अधिक विवरण देना हमारे हित में नहीं होगा।

हाल में हुई वार्ता समाप्ति की पर जारी संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जा रही है।

संयुक्त वक्तव्य

पाकिस्तान सरकार के रक्षा और विदेश राज्य मंत्री श्री अजीज़ अहमद तथा भारत की प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री पी० एन० हक्सर ने दोनों पक्षो के वरिष्ठ अधिकारियों के शिष्ट मंडलो सहित, 24 से 31 जुलाई, 1973 तक रावलपिण्डी और इस्लामबाद में बातचीत की। भारत की प्रधान मंत्री के विशेष दूत ने 27 और 30 जुलाई, 1973 को पाकस्तिान के राष्ट्रपति महामान्य श्री जुल्फिकार अलि भुट्टो से भी भेंट की।

इस बातचीत के दौरान, आपसी समझ बूझ जिसकी विशेषता थी, दोनों पक्षों ने अगस्त 1972, में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक के बाद से शिमला समझौते को लागू करने में अब तक की प्रगति की समीक्षा की। इस उपमहाद्वीप में स्थिति के सामान्यीकरण के संदर्भ में उन्होंने 17 अप्रैल, 1973 को भारत-बंगला देश संयुक्त-घोषणा में प्रतिपादित मानवीय मामलों, अर्थात् भारत में स्थिति पाकिस्तानी युद्धबन्दियों और असैनिक नज़रबन्दों, पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों और बंगला देश से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन, पर विचार किया।

इस बातचीत के दौरान कतिपय ऐसे मुद्दे उठे जिन पर दोनों पक्षों द्वारा और विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस बात पर सहमति हुई कि 18 अगस्त, 1973 को नई दिल्ली में विचार विमर्श फिर शुरू किया जाएगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The honourable Minister has said that the negotiations are at a very delicate stage. Could the House not be taken into confidence. The correspondence between India and Pakistan should be laid on the Table of the House so that we could know as to why the negotiations have failed.

अध्यक्ष महोदय : अभी महोदय ने वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया है। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order and point of propriety. According to the constitution, the Foreign Minister is responsible to the House, and not the special Envoys, but for the last two years, I find that the foreign policy is being conducted by special Envoy and not by the Minister for External Affairs.

अध्यक्ष महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं और इसलिए विनिर्णय देने का कोई सवाल नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: DROUGHT CONDITIONS IN EASTERN U.P. AND BIHAR

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): श्रीमान् . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Let the Minister complete his statement and thereafter, we should be allowed to put questions.

Mr. Speaker : According to the rules, questions cannot be asked on such statements.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : देश में सूखे की स्थिति पर जब मैंने 24 जुलाई, 1973 को सदन में वक्तव्य दिया था तब सदन में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा हुई थी। जैसाकि माननीय सदस्यों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चल रही सूखे की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की थी, मैंने सूखे की स्थिति का स्थल पर अध्ययन करने लिए 29 और 30 जुलाई, 1973 को बिहार का दौरा किया था। मैं उत्तर प्रदेश का दौरा नहीं कर सका क्योंकि वाराणसी में 30 जुलाई को भारी वर्षा हो रही थी।

बिहार में मैं हवाई जहाज से पटना, मुंगेर, नावड़ा और गया जिला के सूखे से प्रभावित कुछ एक क्षेत्रों में गया और कार से गया से बाराचट्टी गया। मैंने राज्य के मुख्य मंत्री और राज्य की मंत्री परिषद के कुछ एक अन्य सदस्यों, विरोधी दल के नेता, राज्य विधान सभा के कुछ एक सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।

पिछले कुछ दिनों में वर्षा के आने से बिहार में सूखे की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। पहले जुलाई के अधिकांश भाग में सूखे की लहर रहने के कारण मक्का की खड़ी फसल और धान की पौध को कुछ क्षति पहुंची जिसके परिणामस्वरूप धान के आरोपण पर भी कुप्रभाव पड़ा था। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के परामर्श से खड़ी फसलों के लिए बचाव कार्य करने और पछेती धान और मक्का तथा अन्य वैकल्पिक फसलों की बुवाई विषयक कार्य करने से यह आशा की जाती है कि राज्य सरकार खरीफ की फसलों का यथासम्भव अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए हाल की वर्षा का पूरा-पूरा लाभ उठायेगी।

राज्य सरकार ने राहत कार्य खोल कर पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था कर प्रभावित जन संख्या को राहत सुलभ करने के लिए भी आवश्यक कार्यक्रम तैयार किए हैं और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें कार्यान्वित कर रही है।

केन्द्रीय सरकार अपने पास स्टाक की स्थिति और देश भर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्नों का आवंटन कर राज्य सरकार की सहायता कर रही है। राज्य सरकार से अधिप्राप्ति तेज करने और जमा स्टाक को निकलवाने और राज्य में खाद्यान्नों की आम उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपनी सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। सूखे की स्थिति का स्थल पर अध्ययन करने के लिये एक केन्द्रीय दल नियुक्त करने का विचार है। राहत कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा हुई है। यहां भी जुलाई के पहले पखवाड़े में सूखे की लहर रही थी और कुछ हद तक खड़ी फसलों को क्षति पहुंची थी। इस वर्षा से स्थिति में सुधार होने में पर्याप्त मदद मिली है।

राज्य सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने और हाल ही के वर्षा का अधिकतम लाभ उठा कर उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए है। राज्य सरकार को खाद्यान्नों का आवश्यक आवंटन भी किया जा रहा है। एक केन्द्रीय दल स्थिति का स्थल पर अध्ययन करने और अपेक्षित राहत कार्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए 2 से 4 अगस्त, 1973 तक राज्य का दौरा करेगा।

कुछ माननीय सदस्य जब सदन में 31 जुलाई, 1973 को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण नोटिस की स्वीकृति के लिए ज़ोर दे रहे थे तब उन्होंने इन राज्यों में भुखमरी से हुई मौतों के मामलों का उल्लेख किया था। माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित मामलों के बारे में राज्य सरकारों से रिपोर्ट मागीं गई है फिर भी मैं यह सूचित कर दूं कि हमारे नोटिस में आने वाले भुखमरी से हुई मौतों के सभी मामलों को राज्य सरकारों के पास उनकी आवश्यक जांच करने के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि यही सामान्य प्रथा है। उत्तर प्रदेश और बिहार से जिन मामलों के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी उन सभी मामलों में प्राप्त रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि भुखमरी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। मैं यह भी बता दूं कि न ही अन्य किसी राज्य ने भी भुखमरी से हुई मौत की कोई सूचना दी है।

अब मानीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि स्थिति पूर्णतया चिन्ताजनक नहीं है और वस्तुतः इन क्षेत्रों में पिछले दिनों में अच्छी वर्षा के आने से स्थिति में सुधार हुआ है। तथापि, हम बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि समय-समय पर जैसी भी स्थिति पैदा होगी उससे निपटने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए ढाई बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बजकर ततीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty three minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the chair.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यू० एन० आई० के दर्जनों कर्मचारियों का महाप्रबन्धक और अन्य अधिकारियों द्वारा बम्बई, दिल्ली और अन्य स्थानों पर परेशान किया जा रहा है। यह मामला श्रम मंत्री के नोटिस में लाया जा चुका है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The trade Union leaders of U N I are being victimised and they are being posted to far off places. The Press commission has already recommended that UNI and PTI should be taken over by the Government. The hon'ble Minister should make statement in this regard.

सीमा शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक—जारी

CUSTOMS.GOLD(CONTROL) AND CENTRAL EXCISES AND SALT (AMENDMENT) BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम श्री के० आर० गणेश द्वारा प्रस्तुत 1 अगस्त, 1973 को प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव पर

27 LSS/73—12.

"कि सीमा -शुल्क अधिनियम, 1962, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

चर्चा जारी रखेंगे।

मैं श्री मधुलिमये के भाषण जारी करने से पहले कुछ निहित मामलों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। श्री मधुलिमये अपने आप को आरोप के खंडन तक सिमित रखें और साथ ही वह समय सीमा को भी न भूलें। दूसरा मामला एक व्यवस्था के प्रश्न के बारे में है वह यह कि श्री मधुलिमये को छोटी सादरी सोने के बारे में उल्लेख करने की अनुमति दी जाये या नहीं। श्री मधुलिमये के बाद इस विषय पर और चर्चा नहीं की जानी चाहिये क्योंकि पहले इस पर काफी चर्चा की जा चुकी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में जानकारी दे ताकि इस पर निर्णय लिया जा सके।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) **:** उपाध्यक्ष महोदय ने अभी कहा कि श्री मधुलिमये मेरे द्वारा लगाए गए आरोप का खडंन करेंगे। मननीय सदस्य ने कल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह उन लोगों पर आक्षेप करेंगे जिनका चरित्र नहीं हैं और जिनका चरित्र है वह उन पर आक्षेप नहीं करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय यदि आप अनुमति दें तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार जब श्री मधुलिमये ने श्री नायक द्वारा की गई टिप्पणी के सम्बन्ध में स्पष्टी-करण मांगा था तो आपने कहा था चूंकि आधे घंटे की चर्चा भी उन्हीं के नाम पर है अतः उनके द्वारा की जाने वाली चर्चा को कुछ मिनट और आगे बढाया जा सकता है। परन्तु पूरे 5.30 बजे दो सदस्य उठ खड़े हुए जबकि आधे घंटे की चर्चा 5.30 बजे शुरु होती है और उस वक्त आप ने अपनी बात को गौर न करते हुए सदन की राय ली और सदन की राय इसके वितपरीत निकली जबकि आपने श्री मधुलिमये को आश्वासन दिया था कि वह 5.30 बजे के बाद भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को स्पष्ट कर दें ताकि भविष्य में हम उसी प्रक्रिया को अपनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि मैंने कहा था कि श्री मधुलिमये अपना भाषण 5.30 बजे के बाद भी जारी रख सकते हैं किन्तु सदन की राय इसके विपरीत था और ऐसी अवस्था में मुझे प्रक्रिया नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ी। अध्यक्ष पीठ को सदस्यों के सहयोग से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Banka) **:** Mr. Deputy Speaker, Sir you know it well that I am a very polite person. Had you told me yesterday that I could continue after 5.30 I would have immediately obeyed your order.

According to rule 25 there was no need to take the sense of the House. I don't want to enter into argument. So I will leave the matter here.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियमों के विरुद्ध कोई बात नहीं की। श्री मधुलिमये आप इस सदन की बहुत सेवा कर सकते हैं यदि आप इन छोटी-मोटी तकनीकी बातों में न पड़ें।

Shri Madhu Limaye : I have never levelled any charge without proof with the result that who so ever tried to encounter me had to eat an humble pie. About Choti Sadri Gold-Scandle........

श्री बी० बी० नायक : हम फिर पलट कर वहीं पहुंच गए है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मधु लिमये को आरोप खंडन का अधिकार दिया है। बिना इस बात का उल्लेख किए वह आरोप का खंडन कैसे कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): इसमें छोटी सादरी का प्रश्न निश्चय ही आएगा वह सोना श्री लालबहादुर शास्त्री को देना चाहते थे पर एकत्र उन्होंने श्री पीलू मोदी के लिए किया।

उपाध्यक्ष महोदय : छोटी सादरी का मामला अब बड़ी सादरी का मामला बन गया है।म धु लिमये ने जो कहा है वह रिकार्ड पर है उसे कोई माननीय सदस्य दोहरा दें।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Shri Madhu Limaye has said that the question of character assassination arises only in the case of those persons who have character.

Shri Madhu Limye: 153 Kilogram contraband gold was recovered from a person under the Defence of India Rules. It was decided to weigh the Prime Minister in that gold. I am raising this question because a person has to declare the quantity of gold held by him but the person concerned was not in possession of contraband gold but he has also violated the defence of India rules. We have submitted a memorandum to the President about it. Thereafter it was stated by the Home Minister that it was necessary that matter should be investigated by C.B.I. and every time when the question was raised as to whether or not the investigation has been completed. It was stated by P.M. that the investigation was still pending. Unfortunately the investigation has not been completed against those persons who are involved. There is no question of character assassination. I have got all the regards for men of good conduct.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जैसाकि मैंने कल भी कहा चूंकि माननीय सदस्य ने ये प्रश्न विधेयक के तीसरे वाचन के दौरान उठाए हैं मेरे पास तथ्यों का पता लगाने के लिए आवश्यक समय-नहीं था

छोटी सादरी सोना काण्ड के बारें में इस सदन में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। इस मामले में सबसे आखिरी प्रश्न 17-11-1971 को पूछा गया था और जिसके उत्तर में कहा गया था श्री गनपत लाल के द्वारा सोने के गबन का मामला सिविल और सेशन जज उदयपुर के पास वर्ष 1966 से विचाराधीन पड़ा है, और इस बारे में 30 पेशियां हो चुकी हैं। श्री सुखाड़िया, जिनका नाम भी इस कांड के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है, ने तत्कालीन गृह मंत्री को इस मामले को केन्द्रीय जांच व्यूरों की ओर से जांच कराने के लिए अनुरोध किया था। सोने के गबन के बारे में श्री गनपत लाल के विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में मार्च 1968 में प्रारम्भिक जांच करवाने का निर्णय किया गया था। कहा गया था कि इस काल के दौरान गवाहों के बयान तभी लिए जाऐ जबकि कचहरी में उनके बयान हो जाएं ताकि कोई कानूनी अड़चनपैदा न हो। इस मामले में अभी तक केन्द्रीय जांच व्यूरो द्वारा उनके बयान नहीं लिए जा सके क्योंकि कचहरी में अभी उनके बयान नहीं हुए है। जांच की प्रगति कचहरी में चल रहे मुकदमें पर निर्भर करती है। यह कहा नहीं जा सकता कि कब तक सब गवाहों के बयान लिए जाएंगें अतः केन्द्रीय जांच व्यूरों द्वारा की जाने वाली जांच कब तक पूरी हो जाएगी इसके बारे में निर्धारित तिथि बताना हमारे लिए संभव नहीं।

श्री बसंत साठे: अब यह सिद्ध हो गया है कि श्री मधु लिमये द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतया आधारहीन थे।

उपाध्यक्ष महोदय: चूंकि मामला न्यायालय में निर्णयाधीन पड़ा है सदस्य इसके पक्ष में कुछ नहीं कहें इस से न्यायालय की कार्यवाही में बाधा पड़ सकती है। नियम 352 (2) में स्पष्ट कहा गया है कि बोलते समय कोई सदस्य "उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक

कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर ग्राधारित न हो', ग्रागे इस नियम की व्याख्या भी की गई है ।

शब्द "उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों" का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके ग्राचरण की चर्चा संविधान के ग्रन्तर्गत केवल उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है, या ऐसे ग्रन्य व्यक्तियों से है जिनके ग्राचरण की चर्चा, ग्रध्यक्ष की राय में, उसके द्वारा ग्रनुमोदित किए जाने वाले रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए ।

ग्रतः इस नियम ग्रनुसार श्री मोहन लाल सुखाडिया, जोकि मैसूर के राज्यपाल हैं, का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि वह उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति हैं । संविधान में भी इस प्रकार का उपबन्ध है संविधान के ग्रनुच्छेद 61 में कहा गया है

संविधान के ग्रतिक्रमण के लिए जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन दोषारोप करेगा ।

ऐसा कोई दोषारोप तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि :

(क) ऐसे दोषारोप करने की प्रस्थापना किसी संकल्प में न हो जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना केदिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके, उस संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रगट किया है, तथा

(ख) उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित न किया गया हो ।

यह तो राष्ट्रपति के बारे में है ग्रनुच्छेद 94 में ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है लोक सभा के ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य

(क) यदि लोक सभा का सदस्य नहीं रहता तो ग्रपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी समय भी ग्रपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को संबोधित होगा यदि वह सदस्य ग्रध्यक्ष है, तथा ग्रध्यक्ष को संबोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, ग्रपना पद त्याग सकेगा; तथा

(ग) लोक सभा के तत्कालिन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकलप द्वारा ग्रपने पद से हटाया जाएगा परन्तु खण्ड (ग) के प्रयोजन हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के ग्रभिप्राय को कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो ।

दूसरा वर्ग उच्चतम न्यायालय ग्रौर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का है । इस बारे में संविधान में कहा गया है कि :

"उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश ग्रपने पद से तब तक हटाया न जाएगा जब तक कि सिद्ध कदाचार ग्रथवा ग्रसमर्थता के लिए ऐसे हटाए जाने के हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित ग्रौर मतदान करने वाले सदस्यों में से कम

से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो।

संविधान में राज्यपाल के संबन्ध में कुछ नहीं कहा गया। किन्तु मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता और मैं नहीं चाहता इस संबन्ध में और वाद विवाद हो।

मैं चाहता हूं माननीय सदस्य इस पर विचार करें। यह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं कि उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर तब तक आक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो। उदाहरण के लिए मुझे ही ले लीजिए यदि मैं मेघालय जाकर कानून का उल्लंघन करता हूं तो क्या मुझे इस आधार पर कुछ नहीं कहा जाएगा कि मैं उच्च प्राधिकार वाला व्यक्ति हूं क्या यह उचित है। नियम में जो कुछ कहा गया है कि जब तक उच्च प्राधिकार वाला व्यक्ति पीठासीन है तब उसके व्यवहार पर आक्षेप नहीं कर सकते।

हम जो कुछ भी आज निर्णय करेंगे वह ऐतिहासिक होगा जब तक कि संसद अपना निर्णय नहीं बदलती इस निर्णय का संबन्ध हमारे राज्यपालों तथा उच्च प्राधिकार वाले सभी व्यक्तियों के साथ होगा। अतः प्रश्न यह है कि क्या उच्च प्राधिकार वाले के दोष इस आवरण में छुप जाएगें कि वह उच्च पद पर आसीन है।

श्री सी० एम० स्टीफन: इस पर सोचने के लिए हमें कुछ समय दीजिए।

श्री जी० विश्वनाथन: उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य आपके द्वारा दिए जाने वाले निर्णय में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री सी. सी० एम स्टीफन: मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पर माननीय सदस्यों को क्या आपत्ति हैं। आपने हमारे विचार मांगे हैं आप एक महत्वपूर्ण निर्णय देने जा रहे हैं। हमें अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि देश में इसके लिए क्या स्तर होना चाहिए।

श्री (वंसत साठ अकोला) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, आप जो भी आज निर्णय देंगे कल वह प्रथा बन जाएगी, आप नए शब्दों का प्रयोग कर रहे है जिनकी व्याख्या कई ढंग से हो सकती है अतः ऐसी गलती मत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इससे उच्च पदों पर आसीन लोगों के आचरण हेतु सिद्धान्त निश्चित होगें अतः यदि माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो मैं सुनने के लिये तैयार हूं ताकि माननीय सदस्य यह न कहें कि विनिर्णय उनके विचार सुने बिना ही दे दिया गया।

श्री जी० विश्वनाथन (वाडीवाश): आपने निश्चय नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय: यद्यपि विनिनर्णय देते समय अधिक नहीं सुनना चाहिये, परन्तु यह एक महत्वपूर्ण मामला है अतः मैं अपना विनिर्णय रोक दूंगा और कुछ और माननीय सदस्यों के विचार सुनूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के रघुरामैया): मैं इस बात पर विचार करने का अनुरोध करूंगा कि क्या हमें इस मामले को निबटाने के लिए राज्यपाल, राष्ट्रपति, अध्यक्ष आदि के प्रश्न पर विचार

करना चाहिए? क्या आपके लिये यहां फैसला करना काफी नहीं है कि श्री सुखाडियां का जिक्र किया जा सकता है या नहीं? राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के प्रश्न पर विचार करना जरूरी नहीं है। कृपया इसी प्रश्न पर अपना विनिर्णय दें कि क्या श्री सुखाड़िया का जिक्र किया जा सकता है अथवा नहीं।

श्री वसंत साठे (अकोला): किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के आचरण पर आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए यह आचरण किसी भी समय से सम्बन्धित हो सकता है। अतः लोगों को सहज ही आक्षेप नहीं करना चाहिए। यह जरूरी है। मेरा यह भी अनुरोध है कि कोई नये शब्द न जोड़े जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्याख्या का प्रश्न है।

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापुर) : संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महा अभियोग चलाया जा सकता है लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे: राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों, विधान सभाओं के अध्यक्षों तथा ऐसे सभी लोगों पर जो उच्च पदों पर हैं, और जिनका सभी सम्मान करते हैं, उन पर सहज ही आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस बात को जानता हूं कि इस विनिर्णय का न केवल देश पर बल्कि हमारी समूची संवैधानिक प्रणाली पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं माननीय सदस्यों के विचार सुनने के लिये तैयार हूं (**व्यवधान**) मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा।

श्री डी०एन० तिवारी (गोपाल गंज): यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस पर वाद-विवाद के लिए तिथि निश्चित की जानी चाहिये ताकि विरोधी दल के सदस्य भी इसमें भाग ले सकें।

Shri Madhu Limaye (Banka) **:** I am your super-leader.

Shri D. N.Tiwary : I would request Shri Madhu Limaye not to pass insinuating remarks and let the Bill be passed.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी): मैं आपसे इस बात पर विचार करने का अनुरोध करूंगा कि क्या इसके लिये विनिर्णय दिया जाना जरूरी है और आपके विचार में यदि जरूरी नहीं तो आप विनिर्णय न दें।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे विनिर्णय के लिये नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं।

श्री दिनेश चन्द्र चन्द्र गोस्वामी: बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल उच्चाधिकार प्राप्त एक व्यक्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि उच्चाधिकार प्राप्त करने से पूर्व के निजि जीवन के कृत्यों और उच्चाधिकार प्राप्त करने पर उसके कृत्यों के बीच क्या अन्तर है। मैं केवल यही अन्तर स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी: राज्यपाल के अपने पद पर आसीन रहते समय उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं चल सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात का उत्तर फिर दूंगा। मुझे इस प्रश्न का स्पष्टीकरण मंत्री महोदय से लेने दें। अभी-अभी उन्होंने अपने विवरण द्वारा गणपत लाल के विरुद्ध चल रहे मुकदमों का जिक्र किया था। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री मोहनलाल सुखाड़िया का नाम भी उस मामले में अन्तर्ग्रस्त है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन इस सारे मामले से श्री सुखाड़िया के मामले से सम्बद्ध रहने के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है।

श्री के० आर० गणेश : सादड़ी सोना कांड का सारा मामला पहले भी सदन के सामने आया था। माननीय सदस्य ने उस मामले के कुछ ही मांगों का जिक्र किया है और सदन के सामने प्रासंगिक सूचना रखने का प्रयत्न नहीं किया है। प्रासंगिक सूचना यह थी ······ (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्री मधु लिमये ने उस भाग के बारे में अपनी बात पूरी तरह से कह दी है।

श्री मधु लिमये : किस भाग के बारे में ?

उपाध्यक्ष महोदय : उस आरोप का खंडन करने के बारे में मैंने अपना विनिर्णय नहीं दिया है।

श्री मधु लिमये : तो आप बदल गये हैं ? (**व्यवधान**)

श्री सी एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : इनका इससे क्या तात्पर्य है कि "आप बदल गये हैं"? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह विनिर्णय चूंकि महत्वपूर्ण होगा, अतः मैं सभी सदस्यों के विचार सुनूंगा। मैं श्री मधु लिमये को भी सुनूंगा।

श्री के० आर० गणेश : सदन के सामने सारे तथ्य आ जाने दीजिये। तथ्यों को न छिपाये ईमानदार बनें। (**व्यवधान**)

केन्द्रीय जांच ब्यूरों के पास गणपत लाल से दो बार बरामद 56.863 किलो (प्रत्येक बार) सोने, इसके दुर्विनियोग तथा राष्ट्र सुरक्षा कोष में इसके जमा करने सम्बन्धी मामले जांच के लिये हैं।

22 नवम्बर, 1967 को लोकसभा की चर्चा में तत्कालीन गृहमंत्री ने कहा था कि इसके लिये किसी जांच आयोग की आवश्यकता नहीं और श्री सुखाडिया के विरुद्ध कोई भी बात सिद्ध नहीं हुई।

इस सम्बन्ध में मैं 17 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 549 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्री मुख्तियार सिंह के प्रश्न के उत्तर को ध्यान से पढ़ने पर प्रत्येक को तसल्ली हो जायगी ······ (**व्यवधान**)

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 1971 में सूचना मिली कि मामले न्यायालय में दायर कर दिये गये हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच हो रही है।

श्री सुखाडिया ने 30-6-67 को तत्कालीन गृहमंत्री को लिखा था कि सोना कांड के बारे में संसद् तथा राजस्थान विधान सभा में प्रश्न हुये हैं जिनमें उनके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। उन्होंने

यह भी लिखा कि इस मामले के सारे तथ्य गृहमंत्री को भेज दिये गये हैं और इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करवायी जाये । पत्र के अन्त में उन्होंने लिखा कि इस प्रकार की चरित्र हत्या द्वारा किसी की भावना को कितनी चोट पहुंच सकती है । इस संबन्ध में तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं । पहला यह है कि दुर्विनियोग के अपराध में और अघोषित सोना रखने के अपराध में गणपत लाल के विरुद्ध उदयपुर के सिविल जज और असिस्टेंट सेसन जज के न्यायालय में आपराधिक मुकदमें विचाराधीन हैं । दूसरा पहलू यह है कि स्वयं श्री सुखाड़िया ने इस मामले में सी०बी० आई० द्वारा जांच की मांग की है । तीसरा पहलू यह है कि सी० बी० आई० द्वारा जांच की जा रही है । ये सब तथ्य माननीय सदस्य के सामने है । फिर सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक के तीसरे वाचन के समय माननीय सदस्य द्वारा यह आरोप लगाया जाना कहां तक उचित है कि सरकार इस मामले में रुचि नहीं ले रही है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैं चाहता हूं कि सदस्यगण इस मामले पर शान्तिपूर्वक विचार करें । मुख्य प्रश्न यह था कि क्या श्री मोहनलाल सुखाड़िया पर जो आजकल मैसूर के राज्यपाल हैं लगाये गये आरोपों का उल्लेख किया जा सकता है । चूंकि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । इसलिए अब इस पर विनिर्णय की आवश्यकता नहीं रह गई है । अब हम आगे बढ़ सकते है । **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यदि आप इस पर कोई विनिर्णय नहीं देना चाहते तो यह भी हमें स्वीकार्य है । **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): माननीय सदस्य ने संविधान का अनुच्छेद उद्धृत करते हुए यह कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। इस मामले में यह बात लागू नहीं होती क्योंकि श्री सुखाडिया उस समय मुख्यमंत्री थे दूसरी बात यह है कि जिसके विरुद्ध सी० बी० आई. द्वारा जांच चल रही हो, उसे पदोन्नति नहीं किया जाता। फिर श्री सुखाड़िया को पदोन्नति क्यों दी गई ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा): अब तक की चर्चा से ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस मामले को यही छोड़ना चाहते है और इस संबन्ध में कोई विनिर्णय देकर स्वस्थ परम्परा नहीं डालना चाहते।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): मुख्य प्रश्न यह है कि क्या श्री सुखाड़िया, जो अब एक उच्च पद पर आसीन हैं, के अतीत पर टिप्पणी की जा सकती हैं, क्या मुख्य मंत्री के पद एक उच्च पद माना जाये। मेरे विचार से उस समय श्री सुखाड़िया एक उच्च पद पर नहीं थे तथा उच्च पद पर पदोन्नति से किसी व्यक्ति को उस पर लगे आरोपों से मुक्त नहीं किया जा सकता । अतः यदि किसी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया जाता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : चूंकि इस मामले में दिया गया विनिर्णय एक महत्वपूर्ण विनिर्णय होगा इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उच्च पद पर आसीन किसी अधिकारी के उस समय के व्यवहार के बारे में टिप्पणी की जा सकती है जबकि वह उस पद का कार्य नहीं कर रहा होता है । उदाहरणार्थ, यदि उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीष तस्करी करता है तो क्या उसके इस कार्य की आलोचना सभा में नहीं की जा सकती। यदि आप यह निर्णय देते हैं कि ऐसे कार्य की आलोचना की जा सकती है तो ऐसा करने का हमारा हक बन जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ सदस्यों ने इसे महत्वपूर्ण बताया और यह इच्छा प्रकट की है कि उनके इस सम्बन्ध में विचार सुने जायें। मैं उनकी इच्छा का आदर करते हुए उनके विचार सुन रहा हूं। किन्तु हर मामले की कोई न कोई सीमा होनी चाहिए। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अब वे इसे समाप्त करें। वैसे जैसे सभा चाहेगी, मैं वैसा ही करूंगा। यदि सभा चाहती है कि यह चर्चा अभी और चले, तो ऐसा ही होगा। किन्तु मेरे विचार से इस प्रश्न पर पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है और इसे समाप्त करने से पूर्व श्री मधु लिमये की बात सुन ली जाये, क्योंकि उनकी टिप्पणी से यह चर्चा शुरू हुई थी।

श्री बी० वी० नायक: मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं कई बार उठ चुका हूं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी: मेंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दे रखा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अन्य सदस्यों को भी अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभा से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस चर्चा के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर दी जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री ए० के० एम० इसहाक: प्रत्येक सदस्य को केवल पांच मिनट का समय दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके लिए हम एक घंटा और लेंगे। अब 4 बजकर 25 मिनट हुए हैं और 5 बजकर 25 मिनट पर हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस चर्चा का समाधान श्री मधु लिमये करें। **(व्यवधान)** आप सब बैठ जायें। समय नष्ट न करें। अन्तिम दो वक्ता सर्वश्री नायक और मधु लिमये होंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अमदाबाद): मुझे प्रसन्नता है कि कई महीनों के बाद आज सभा में एक ऐसे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, जो संवैधानिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

आपने विनिर्णय देने से पूर्व इस सभा में हम में से बहुत से सदस्यों से अपने विचार व्यक्त करने को कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंनें नहीं कहा। आपने चाहा था।

श्री पी० जी० मावलंकर : नियम 352 के अनुसार उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों पर उचित रूप दिये गए मूल प्रस्ताव के आधार पर ही चर्चा की जा सकती है।

संविधान के अनुसार उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा न्यायाधीश हैं। यदि वे राज्यपालों को भी इसमें शामिल करना चाहते तो संविधान के निर्माता राज्यपालों को भी इस श्रेणी में शामिल कर सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही मेरी पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि जहां तक भूतपूर्व अध्यक्षों तथा वर्तमान अध्यक्ष का संबन्ध है उन्होंने कोई ऐसा विनिर्णय नहीं दिया अथवा यह दर्शाने वाला कोई पूर्वोदाहरण नहीं है कि सार्वजनिक महत्व के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति है। अतः "उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति" शब्द की परिभाषा और क्षेत्र के मामले में हमें बहुत सावधान रहना होगा।

कठिनाई यह है कि इस समय राज्यों में जो अनेक राज्यपाल नियुक्त किये जाते है वे थोड़े बहुत दलगत राजनीति में भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं । जो व्यक्ति राजनीतिक दलों के विशेषकर कांग्रेस दल के वर्षों तक सदस्य रहे हैं उन्हें विभिन्न राज्यों का राज्यपाल बनाया गया है । तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस देश की राजधानी में तीन-दिन से अधिक सयम तक गुजरात के कांग्रेस पार्टी के कार्य में लगातार भाग लिया। अतः यदि इस विशेष मामले का सभा में उल्लेख दिया जाता है तो क्या वह राज्यपालों के संवैधानिक कर्त्तव्यों के मार्ग में बाधा डालेगा ?

जहां तक मैं समझता हूं उच्च प्राधिकार वाले ये व्यक्ति, जब राज्य का महत्वपूर्ण काम कर रहे हों तो उन्हें हस्तक्षप नहीं करना चाहिये और इसीलिये उपबन्ध रखा गया है । परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें इतनी छूट दे दी जाये कि वे जो चाहे करें ।

अतः मेरा सुझाव है कि लोक महत्व के विषयों को प्रभावित करने वाले मामलों की स्पष्ट और निष्पक्ष आलोचना के लिये राज्यपालों को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिये ताकि उन्हें आलोचना से मुक्त रखा जा सके ।

यदि कोई विशेष राज्यपाल कोई ऐसा काम करता है जो उसके संवैधानिक कर्त्तव्यों का अंग हो तो उनकी यहां चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि वह संवैधानिक कर्त्तव्यों के करने में बाधा डालेगा। परन्तु बहुत से ऐसे अवसर हो सकते हैं जब कोई राज्यपाल ऐसा काम करें जिसका राज्यपाल के उच्च पद से कोई सरोकार नहीं हो। तब इस सभा को उस पर चर्चा करने से कैसे वंचित रखा जा सकता है ? यदि उससे वंचित रखा गया तो मुझे आशंका है कि हम संवैधानिक उपबन्ध से परे हट चुके होंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन: जिस क्षण माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि उस उपबन्ध के उस विवेकपूर्ण भाग को अमुक व्यक्ति पर लागू किया जाना चाहिये, उसी क्षण आपको अपना विवेक प्रयोग में लाकर विनिर्णय देना पड़ेगा कि इस विशेष मामले के लिये राज्यपाल पर वह उपबन्ध लागू किया जायेगा ।

आपको इस बात पर विचार करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा कि क्या वह व्यक्ति इस विवाद से परे है या नहीं। यदि वह व्यक्ति विवाद से परे है तो उसे संरक्षण दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति अपने संवैधानिक प्राधिकार के अन्तर्गत कतिपय कार्य करता है परन्तु वह आलोचना के लिये बीच में नहीं लाये जाते । यही सिद्धान्त राज्यपाल पर लागू होना चाहिये। प्रशासनिक कार्यों के रूप में उसके कार्यों की आलोचना की जानी चाहिये और किसी कार्य के लिये नहीं। उस पर आक्षेप नहीं लगाये जा सकते हैं ।

दूसरे, "उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति के आचरण पर आक्षेप करना" शब्द दिये गए हैं । बल किस पर दिया गया है उच्च प्राधिकार वाले आचरण पर या व्यक्ति पर? इसकी भावना तो यही है कि व्यक्ति को विवाद से परे रखा जाना चाहिए और उस पर सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 361 के अन्तर्गत राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। मेरा निवेदन यह है कि आचरण को संरक्षण नहीं दिया गया है अपितु व्यक्ति को उसके कार्यकाल के दौरान संरक्षण दिया गया है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीष और राष्ट्रपति आदि को संरक्षण दिया जाना चाहिये और चूंकि वे अपना बचाव न कर सकने की स्थिति में है इसीलिये सभा में उन पर एक तरफा आक्षेप नहीं

लगाया जाना चाहिये। अतः इस संबन्ध में व्याख्या करते समय 'आचरण' पर बल नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि 'व्यक्ति' पर बल दिया जाना चाहिये ।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): A reference to a particular Governor in a particular case has been made in this House. I do not want to go into the details of that case but the question is that inquiry has not yet been completed in that case and unless the inquiry is completed and a clean chit is given to the person against whom the inquiry is going on, he must not be appointed to such a high office of public importance.

Unless the inquiry is completed and full information received, the reference to that case is borned to be made in the House. Before appointing any person to high office, is necessary to see whether there is any allegation against him.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच): हमें पहले इस बात को देखना है कि जो उल्लेख यहां किया जा रहा है उस पर यह सीमा क्यों लगाई गई है ।

श्री कृष्ण चन्द्रहालधर (औसग्राम): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। घंटी बजायी जाये . . . . . अब गणपूर्ति हो गई है । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री बी० आर० शुक्ल: संसद् को किसी भी मामले पर चर्चा करने का मुक्त अधिकार है परन्तु इसके लिये भी थोड़ी मर्यादा है । उदाहरण के लिये, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राष्ट्रपति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आचरण पर चर्चा करने पर मर्यादा है । दूसरे भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आचरण पर, किसी विशिष्ट तरीके को छोड़कर, चर्चा नहीं की जा सकती ।

इस सभा में राज्यपाल के आचरण पर भी चर्चा की जा सकती है परन्तु जब मूल प्रस्ताव दिया गया हो तभी ऐसा किया जा सकता है । श्री सुखाडिया को, जो इस समय राज्यपाल हैं, संरक्षण मिल सकता था और श्री मधु लिमये को उस मामले का उल्लेख करने से रोका जा सकता था परन्तु इस सभा की गत कार्यवाहियों में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है अतः इस विशेष मामले का, इसके गत इतिहास के कारण, यहां उल्लेख किया जा सकता है और इसके एक तरफा या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किये जाने पर कोई संवैधानिक अथवा सांविधिक प्रतिबंध नहीं है ।

श्री जी० विश्वनाथन: इस विषय में मेरा यही तर्क है कि जब श्री मोहनलाल सुखाडिया किसी विशेष राज्य के मुख्य मंत्री थे तो 1966, 1967 और 1970 में उनके बारे में चर्चा हुई थी और मंत्री महोदय ने पुष्टि की है कि आपराधिक मामला चल रहा है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच भी की जा रही है । इसका अर्थ यही हुआ कि जब उन्हें राज्यपाल बनाया गया तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच को समाप्त नहीं किया गया। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति के विरुद्ध जांच कर सकता है तो संसद् में इसका उल्लेख करने में क्या बुराई है । जब सरकार ने अपनी कार्यकारिणी, अपनी पुलिस से राज्यपाल के विरुद्ध जांच करने को कहा है तो मैं अनुरोध करता हूं कि श्री मधु लिमये को भी उस विशेष मामले का उल्लेख करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

Shri B. P. Maurya (Hapur): I confine myself to this only as to whether the conduct of a Governor can be discussed for such action as was done by him during his term of office or we can discuss such an action as was done by him before he entered upon his office. It is clear from sub-sections (2) and (3) of Article 361 that no criminal proceedings shall be instituted against the Governor, in any court, for the action he has done during his term of office or before he entered upon his office. No difference has been made in this Article between these two.

It says :— "(2) No criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the President, or the Governor of State, in any court during his term of office." No difference has been made here between the action done by a Governor during his term of office or before he entered upon his office. Both the periods are included in it.

If we discuss the persons in high authority in an ordinary way, an unhealthy precedent will be established.

Therfore, I request you to establish a precedent, while giving your ruling, whereby no hon. member of this House could be *criticised* without specific basis. Constitution clearly provides that no action can be taken against a Governor for any act done by him during or before his term of office.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व): मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने इस सभा को संवैधानिक महत्व के मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है परन्तु श्री मधु लिमये द्वारा, एक राज्यपाल के किसी विशेष समय में किसी मामले में अन्तर्ग्रस्त होने के प्रश्न को इस सभा में उठाये जाने पर बहुत-सी बातें कही गईं। उनसे मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे याद है कि गत संसद् में जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा 1967 में मंत्रि-परिषद् को समाप्त करने का प्रश्न उठाया गया था तब हमने राज्यपाल की भूमिका को इस सभा में उठाया था क्योंकि हम चाहते थे कि राष्ट्रपति स्वयं राज्यपाल को हटायें ।

जहां तक वर्तमान मामल का संबन्ध है, मैंने पहले श्री मधु लिमये की बात नहीं सुनी परन्तु जहां तक मैं समझता हूं उन्हें इस समय के राज्यपाल के आचरण का उल्लेख करने का पूरा अधिकार है क्योंकि राज्यपाल द्वारा अपने पद संभाले जाने से पहले के समय में उन पर किसी बात का आरोप लगाया गया था और केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा उसकी जांच की जा रही है । संसद् ऐसी स्थिति कभी स्वीकार नहीं कर सकती जहां वह ऐसे उच्च प्राधिकार वाले ऐसे व्यक्ति के आचरण पर चर्चा न कर सके। जिसका आचरण ऐसा हो कि उसकी जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों जैसे संगठन की सेवाएं ली जा सकें।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा): प्रश्न यह है कि क्या एक राज्यपाल को, उच्च प्राधिकार वाला व्यक्ति होने के नाते आपराधिक कार्यवाही से मुक्त किया जा सकता है......

उपाध्यक्ष महोदय: आप उस समय उपस्थित नहीं थे । आप बैठ जाइये। प्रश्न यह है कि क्या इस वाद-विवाद में, श्री मोहनलाल सुखाडिया के राज्यपाल बनने से पूर्व उनका किसी मामले में कथित हाथ होने के बारे में कोई उल्लेख किया जा सकता है जबकि इस समय वह राज्यपाल हैं ।

श्री कार्तिक उरांव : मैं वही कहने जा रहा हूं। नियम 352 के अनुसार कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध दोषारोपण नहीं कर सकेगा।

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इसीलिये मेरा कहना है कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता, किसी राज्यपाल के आचरण का उल्लेख नहीं किया जा सकता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): जब उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति वास्तव में कोई गलत काम करते हैं तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। हम समाजवाद की बातें करते हैं, समाजवादी देश में यदि उच्च प्राधिकार वाला कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो जनता की भावना के प्रतिकूल हो तो उस पर न केवल संसद् में ही चर्चा होती है अपितु जन साधारण में भी होती है । हमारे देश में ऐसा नहीं होता ।

श्री मधु लिमये ने शत प्रतिशत ठीक कहा है कि किसी राज्यपाल के आचरण पर इस सभा में चर्चा हो सकती है जिसने गलत काम किया हो।

उपाध्यक्ष महोदय: हमने इसके लिये एक घंटे का समय रखा था। अब इस पर चर्चा बंद की जा रही है। श्री डागा।

Shri M. C. Daga (Pali) : This House has every right to discuss anybody, irrespective of the fact that be he or she is a person in high authority. But a motion should be brought for that.

श्री श्याम नन्दन मिश्र: जब तक यह स्थिति न आ जाये कि पिछली संसदीय कार्यवाही को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाये, तो मेरा निवेदन है कि सदैव संसदीय कार्यवाही का उल्लेख किया जा सकता है। दूसरे, यद्यपि श्री सुखाडिया को वर्तमान उच्च पद दे दिया गया है तथापि केन्द्रीय जांच व्यूरों की जांच हो रही है। उसे समाप्त नहीं किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The point under discussion is whether charges can be levelled against a chief Minister in their house or a mention can be made about the charges levelled earlier ?

Secondly can charges be levelled against an ex-Chief Minister, who now holds the position of a Governor? Thirdly, whether chief Minister and Governors are also covered under Persons in High authority in our Rules?

The Business of the house is regulated under constitution, Rules and decisions of the chair. Therefore precedents are very important.

Memoranda against Bakshi Gulam Mohammed and S/Shri Pratap Singh Kairon, Biju Patnaik, Biren Mitra, Sadashiv Tripathi, K. B. Sahay were all discussed in this House. Memorandum about 'Choti Sadri Gold Case' was submitted to the President and was placed on the table of the House. So it becomes clear that charges mentioned in any memorandum submitted to Prime Minister or President can be discussed in this House. Choti Sadri Gold case relates to a conduct of a chief Minister and not that of a Governor even the conduct of a Governor can be discussed in this House. **(Interruption)**

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत गर्वनर के आचरण पर चर्चा की जा सकती है। (**अन्तर्बाधाएं**)

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : I rise on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय: हम व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं उस पर आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ?

Shri Madhu Limaye : During President's rule, the Governor's action can always be discussed. He enjoys protection when he acts under the advice of the council of Ministers. The Fourth Lok Sabha discussed the conduct of Shri Kanungo, the then Governor of Gujarat.

Now the question arises whether the case is under adjudication by a court of law? About this point also there is a ruling. In this regard it has to be ensured by the Chair that no discussion in the House should prejudice the course of justice. The chair has also to see that the House is not declared from discussing an urgent matter of public importance on the ground that a similar allied or linked matter is before a court of law. At present there is no criminal case against Shri Shukhadia. Question relates to C.B.I. enquiry against him and we have a right to put this question.

श्री बी०वी० नायक (कनारा): उच्च पदासीन व्यक्तियों को हमें कुछ न कुछ संरक्षण अवश्य प्रदान करना चाहिये। यदि हम यह मान भी ले कि कर्नाटक अथवा मैसूर के गवर्नर ने एक तोला ही नहीं सारा 52.2 ग्राम अथवा किलोग्राम सोना ले लिया तो क्या उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो सकती है ? नहीं हो सकती । यदि उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती तो उनके आचरण अथवा किसी कार्यवाही पर चर्चा करना व्यर्थ है । गवर्नर के व्यवहार पर चर्चा किस प्रकार से की जा सकती है ? उसका केवल एक ही तरीका है । गर्वनर का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उस पर सदन में चर्चा की जाती है जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है तो वहां केगरवर्नर को सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं । इस प्रकार के पद वाले व्यक्ति के नाम पर कीचड़ फैंकना कहां तक उचित है ? इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वे अपना कार्य ठीक से कर सकेंगे? वास्तव में यह राज्य के गर्वनर की स्थिति को प्रभावहीन बनाना है । आज की देश की परिस्थितियों में गवर्नर के पद की प्रतिष्ठा बढ़ा कर और अधिक संरक्षण देने की आवश्यकता है । सारी स्थिति पर निष्पक्षता से विचार किया जाना चाहिये । अतः अध्यक्ष महोदय को "गवर्नर" के पद को ऐसी श्रेणी में लाना चाहिये जिनके आचरण पर सदन में मूल प्रस्ताव द्वारा ही चर्चा की जा सकती है ।

श्री समर गुह (कन्टाई): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह सारा मामला बेतुका और असम्बद्ध है । आप इस बारे में नया पुर्वोदाहरण स्थापित करेंगे अथवा पुरानों पर ही चलेंगे ? पिछली लोक-सभा में हममें एक बार नहीं अनेक बार कई गर्वनरों के आचरणों पर चर्चा की। यदि यह बात सच है तो क्या आप गवर्नर के आचरण पर चर्चा करने अथवा न करने के बारे में पुराने पूर्वोदाहरण समाप्त कर रहें हैं अथवा नए पुर्वोदाहरण स्थापित कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि हम अपने संविधान को और उसके अन्तर्गत बनाई गई सीमाओं को समझते हैं । परन्तु हम शायद मूल बात को भूल गये। मूल बात यह है कि क्या श्री मोहनलाल मुखाडिया की किसी ऐसी कार्यवाही की चर्चा की जा सकती है जो उनके गवर्नर बनने के पूर्व से सम्बद्ध है ? उनके गवर्नर बनने के पूर्व जीवन से सम्बद्ध बातों की इस सदन में पहले चर्चा हो चुकी है । 17 अप्रैल, 1970 के एक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने बताया कि 'छोटी सदरी की स्वर्ण मामले' की प्रारंभिक जांच हो रही है । मंत्री महोदय ने अभी भी कहा है कि यह जांच अभी भी चल रही है । परन्तु यह मामला इतना ही नहीं है । इसमें कुछ संवैधानिक प्रश्न भी जुड़े हैं । यह ठीक है कि श्री मोहनलाल मुखाडिया का नाम पहले भी सदन में लिया जा चुका है । यदि हम यह देखें कि क्या उनके नाम का उल्लेख किया जा सकता है कि नहीं तो स्थिति यह है कि कल डेढ घंटे तक और आज तीन घंटे से अधिक समय हमने इसकी बात की है । यदि यह उल्लेख नहीं तो और क्या है । मामले का कोई भी पहलू ऐसा नहीं जिसका उल्लेख नहीं हुआ । अतः मेरा विनिर्णय अब व्यर्थ बन गया है ।

Shri Madhu Limaye : This Bill relates to the checking of smuggling. But has the Minister tried to understand what are the powers which are at the back of this smuggling business? There has been tremendous increase during the last 7 years in the income and property of Indians abroad but on the contrary there has not been appreciable increase in their remittances of earnings through Reserve Bank. What is the reason for this? The reason is that their earnings are collected in England and then payments are & made by Agents in Indian Rupees to their relatives in India. This availability of foreign exchange is giving phillip to smuggling activities.

Secondly, Silver was costlier in International market than India. So Silver worth crores of rupees was smuggled out of India and the money thus obtained was utilized for smuggling activities. Then opium and then other such things are smuggled out of this country.

Income from this source is also utilized for smuggling other things such as Gold, Nylone, Transistors and other luxury goods, in this country. "London Times' published, a Supplement about South Arabian States. It was stated in that Supplement that smuggling activities to and from India are carried on from these small South Arabian States.

Devaluation of American Dollar has increased the cost of Gold in International market. Now it is almost at par with the cost prevailing in India. Similarly the cost of silver in International market is also almost at par to Indian market price. Therefore these days these are not the commodities of smuggling. Today the source of income is smuggling of opium, Hashis out of India and smuggling Nylone yarn into India. Similarly there is 20-25 times profit on B Complex Vitamin. The foreign Companies are the greatest source of leakage of foreign exchange and smuggling activities. The Government has not taken stern measures against smugglers. Notorious Smugglers are allowed to escape from Police Custody. Cases of notorious smugglers such as Narang, Mastan and Nainmull are pending for years. Recently Customs officers wanted to check a car belogning to a Minister of Maharashtra Government. They were told that he was a person in high authority and hence his car could not be checked. Actually high Government officials of Maharashtra Government are giving protection to these activities. Such Bills are brought forward merely to mislead us. I request that stern action should be taken against Smugglers. Such action should be taken expeditioulsy. It should not be allowed to drag for years.

Foreign Companies and Banks are the greatest source of leakage of foreign exchange. There are Companies, who manufacture Tooth Paste, Soap, etc. Can we not manage to manufacture these indigenously. Colgate Palmolive Co. inverted an amount of 1 lak. and have earned 58 lakhs last year. Therse foreign Companies should be nationalized Foreign Capital invested in Small Consumer Industry should be de-invested. If such steps are taken we may be able to control smuggling.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Everybody has a right to speak at the third Reading stage **(Interruption)**.

उपाध्यक्ष महोदय: आपको मुझे सूचित करना चाहिये। यदि मैं समझूं कि विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है तो मैं मंत्री महोदय को चर्चा के उत्तर के लिए कह सकता हूं। अच्छा मैं आप को दो मिनट का समय देता हूं।

Shri Ramavatar Shastri : I would like to say that this gold Control order has played house with Goldsmiths of the country.

उपाध्यक्ष महोदय: हम उक्त स्वर्ण नियंत्रण आदेश पर नहीं उसके संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

Shri Ramavatar Shastri : When I am opposing the Bill it self there is no question of its amendment. It is a matter of pity that Government is killing the Goldsmiths of the Country with such anti-people Act.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

31 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामय्या): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 3 अगस्त, 1973/12 श्रावण 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL ELEVEN OF THE CLOCK ON FRIDAY, AUGUST 3, 1973/SRAVANA 12, 1895 (SAKA)

MGIPRRND—27LSS/73—Sec. VI—1-12-73—490.